

Response on behalf of Respondent No. 03 (Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority) and Respondent No. 07 (Agra Development Authority) to the Original Application No. 680 of 2023-Sri Raman Vs. Union of India and others.

1. That the contents of Para No. 1 of the O.A. it is submitted that efforts are being made to mitigate the Air Pollution in Agra city within the TTZ Area. Regular meetings of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority are being conducted with all the concerned department's head under the Chairmanship of Chairman, T.T.Z. Authority / Divisional Commissioner, Agra. Directions are issued to concerned authorities viz. Municipal Corporations, Development Authorities, Public Works Departments, NHAI, Transport Departments, Forest Departments and Pollution Control Boards to take necessary actions regarding removal of road dust, solid waste burning, compliance of C&D waste management rules, enforcement of 15 years old vehicles, traffic management, tree plantation and restriction of illegal fuel in the industries as per the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 30.12.1996 in W.P.(C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India and Others). In compliance of the orders all the air polluting industries in Agra are operational with cleaner fuel (natural gas/electricity). Presently 06 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) are operational in Agra city. Last Five years Air Quality data is as below:-

AQI Trend in Agra

Agra AQI Status 2019-2023											
Category	Year	2019	2020	2021	2022	2023	No. of Good & Bad Days				
	No. of days	338	346	343	364	365	2019	2020	2021	2022	2023
Good (0-50)		38	15	44	88	55					
Satisfactory (51-100)		109	110	85	86	218	269	237	219	343	364
Moderate (101-200)		122	112	90	169	91					
Poor (201-300)		45	67	92	17	1					
Very Poor (301-400)		20	37	26	4	0	69	109	124	21	1
Severe (>401)		4	5	6	0	0					

Data Source: CPCB Website

2. That the contents of Para No. 2 of the O.A. are matters of records, hence, need no comments.
3. That the contents of Para No. 3 of the O.A. are matters of records, hence, need no comments.
4. That the contents of Para No. 4 of the O.A. are matters of records. It is submitted that as per the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in W.P.(C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India and Others) on dated 30.12.1996, all the air polluting industries in Agra are operational with cleaner fuel (natural gas/electricity).

It is to pertinent to mention here that in I.A. No.42482/2020 (Appln. for modification of order dt. 06.12.2019 on behalf of State of U.P.) in W.P.(C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India and Others) Hon'ble Supreme Court of India passed an order dated 08.12.2021 regarding establishment of MSME industries in TTZ Area. The relevant part of the order is as below :-

"In respect of industrial units where the Air Pollution Score as per CPCB and UPPCB is between 11 to 20, sectorial guidelines shall be obtained from NEERI. No industrial units shall be cleared by the State till

sectorial guidelines are obtained from NEERI. For those industrial units having Air Pollution more than 20, the concurrence/opinion of NEERI will have to be obtained."

5. That the contents of Para No. 5 of the O.A. are matter of records, hence, needs no comment.
6. That the contents of Para No. 6 of the O.A. are matter of records, hence, needs no comment.
7. That the contents of Para No. 7 of the O.A. it is submitted that the Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority has been constituted by the Ministry of Environment and Forests, Government of India under sub-section-(1) and (3) of section-3 of the Environment (Protection) Act-1986 under the Chairmanship of Divisional Commissioner, Agra, hence, decisions regarding special body like CPCB and UPPCB can be taken up by the MoEF&CC, Govt. of India.
8. That the contents of Para No. 8 of the O.A. it is submitted that in compliance of the various orders and main order in Writ Petition (Civil) No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs Union of India and Ors.) passed by the Hon'ble Supreme Court of India on dated 30.12.1996, all the air polluting industries are operational with natural gas/electricity in Agra. Green belts is being developing around Taj and in Agra, Southern bypass and Inner ring road Phase-1 and 2 have been started for plying non destined heavy vehicles, which earlier passes through the city while Phase-3 work is likely to be completed by the end of year 2024. Construction of Northern bypass work is in progress by the NHAI (PIU), Agra to mitigate air pollution. To provide pollution free mass transport

for the daily commuters Agra Metro Rail Project in under progress by the U.P. Metro Rail Corpn. Ltd.

9. That the contents of Para No. 9 of the O.A. are matter of record. It is submitted that as per the recommendation of the Hota Committee, MoEF&CC, Govt. of India has taken the decisions to develop an Action Plan addressing the issues raised in the report and a Source Apportionment Study may be initiated. U.P. Pollution Control Board has made the Action Plan for the control of air pollution in Agra city and Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra has been awarded by U.P. Pollution Control Board to Department of Civil Engineering, Centre for Environmental, Science and Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur.
10. That the contents of Para No. 10 of the O.A. it is submitted that to mitigate the air pollution in Agra city. Action Plan for the control of air pollution in Agra city was prepared and regular meetings have been conducted under the Chairmanship of District Magistrate, Agra. Action taken report has been submitted by the concerned departments regarding mitigation of Air pollution in Agra city **Annexure-1**. Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra has been awarded by U.P. Pollution Control Board to Department of Civil Engineering, Centre for Environmental, Science and Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur. As per the control options and action plan for the city of Agra suggested in the report by IIT Kanpur compliance is being done by the concerned departments, which is being monitored in District Environment

Committee meeting regularly. Latest compliance report is attached as **Annexure-2**.

11. That the contents of Para No. 11 of the O.A. it is submitted that for the implementation of the Action Plan for the control of Air pollution in Agra city regular meetings are conducting under the Chairmanship of District Magistrate, Agra in District Environment Committee meeting. Action taken reports was being submitted by the concerned departments regarding mitigation of Air pollution in Agra city. As Agra is one of the non-attainment cities and GRAP is also being implemented in every winter season from 01 October till 28th February **Annexure-3**.

AQI Trend in Agra

Agra AQI Status 2019-2023											
Category	Year	2019	2020	2021	2022	2023	No. of Good & Bad Days				
	No. of days	338	346	343	364	365	2019	2020	2021	2022	2023
Good (0-50)		38	15	44	88	55					
Satisfactory (51-100)		109	110	85	86	218	269	237	219	343	364
Moderate (101-200)		122	112	90	169	91					
Poor (201-300)		45	67	92	17	1					
Very Poor (301-400)		20	37	26	4	0	69	109	124	21	1
Severe (>401)		4	5	6	0	0					

Data Source: CPCB Website

12. That the contents of Para No. 12 of the O.A. it is submitted that 6.5% forest cover is reported by Forest Survey of India in 2021. To increase the green cover massive tree plantation is being done by forest department with the contribution of other departments and general public is also being motivated to plant samplings and protect them. The results of plantation are likely to be reflected in future. It is stated that patch work, filling and repair of potholes on 51 roads (total length 55.203

km) is completed in 2023-24 and it is being done on regular basis too. Apart from it, 24.969 Km of road network has also been strengthened.

13. That the contents of Para No. 13 of the O.A. it is submitted that efforts are being made by regular monitoring in the meetings of TTZ Authority regarding control of air pollution in and around Taj precinct area and in Agra. Mechanized sweeping is being done through 07 mechanized sweeping machines in the city and around Taj Mahal to minimize the road dust by Municipal Corporation Agra. Ban on illegal fuel such as coal/coke, wood, bio briquettes has been done in eateries, restaurant etc. If found challan and seizure action is being done by Municipal Corporation Agra. Solid waste/garbage / bio-mass burning have been prohibited in Agra. If anyone found being done challan and FIR is being done by Municipal Corporation Agra.
14. That the contents of Para No. 14 of the O.A. it is submitted that conventional crematorium is operational behind the Taj Mahal. However, to discourage conventional crematorium electric crematorium has been developed and presently operational having 04 platforms.
15. That the contents of Para No. 15 of the O.A. it is submitted that to maintain the air quality as per National Ambient Air Quality Standards efforts are being made for removal of road dust, solid waste burning, compliance of C&D waste management rules, enforcement/restriction of 15 years old vehicles, traffic management, tree plantation, restriction of illegal fuel in the industries as per the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 30.12.1996 in W.P.(C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India and Others). In compliance of the orders all the air polluting industries in Agra are

operational with cleaner fuel (natural gas/electricity). Green belts is being developing around Taj and in Agra, Southern bypass and Inner ring road Phase-1 and 2 have been started for plying non destined heavy vehicles, which earlier passes through the city while Phase-3 work is likely to be completed by the end of year 2024. Construction of Northern bypass work is in progress by the NHAI (PIU), Agra to mitigate air pollution, mechanized sweeping is being done through 07 mechanized sweeping machines in the city and around Taj Mahal to minimize the road dust by Municipal Corporation Agra. Ban on illegal fuel such as coal/coke, wood, bio briquettes has been done in eateries, restaurant etc. If found challan and seizure action is being done by Municipal Corporation Agra. Solid waste/ garbage / bio-mass burning have been prohibited in Agra. If anyone found being done challan and FIR is being done by Municipal Corporation Agra. 100 electric buses for public transport are operational in and around Agra city. To provide pollution free mass transport for the daily commuters Agra Metro Rail Project in under progress by the U.P. Metro Rail Corpn. Ltd.

16. That the contents of Para No. 16 of the O.A. it is submitted that as per the data published by CPCB for 04 manual monitoring stations, the annual average are not meeting the norms, but annual data clearly indicates that the PM10 concentration has not been drastically increased as compared from 2002 to 2022. It is an achievement of TTZ Authority and all concerned departments for making their efforts to maintain the Air Quality levels in Agra city from 2002 to 2023 even after increase in the population, vehicular load,

construction activities and other air polluting activities within the city limit.

17. That the contents of Para No. 17 of the O.A. it is submitted that Air Quality levels in Agra city from 2002 to 2022 are not meeting the (Annual) National Ambient Air Quality Standards but it is pertinent to mention here that the air quality levels are maintained from 2002 to 2022, even after increase in the population, vehicular load, construction activities and other air polluting activities in Agra city. U.P. Pollution Control Board awarded Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in Agra city to IIT, Kanpur. In the study Control Options and Action Plan has been suggested to control the Air Pollution in Agra City by the responsible Authorities/Agencies. Control Options and Action Plan has been circulated to all concerned Departments to control air pollution in Agra city. Action Taken Report is provided monthly by the concerned Departments which are discussed in the District Environment Committee meeting for further improvement earlier annexed as **Annexure-2**.
18. That the contents of Para No. 18 of the O.A. it is submitted that in Agra, Southern bypass and Inner ring road Phase-1 and 2 have been started for plying non destined heavy vehicles, which earlier passes through the city while Phase-3 work is likely to be completed by the end of year 2024. Construction of Northern bypass work is in progress by the NHAI (PIU), Agra to mitigate air pollution. To provide pollution free mass transport for the daily commuters Agra Metro Rail Project in under progress by the U.P. Metro Rail Corpn. Ltd. 100 electric buses for public transport are

operational in and around Agra city. 01 electric vehicle charging stations have been started and tender has been floated for 10 EV charging stations by Municipal Corporation Agra. However, 06 EV charging stations have been started in hotels in Agra city. Facility of multilevel parking has been started in Sanjay Place market. One multilevel parking is proposed at Shilpgram premises by U.P. Tourism Department. Currently Uro-VI fuel is being supplied by oil companies in Agra city.

19. That the contents of Para No. 19 of the O.A. it is submitted that as per Additional Police Commissioner (Traffic), Agra to mitigate vehicular pollution due to congest roads regular enforcement is being done by traffic police in the year 2023, 9057 vehicles have been challaned and Rs. 808000/- has been recovered from challaned. In the year 2023 public awareness programme has been conducted in 122 school/colleges/institutions by traffic police. Public awareness programme at 910 road crossings and different places has been conducted and made aware regarding traffic rules / vehicular pollution to 323559 peoples by running campaign. 48475 vehicles have been challaned and Rs.328550/- has been recovered on road due to illegal parking, which is being done regularly. Apart from this action under section 34 of police act and in IPC 290 is being taken by the concerned police stations against encroachment on the roads.
20. That the contents of Para No. 20 of the O.A. are denied. It is submitted that efforts are being made by the TTZ Authority doing rigorous monitoring to control Air pollution. Environment compensation has been imposed by UPPCB to the concerned Departments / Agencies which were not following the guidelines/ rules regarding abatement of air

pollution during construction **Annexure-4**. It is pertinent to mention here that as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 06.12.2019 and 08.12.2021 in main Writ Petition (Civil) No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs Union of India and Ors.) MSME industries which are both non-polluting and eco-friendly industries can be setup in the notified industrial area. The relevant part of the order is as below :-

"In respect of industrial units where the Air Pollution Score as per CPCB and UPPCB is between 11 to 20, sectorial guidelines shall be obtained from NEERI. No industrial units shall be cleared by the State till sectorial guidelines are obtained from NEERI. For those industrial units having Air Pollution more than 20, the concurrence/opinion of NEERI will have to be obtained.

In case of the need for felling trees to set up industrial units/projects, the matter shall be referred to the CEC for its opinion/concurrence. Where there is no need for felling of trees, a declaration shall be obtained from the industrial units/projects to that effect. The declaration shall be accompanied by an affidavit and photograph of the site along with the Key Plan of the site. The said declaration along with the other documents shall be forwarded to the concerned District Forest Officer. In case, incorrect information has been given by the declarant, suitable legal action shall be taken."

21. That the contents of Para No. 21 of the O.A. it is submitted that as per the directive of the Hon'ble National Green Tribunal, Municipal Corporation, Agra has prepared a detailed project report for the development of a biodiversity park in Agra. The park, spanning 700 acres adjacent to the Yamuna floodplain in Kakretha, Agra, is estimated to cost

2603.57 Lacs. Since the proposed biodiversity area is a reserved forest area falling under the jurisdiction of the Forest Department, the DPR has been sent to them for further approval. Agra Municipal Corporation has written a letter to Divisional Director, Samajik Vaniki Vibhag vide letter No. 421/D/V.W.O./2023 dated 15/12/2023 regarding the development of park (attached as **Annexure-5**). Upon receiving approval and securing funds, the Municipal Corporation of Agra will promptly initiate the project.

22. That the contents of Para No. 22 of the O.A. it is submitted that -

- a) A significant improvement is seen in the air quality of Agra within last two years. As per the report of Central Pollution Control Board (CPCB), the no. of good days (AQI is less than or equal to 200) in the year 2022 was 222, while in the year 2023 and 2024 good days are 344 and 364 respectively.
- b) Agra has secured 2nd rank and has received award in Swachh Vayu Surveysah 2023, conducted by MoEFCC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change).
- c) For mechanical sweeping of roads, an agreement has been signed with M/s Raj Rajeshwari Enterprises. At present, mechanical sweeping of the roads is being done through 06 MRS (Mechanical road sweepers) and 02 more MRS will be available by the end of this month. Apart from this, 02 additional mechanical sweeping machines are being operated in Tajganj area. On an average, a total of 400 kilometers (including all 2

passes/4 passes) of roads are being cleaned every day through MRS.

- d) An underground collection tank of capacity 1000 KLD to collect a part of the treated effluent coming out from 78 MLD STP is constructed at Dhandupura, Agra. The collected water is being used in water spraying as well as for trees washing through 15 water sprinklers and tankers.
- e) Road widening work is being done to reduce the load of vehicles on the roads. At present work has been completed at 43 sites and work is in progress at 06 other sites.
- f) In order to control road dust, the Municipal Corporation has done black topping of 43 roads and paving of 13 footpaths.
- g) All the ongoing construction works are being done by putting a green net around the construction sites.
- h) For processing the C&D waste generated in the city, a C&D waste processing Plant of 5 TPD capacity is being operated at Kuberpur site and the work for another 150 TPD C&D waste processing plant is under progress.
- i) A complete ban has been imposed on burning of garbage in urban areas. Special surveillance is carried out at 12 hot spot locations identified by UPPCB. On any information regarding fire in biomass, immediate actions are taken along with FIR and fine.
- j) Manual collection of silt and dust beside road sides is a regular process which is also being done by Agra Municipal Corporation on all major roads.

23. That the contents of Para No. 23 of the O.A. It is submitted that regular 'District Environment Committee' meetings are being conducted and compliance is being done by the concerned departments. As per the Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in Agra city report provided by the IIT, Kanpur, Control Options and Action Plan has been suggested to control the Air Pollution in Agra. Control Options and Action Plan has been circulated to all concerned Departments. Action Taken Report is provided monthly by the concerned Departments, which is discussed in the 'District Environment Committee' meeting for further improvement **Annexure-6**.
24. That the contents of Para No. 24 of the O.A. it is submitted that in earlier years *prosopis juliflora* (Vilayati Babool) was planted to improvement to soil conditions but now days species like Neem, Sheesham, Arjun, Imli, Dhak, Arru, Amrud, Nimbu, Anar etc. local species are being planted to increase green area and moreover species, which are suitable for ravines areas as per approved working plan of forest are being planted.
25. That the contents of Para No. 25 of the O.A. it is submitted that as per the direction issued by the Member-Secretary, CPCB to Principal Secretary, Environment, Government of U.P. Action plans for the control air pollution in 15 non-attainment cities of Uttar Pradesh has been made and circulated on 11.04.2019 to the concerned departments, Government of U.P. for implementation **Annexure-7**.
26. That the contents of Para No. 26 and 27 of the O.A. are denied. It is submitted that to maintain the air quality as per National Ambient Air Quality

Standards efforts are being made for removal of road dust, solid waste burning, compliance of C&D waste management rules, enforcement/ restriction of 15 years old vehicles, traffic management, tree plantation, restriction of illegal fuel in the industries as per the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 30.12.1996 in W.P.(C) No. 13381/1984 (M.C. Mehta Vs. Union of India and Others). In compliance of the orders all the air polluting industries in Agra are operational with cleaner fuel (natural gas/ electricity). Green belts is being developing around Taj and in Agra, Southern bypass and Inner ring road Phase-1 and 2 have been started for plying non destined heavy vehicles, which earlier passes through the city while Phase-3 work is likely to be completed by the end of year 2024. To provide pollution free mass transport for the daily commuters Agra Metro Rail Project in under progress by the U.P. Metro Rail Corpn. Ltd. Construction of Northern bypass work is in progress by the NHAI (PIU), Agra to mitigate air pollution, mechanized sweeping is being done through 07 mechanized sweeping machines in the city and around Taj Mahal to minimize the road dust by Municipal Corporation Agra. Ban on illegal fuel such as coal/coke, wood, bio briquettes has been done in eateries, restaurant etc. If found challan and seizure action is being done by Municipal Corporation Agra. Solid waste/ garbage / bio-mass burning have been prohibited in Agra. If anyone found being done challan and FIR is being done by Municipal Corporation Agra. 100 electric buses for public transport are operational in and around Agra city.

AQI Trend in Agra

Agra AQI Status 2019-2023											
Category	Year	2019	2020	2021	2022	2023	No. of Good & Bad Days				
	No. of days	338	346	343	364	365	2019	2020	2021	2022	2023
Good (0-50)		38	15	44	88	55					
Satisfactory (51-100)		109	110	85	86	218	269	237	219	343	364
Moderate (101-200)		122	112	90	169	91					
Poor (201-300)		45	67	92	17	1					
Very Poor (301-400)		20	37	26	4	0	69	109	124	21	1
Severe (>401)		4	5	6	0	0					

Data Source: CPCB Website

27. That the contents of Para No. 28 of the O.A. it is submitted that Koli Hai Drain flows near the East Gate of Taj Mahal towards River Yamuna. It is stated that an in situ-wetland has been constructed in the Taj East Drain located at East Gate of Taj Mahal, the incoming flow will be first screened and passed through series of anaerobic digesters wherein BOD and COD will be reduced and further treated through wetland system. At the end point of the system chlorine dosing will also be done. Plantation has already been done and installation is complete. The plant is under commissioning stage. Thus the issue of odour and nuisance will now be minimized to a great extent.
28. That the contents of Para No. 29 of the O.A. it is submitted that as per the data published by CPCB for 04 manual monitoring stations the annual average are not meeting the norms, but annual data clearly indicates that the PM10 concentration has not been drastically increased as compared from 2022. It is an achievement of TTZ Authority and all concerned departments for making their efforts to maintain the Air Quality levels in Agra city from 2002 to 2023 even after increase in the population, vehicular load, construction activities and other air

polluting activities within Agra city. Efforts and rigorous monitoring on ground level is being done by TTZ Authority and U.P. Pollution Control Board to mitigate air pollution in Agra city.

GROUNDS

- a. That the contents of point no. a of the grounds are denied. It is submitted that to maintain the air quality as per National Ambient Air Quality Standards efforts are being made with the all concerned departments by TTZ Authority.
- b. That the contents of point no. b of the grounds are matter of record.
- c. That the contents of point no. c of the grounds are denied and the relevant has been given in para no.26.
- d. That the contents of point no. d of the grounds are denied. It is submitted that in exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29) of 1986, the Central Govt. constituted Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority under the Chairmanship of Divisional Commissioner, Agra w.e.f. 17th May, 1999 as published in the Gazette of India vide clause No. 3 of the aforesaid Gazette Notification the powers and functions of TTZ Authority are subject to over all supervision and control of the Central Government. TTZ Authority have the power to —
 - i) Monitor the progress of implementation of various schemes for the protection of the Taj Mahal and programmes for protection and improvement of the environment in Taj Trapezium Zone.
 - ii) Exercise powers under section 5 of the said Act.

- iii) Take all necessary steps to ensure compliance of specified emission standards by motor vehicles and ensuring compliance of fuel quality standards.
- iv) Deal with any environmental issue which may be referred to it by the Central Government or the State Governments of Uttar Pradesh and Rajasthan relating to the Taj Trapezium Zone.
- e. That the contents of point no. e of the grounds are denied and the relevant has been given in para no.20.
- f. That the contents of point no. f of the grounds are denied and the relevant has been given in para no.26.
- g. That the contents of point no. g of the grounds are denied and the relevant has been given in para no.8.
- h. That the contents of point no. h of the grounds are denied and the relevant has been given in para no. 24.
- i. . That the contents of point no. i of the grounds are matter of record.
- j. That the contents of point no. j of the grounds, it is submitted that regular monitoring is being done to complete the ongoing projects in a time bound manner.

The application thus is devoid of law and facts both and as such deserves to be dismissed with costs as against the answering Respondent No. 03 & 07.

Respondent No. 03 & 07

Date:

**Member-Convener, T.T.Z. Authority &
Vice-Chairman, Agra Development Authority,
Agra**

ACTION PLANS
FOR
THE CONTROL OF AIR POLLUTION
IN
15 NON-ATTAINMENT CITIES OF UTTAR
PRADESH

(LUCKNOW, KANPUR, AGRA, PRAYAGRAJ,
VARANASI, GHAZIABAD, NOIDA, KHURZA,
FIROZABAD, ANPARA, GAJRAULA, JHANSI,
MORADABAD, RAEBARELI AND BAREILLY)



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
TV-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,
LUCKNOW-226021

INDEX

S.No.	DESCRIPTION	PAGE
1	Preface	1
2	Salient Features of the Hon'ble NGT Order for preparation & Implementation of Action Plan:	1
3	Action Plans Implantation and approval	02
4	Salient Features of the action Plans	03
5	Responsibilities of Departments/Agencies	05
6	Monitoring and Evaluation of Action Plans	06
7	Levels Of Air Pollution and effect on human health	06
8	National Ambient Air Quality Standards	07
9	Pollution levels/AQI can be obtained from	09
10	Ambient Air Quality of 15 Non-Attainment Cities of U.P	10
11	Hon'ble NGT Order OA No-681 of 2018	Annex-1
12	Constitution of Air Quality Monitoring Committee.	Annex-2
13	Action Plans for 15 Non Attainment Cities	Annex-3
14	Approval of Action Plan by CPCB, Delhi	Annex-4
15	National Ambient Air Quality Standards	Annex-5

1. Preface:

Central Pollution Control Board, Delhi, on the basis of values of Particulate Matter (PM10-Particle Matter Size less than 10 micron) in ambient air has identified 15 cities of Uttar Pradesh as Non-attainment cities:

1. Lucknow
2. Kanpur
3. Agra,
4. Prayagraj
5. Varanasi,
6. Ghaziabad,
7. Noida,
8. Khurza,
9. Firozabad
10. Anpara
11. Gajraula
12. Jhansi
13. Moradabad
14. Raebareli and
15. Bareilly

2. Salient Features of the Hon'ble NGT Order for preparation & Implementation of Action Plans:

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in O.A.No.681/2018 in News item published in "The Times of India" authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with multiple timelines to clear air in 102 cities to be released around August 15 has given certain directions. The main directions are as follows:

- I. All the States with non-attainment cities must prepare appropriate action plan within two months aimed at bringing the standards of air quality within the prescribed norms within six months from the date of finalization of action plan.
- II. Action Plan may be prepared by 06 members Committee comprising of Directors of Environment, Transport, Industries, Urban Development, Agriculture and Member-Secretary State Pollution Control Board. The Committee may be called "Air

Quality Monitoring Committee" (AQMC). The AQMC will function under the overall supervision and coordination of Principle Secretary, Environment of concerned State.

- III. Action plan may take in to account the GRAP, the CAP and the action plan prepared by CPCB as well as all other relevant factors.
- IV. The action plan will indicate steps to be taken to check different sources of pollution having speedy, definite and specific timelines for execution.
- V. Action Plan should be consistent with the carrying capacity assessment of non-attainment cities in terms of vehicular pollution, industrial emission and population density, extent of construction & construction activities etc.
- VI. The committee constituting of (a) Shri Prashant Gargava, Member Secretary, CPCB (b) Dr. Mukesh Khare, Prof. IIT-Delhi & (c) Dr. Mukesh Sharma, Prof. IIT-Kanpur shall examine the action plans and on the recommendations of said committee, the Chairman CPCB shall approve the same.
- VII. The Chief Secretaries of the States will be personally accountable for failure to formulate action plans as directed.
- VIII. CPCB and all the State Pollution Control Boards and Pollution Control Committee shall collectively workout and design a robust nationwide ambient air quality monitoring programme in a revised format by strengthening the existing monitoring network with respect to coverage of more cities/towns.

3. Action Plan Implantation and approval:

- I. U.P. Pollution Control Board prepared draft action plans for 15 non- attainment cities of Uttar Pradesh.
- II. A Committee (AQMC) at the level of Government vides letter no. 01/55-Parya-2-2019-09(writ)/2016 on dated 02-01-2019 has been constituted. The members of the constituted Committee are as follows:-
 - a) Commissioner, Transport Department, Govt. of U.P. Member
 - b) Special Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. Member
 - c) Director, Industries, Government of U.P. Member
 - d) Director, Environment, Government of U.P. Member
 - e) Director, Agriculture Department, Government of U.P. Member

- f) Member secretary, UPPCB, Lucknow, Member & Coordinator
- III. Draft Action Plans for 15 non-attainment cities has been reviewed by AQMC on 04-01-2019 and suggestions made for improvement.
- IV. After incorporating suggestions of AQMC draft action plan for 15 Non-attainment Cities were sent to Central Pollution Control Board, Delhi vide letter no. H32113/CL/294/Action Plan/18-19 on dated 31-01-2019 for their approval in accordance with the directions of Hon'ble NGT.
- V. On the basis of recommendations of 03 members Committee, Chairman Central Pollution Control Board has approved the Action Plans along with recommendations and issued Direction to the Government of U.P. under Section 31(A) of The Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 regarding preparation of action plans and its effective implementation vide letter no. AQM/AP/2019-20 dated 04.03.2019.

4. Salient Features of the action Plans-

- i. The Action Plans comprises of 06 Major categories as given below:-
- a. Vehicle Emission Control
 - b. Suspension of Road Dust and Fugitive Emission Control
 - c. Control of Emissions form Biomass/ Crop residue/ Garbage/ Municipal Solid Waste burning
 - d. Control of Industrial Emissions
 - e. Control of Air Pollution from constructions and demolition activities.
 - f. Other Steps to Control Air Pollution
- ii. The Action Plans comprises of 58 Short and long term Action Points.
- The short term (immediate) activities which don't need advance preparedness and are to be implemented by concerned department/ agencies immediately.

- The long term action points require preparedness including making of DPRs, Sanctions, Budget allocation and implementation.
- iii. The Action Plan has to be implemented by 17 concerned Departments/ Agencies.

S. No.	Name of Department/Agencies	No. of Action Points
1	Transport Department	06
2	National Highway Authority of India(NHAI)	03
3	Public Works Department (PWD)	03
4	Nagar Nigam/Nagar Palika Parishad	23
5	Development Authorities	13
6	Vehicle Manufacturing Companies	01
7	Ministry of Road Transport & Highways	01
8	Traffic Police	02
9	Food & Civil Supply (District Supply Officer)	01
10	Oil companies	01
11	Forest Department	01
12	Irrigation Department	01
13	Agriculture Department	01
14	Urban Development Department	04
15	District Industries Centre (DIC)/ UPSIDC	01
16	U.P.Pollution Control Board	10
17	Housing companies	01

Note: some action points concerned with more than one department.

5. Responsibilities of Departments/Agencies:

- I. Identify the personnel responsible for implementation and in-house monitoring of action plan.
- II. Nominate and officer of the Level of special Secretary as Nodal Officer for implementation of action Plan.
- III. Organize training/ orientation workshop at the city level.
- IV. Start immediate implementation of the short term action points.
- V. Prepare DPR and issue Government orders etc within four week required for implementation
- VI. Sectioning of DPR within further two month.
- VII. Decide timeline for work completion.
- VIII. Ensure implementation of long term action plans.
- IX. Furnish monthly compliance report to UPPCB and Environment department of U.P in Prescribe Format by 7th of every month.

Environment Department, Govt. of U.P. Nodal Department
U.P.Pollution Control Board Nodal Agency for monitoring
<ul style="list-style-type: none"> ➤ State level workshop for training/orientation of various Departments will be organized by UPPCB. ➤ Web portal Development for compliance reporting. ➤ Organizing monthly and quarterly review meeting.

6. Monitoring and Evaluation of Action Plans:

Monitoring & Evaluation of Implementation of Action Plan will be carried out Quarterly by Principle Secretary, Environment.

7. Levels Of Air Pollution and effect on human health

- Air Quality Index (AQI) is a tool for effective communication of air quality status to people in terms, which are easy to understand. It transforms complex air quality data of various pollutants like PM10, PM2.5, SO₂, NO₂, CO etc. into a single number (index value), nomenclature and colour.
- There are six AQI categories, namely Good, Satisfactory, Moderately polluted, Poor, Very Poor, and Severe. Each of these categories is decided based on ambient concentration values of air pollutants and their likely health impacts (known as health breakpoints).
- AQI categories and health breakpoints are as follow:

	Minimal Impact	Poor (201-300)	Breathing discomfort to people on prolonged exposure
Satisfactory (51-100)	Minor breathing discomfort to sensitive people	Very poor (301-400)	Respiratory illness to the people on prolonged exposure
Moderate (101-200)	Breathing discomfort to the people with lung, heart disease, children and older adults	Severe (401-500)	Respiratory effect even on healthy people

8. National Ambient Air Quality Standards

Notification No. B-29016/20/90/PCI-L, 18th November, 2009

Central Pollution Control Board New Delhi

S.No.	Pollutants	Time Weighted Average	Concentration in Ambient Air		
			Industrial, Residential, Rural and Other Area	Ecologically Sensitive Area (notified by Central Government)	Method of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sulphur Dioxide (SO ₂), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	50 80	20 80	-Improved West and Gaeke -Ultraviolet fluorescence
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	40 80	30 80	-Modified Jacob & Hochheiser (Na-Arsenite) -Chemiluminescence
	Particulate matter (Size less than 10 μm), PM ₁₀ $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	60 100	60 100	-Gravimetric -TOEM -Beta attenuation
4	Particulate matter (Size less than 2.5 μm), PM _{2.5} $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	40 60	40 60	-Gravimetric -TOEM -Beta attenuation
5	Ozone (O ₃), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 hours** 1 hour**	100 180	100 180	-UV photometric -Chemiluminescence -Chemical Method

6	Lead (Pb), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	0.50 1.0	0.50 1.0	-AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper - ED-XRF using Teflon filter
7	Carbon Monoxide (CO), mg/m^3	8 hours** 1 hour**	02 04	02 04	-Non Dispersive Infra Red (NDR) spectroscopy
8	Ammonia (NH_3), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	100 400	100 400	- Chemiluminescence - Indophenol blue method
9	Benzene (C_6H_6), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual*	05	05	- Gas chromatography based continuous analyzer - Adsorption and Description followed by GC analysis
10	Benzo(a)Pyrene (BaP)-particle phase only, ng/m^3	Annual*	01	01	- Solvent extraction followed by HPLC/GC analysis
11	Arsenic (As), ng/m^3	Annual*	06	06	- AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper
12	Nickel (Ni), ng/m^3	Annual*	20	20	- AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper

- * Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.
- ** 24 hourly or 08 hourly or 01 hourly monitored values, as applicable, shall be complied with 98% of the time in a year. 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

9. Pollution levels/AQI can be obtained from:

- Samir App developed by CPCB, Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- www.uppcb.com
- www.cpcb.nic.in

10. Ambient Air Quality of 15 Non-Attainment Cities of U.P: Year 2017-2018

The Board has been Monitoring Ambient Air Quality in 15 non-attainment cities of Uttar Pradesh namely Lucknow, Kanpur, Anpara, Agra, Ghaziabad, Gajraula, Noida, Varanasi, Firozabad, Jhansi, Khurja, Allahabad, Moradabad, Bareilly and Raibareilly at 52 Locations under National Air Monitoring Programme (NAMP). On perusal of average ambient air quality data obtained in the year 2017-2018, following are the conclusions-

1. The Average Values of Particulate matter less than 10 micron (PM10) have been found above the prescribed standard in all the cities.
2. The average values of Sulphur dioxide have been found within the prescribed standards in all the cities.
3. The average values of Nitrogen dioxide have been found within the prescribed standard except Kanpur and Allahabad.

**AMBIENT AIR QUALITY DATA OF NON ATTAINMENT CITIES OF
UTTAR PRADESH
(YEAR 2017-2018)**

S.No	Name of City	Year 2017 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Year 2018 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		PM10	SO ₂	NO ₂	PM10	SO ₂	NO ₂
1	Lucknow	230.70	8.19	25.41	215.85	8.03	28.50
2	Kanpur	224.34	6.65	44.46	216.98	7.11	45.54
3	Agra	186.10	7.00	14.75	218.76	5.30	21.87
4	Anpara	173.20	16.80	31.50	201.90	18.20	27.59
5	Gajraula	205.40	22.15	34.95	225.67	19.92	32.71
6	Ghaziabad	275.45	16.60	39.30	234.90	17.76	34.07
7	Varanasi	250.86	10.24	39.18	200.73	9.04	35.26
8	Noida	209.65	11.40	37.95	239.80	17.41	38.53
9	Firozabad	219.77	8.50	31.10	223.01	8.05	30.89
10	Jhansi	112.85	6.60	19.35	95.99	5.92	18.07
11	Khurja	192.45	22.70	21.15	204.65	20.62	19.20
12	Allahabad	145.26	4.30	41.00	231.05	3.91	46.32
13	Moradabad	213.05	19.60	33.50	227.42	19.88	34.33
14	Bareilly	206.85	11.50	21.40	227.30	11.38	22.83
15	Raebareli	140.93	11.37	17.23	132.14	11.30	17.36
	Standard (Annual)	60	50	40	60	50	40



कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 299/ओजी-833/2018

दिनांक - 06/05/2019

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय पनाधिकारी, सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), आगरा।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, आगरा।
8. जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
9. अधिराष्टी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. अधिराष्टी अभियन्ता (नोडल), सिंचाई विभाग, आगरा।
11. जिलापूर्ति अधिकारी, आगरा।
12. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
13. महाप्रबन्धक, गेल गैस लि०, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. महाप्रबन्धक (विपणन), मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०,
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, आगरा/
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
16. अध्यक्ष, क्रेडाई, आगरा।
17. अध्यक्ष, ईट भट्टा एसोसिएशन, वाह, आगरा।

विषय- जनपद आगरा हेतु तैयार एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में बैठक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि WHO रिपोर्ट, 2014 के अनुसार इलाहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर एवं लखनऊ सहित जनपद आगरा को वायु प्रदूषित शहरों (non-attainment cities/towns) की सूची में अंकित किया गया है। वायु प्रदूषित शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम किये जाने हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन में हाई लेवल टास्क फोर्स (HLTF) का गठन किया गया है।

अग्रेतर मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा 06 सदस्यीय एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायुगुणता में सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमोदित करते हुये वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।

अनुमोदित एयर एक्शन प्लान संलग्न है। उक्त के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-एन०जी०टी०- 130(2)/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 एवं संख्या- एन०जी०टी०-130/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 दिनांक 11.04.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों के दृष्टिगत अनुमोदित एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 17.05.2019 को अपराह्न 12:30 बजे कैम्प कार्यालय में आहूत की गयी है। एयर एक्शन प्लान की हार्ड कापी संलग्न है। सॉफ्ट कापी ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की जा रही है।

अतएव आपसे पुनः अनुरोध है कि एयर एक्शन प्लान में अपने विभाग से सम्बन्धित एक्शन बिन्दुओं पर अद्यतन अनुपालन स्थिति के विवरण के साथ उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

संलग्नक-एयर एक्शन प्लान की प्रति।

भवदीय

P. K. Acharya
(बी०पी० यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

P. K. Acharya
क्षेत्रीय अधिकारी
६



कार्यालय, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 550/ओजी-633/2019

दिनांक - 06/06/2019

सेवा में


1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), आगरा।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, आगरा।
8. जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. अधिशासी अभियन्ता (नोडल), सिंचाई विभाग, आगरा।
11. जिलापूर्ति अधिकारी, आगरा।
12. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
13. महाप्रबन्धक, गेल गैस लि०, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. महाप्रबन्धक (विपणन), मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०./
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, आगरा./
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
16. अध्यक्ष, क्रेड्राई, आगरा।
17. अध्यक्ष, ईट नटटा एसोसिएशन, बाह, आगरा।

विषय- जनपद आगरा हेतु तैयार एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 17.05.2019 का कार्यवृत्त।

महोदय,


कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में आगरा शहर के पर्यावरणीय गुणता सुधार हेतु दिनांक 17.05.2019 को आहूत एयर एक्शन प्लान की बैठक का कार्यवृत्त संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद नवीनतम/अद्यतन अनुपालन आख्या हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कापी (इंग्लिश में) इस कार्यालय को Email-roagra@uppcb.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- एयर एक्शन प्लान का कार्यवृत्त।

भवदीय

 (बी०पी० यादव)
 c/c क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


 c/c क्षेत्रीय अधिकारी

Minutes of Meeting dated 17.05.2019

ACTION PLAN

FOR

THE CONTROL OF AIR POLLUTION

IN

AGRA CITY



**REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
14, SECTOR-3 B, AWAS VIKAS, SIKANDRA YOJNA
AGRA**

1. INTRODUCTION

Agra is a city on the banks of the river Yamuna in the northern state of Uttar Pradesh, India. It is 378 kilometres west of the state capital, Lucknow, 206 kilometres south of the national capital New Delhi, 58 kilometres south from Mathura and 125 kilometres north of Gwalior. Agra is one of the most populous cities in Uttar Pradesh, and the 24th most populous in India. Agra is a major tourist destination because of its many Mughal-era buildings, most notably the Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri, all three of which are UNESCO World Heritage Sites. Agra is included on the Golden Triangle tourist circuit, along with Delhi and Jaipur; and the Uttar Pradesh Heritage Arc, tourist circuit of UP state, along Lucknow the capital of the state and Varanasi. Agra city has a population of 1,585,704, while the population of Agra cantonment is 53,053. The urban agglomeration of Agra has a population of 1,760,285. The city is located at 27.1767° N, 78.0081° E.

2. ACTION TAKEN BY THE BOARD

Board has issued directions to Principal Secretary Urban Development, Principal Secretary Forests, Principal Secretary Transport, Principal Secretary Agriculture, Managing Director Central U.P. Gas Ltd., Managing Director Indraprastha Gas Ltd, and Managing Director Green Gas Ltd. under section 31 (A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding prevention and control of air pollution in Agra city on dated 05.09.2016 in compliance of directions issued by Central Pollution Control Board, Delhi under section 18(1) (b) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Board has also issued directions under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended regarding prevention and control of air pollution in Agra city on dated 14.11.2017.

Ambient Air is being monitored regularly by the Board. At source emission monitoring i.e. stack monitoring of industries is also being done regularly and action is being taken accordingly on the basis of analysis report. If any industry is found violating the standards firstly show-cause notice is issued to the industry followed by closure under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

3. ANNUAL AVERAGE DATA OF AMBIENT AIR QUALITY PM₁₀ (µg/m³) (YEAR 2013-2018)

U.P. Pollution Control Board is monitoring ambient air quality of Agra city manually at 02 locations viz. for PM₁₀, SO₂ and NO₂ parameters. Annual Average data of Ambient Air Quality particularly PM₁₀ (Particulate Matter size less than 10 microns) were observed during the year 2013-18 are as given below.

S.No.	Name of Location	Category	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bodla	Sensitive	184.1	190.8	182	170.1	174.4	195.84
2	Nunhai	Sensitive	216.4	229.1	218	229.8	220	241.67
	STANDARD (annual average)	60 µg/m ³						

4. SOURCES OF POLLUTION IN AGRA

The main sources of air pollution in Agra city are Vehicular, Road dust, Domestic Cooking, Industries (Point source & Areas source), Garbage burning & Agriculture waste burning etc. Data obtained from Continuous Ambient Air Quality Monitoring System (2018) at Agra showed values of CO 1.19 (mg/m³); O₃ 25.00 (µg/m³); NO₂ 53.50(µg/m³); SO₂ 14.4 (µg/m³); PM_{2.5} 113.0 (µg/m³); and Benzene 1.46(µg/m³), Toluene 4.12(µg/m³), Xylene 2.82(µg/m³).

Air pollution has been viewed seriously by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court & Hon'ble National Green Tribunal and issued specific directions from time to time for the improvement the air quality of the city. Central Pollution Control Board has also issued direction under section 18 (1) (b) of the Air (Prevention & control of pollution) Act 1981, regarding prevention, control or abatement of Air pollution in various cities of Uttar Pradesh. Action taken by the Board Ambient Air is being monitored regularly by the Board. At source emission

monitoring i.e. stack monitoring of industries is also being done regularly and action is being taken accordingly on the basis of analysis report. If any industry is found violating the standards firstly show-cause notice is issued to the industry followed by closure under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

5. Short term & Long term Action Plan

(A) Vehicle emission control

(a) Long Term Action Plan: Reduce congestion

Sl No	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Compliance Status/Remarks/Directions
i	Plying of electric buses for public transport including establishment of sufficient charging stations.	360 days	Transport Department	As per information provided by RTO, Agra Electric and battery operated Buses, Auto Rickshaw shall be available for public in near future. Electric Rickshaws are to be commissioned nearly after two or three months.
ii	Prepare plan for construction of expressways/bypasses to avoid congestion due to non-destined vehicles.	360 days	N.H.A.I./PWD	As per information provided by NHAI, DPR work for construction of i) Agra Bypass Road (Northern) connecting NH-2 to Yamuna Expressway and ii) Left over portion of Agra Inner Ring Road from Deori to NH-3 (Agra-Gwalior Road) is already in progress.
iii	Construction of peripheral road around the city to avoid congestion.	360 days	N.H.A.I./PWD	Information is awaited
iv	Arrangement of Multilevel Parking Facilities	360 days	Nagar Nigam/Development Authorities	As per S.E-Agra Development Authority presently no multilevel parking is proposed. Future planning with Budget allocation will be informed later on.

				available.
SL No	(b) Short Term Action Plan Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i	Launch extensive drive against polluting vehicles for ensuring strict compliance	As regular activity	R.T.O/Traffic Police	<ul style="list-style-type: none"> • 5451 Challans issued under Air Pollution from 01.04.2018 to 30.04.2019 by R.T.O. • 1531 Challans issued under Noise Pollution from 01.04.2018 to 30.04.2019 by R.T.O.
ii	Launch public awareness campaign for air pollution control, vehicle maintenance, minimizing use of personal vehicles, lane discipline, etc.	As regular activity	R.T.O/ Traffic Police	<p>DM, Agra emphasized for Awareness Programs, Seminars and educational activities to should be conducted in summer camps, Slogans and short environment related movies should be displayed on LEDs screens, in theaters, multiplexes operational in city.</p> <p>RTO Agra informed that people are being made aware of road safety by running a road safety programme and motivating them to follow the road safety and traffic rules to make their fitness check out from time to time. Action is being taken from time to time on persons not wearing helmets and seat belts while driving.</p>
iii	Prevent parking of vehicles in the non-	As regular	Traffic Police/ Nagar	Information is awaited

vi	Development/Strengthening of Bike zone/Cycle zone at metro/railways/bus stations from where travelers hire bi-cycle to reach the destination.	360 days	Nagar Nigam/Development Authorities	Information is awaited
vii	Initiate steps for retrofitting of particulate filters in diesel vehicles, when BS-VI fuels are available	360 days	Vehicle Manufacturing Companies/Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH)	Information is awaited
viii	Use of Bio-Ethanol in the city/urban transport system/waste to energy.	360 days	Transport Department	As per information provided by RTO, Agra National Policy on Bio fuels has been approved by cabinet (Gov. of India) on 16.05.2018. Department of Biotechnology (Ministry of Science & technology) has given report on (First Biomass to ethanol plant and its commercialization) states that " The country's first second Generation (2G) ethanol plant was inaugurated by Union Minister for Science and Technology and Earth Science Dr. Harsh Vardhan at Kashipur in Uttarakhand. Subsequently, the technology was transferred to Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to build commercial scale biomass to ethanol plants entirely based on the technology. The plants are scheduled to be operated by 2018." As soon as bio-fuel will be available in market, pilot project for public vehicles can be started. No such fuel is available presently in Agra. There are 180 Petrol Pumps in Agra. Till date Bio Diesel is not

	designated areas	activity	Nigam	
iv	Prepare & implement action plan to check fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data	30 days	District Supply Officer/Oil companies	Information is awaited
v	Prepare & implement plan for widening of roads and improvement of infrastructure for decongestion of road	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vi	Steps for promoting battery operated vehicles including establishment of charging stations.	120 days	Transport Department/Nagar Nigam & Development Authorities	RTO Agra informed that the battery operated 12 Mini buses are running from the Bijlighar crossing to the Taj Mahal by ADA. ADA has its own Battery charging station. 1886 Battery powered e-rickshaw have been registered upto 15.05.2019 having their own charging arrangements.
vii	Install weigh in motion bridges at the borders of cities/towns and States to prevent overloading of vehicles	180 days	Transport Department	<p>As per information received from RTO, following four weigh in motion are installed in Agra:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Farah toll plaza located on National Highway No-2. 2. Tundla Toll Plaza Firozabad located at Mathura National Highway No-2. 3. Kaurai (Fatehpur Sikri) Toll Plaza, Agra located National Highway No-11. 4. Raibha Toll Plaza located South Bypass, Agra

viii	Synchronize traffic movements/Introduce intelligent traffic systems for lane-driving	180 days	Traffic Police	Information is awaited	
ix	Installation of remote sensor based PUC system	180 days	Traffic Police	Information is awaited	

(B) Suspension of road dust and other fugitive emissions control

(a) Long Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan.	180 days	Nagar Nigam/ADA/ Forest Department	Information is awaited
ii)	All the canals/nullah's side roads should be brick lined. Proper plantation also carried out.	360 days	Irrigation Department/ Forest Department/ NMCG	Information is awaited

(b) Short Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
				Information is awaited

i)	Prepare plan for creation of green buffers along the traffic corridors. Plantation of specific types of species of plants which are helpful in pollution control.	90 days	Forest Department/ Horticulture/ Nagar Nigam & Development Authorities	Information is awaited
ii)	Maintain potholes free roads for free-flow of traffic	90 days & as regular activity afterwards.	Nagar Nigam/ Development Authorities	Information is awaited
iii)	Introduce water fountains at major traffic intersection, wherever feasible	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
iv)	Greening of open areas, gardens, community places, schools and housing societies	90 days	Forest Department	Information is awaited
v)	Blacktopping of metalled road including pavement of road shoulders	180 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vi)	Use of treated effluent of STPs in Pollution Control Measure such as watering of Plants, sprinkling for dust suppression purposes.	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vii)	Wall to Wall pavement for control of dust from road. Design the footpath pavement/tiles having capacity to grow grass in between.	180 days	Nagar Nigam	Information is awaited

(C) Control of emissions from biomass/crop residue/garbage/municipal solid waste burning

SL No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by
--------	---------------	------------------------------	--------------------------------

				Responsible Departments	
i)	Launch extensive drive against open burning of bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc.			Nagar Nigam	DM, Agra directed Nagar Nigam for taking Strict action against defaulters and challans to be imposed on persons found guilty for burning bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc. so as to reduce air pollution.
ii)	Regular check and control of burning of municipal solid wastes and use of fire extinguisher for control of fire in municipal solid waste and bio mass.	90 days		Nagar Nigam	-do-
iii)	Proper collection of horticulture waste (bio-mass) and its disposal following composting-cum-gardening approach			Nagar Nigam	Information is awaited
iv)	Ensure ban on burning of agriculture waste and crop residues and its implementation	180 days		Agriculture Department & U.P. Pollution Control Board	DM, Agra directed Nagar Nigam for taking Strict action against defaulters and challans to be imposed on persons found guilty for burning bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc. so as to reduce air pollution..
v)	Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land.	90 days		Nagar Nigam	Information is awaited
vi)	Establishment of composting pits in Parks/residential societies etc for management of biodegradable waste.	90 days		Nagar Nigam/ADA	Information is awaited

vii)	No plot should be left open more than 02 years and planting of trees must be mandatory on vacant plots.	90 days	Nagar Nigam/ADA	Information is awaited	

(D) Control of industrial emissions

(a) Long Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Conversion of natural draft brick kilns to induced draft using zigzag technique in a phased manner.	360 days	U.P. Pollution Control Board	The representative of Brick kiln association told that Zig-Zag technology is applicable in regions where coal is used as fuel in Brick kilns, while Brick kilns of Agra are using mustard husk (Toori) as fuel. DM, Agra directed clarification should to be taken from CPCB in this regard.
ii)	Installation of Electrostatic precipitators and appropriate air pollution control devices in factory units/industries.	180 days	U.P. Pollution Control Board	RO. Agra informed that there is no-17 category industry established in Agra and the operation foundry industries fall, under small scale and using natural gas as a fuel in the district. No other fuel is allowed in the TTZ. All the air polluting units have installed APCS.

iii)	Development of mobile facility/van for continuous ambient air quality monitoring for different localities.	360 days	Nagar Nigam	Information is awaited
------	--	----------	-------------	------------------------

(b) Short Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Identification of brick kilns and their regular monitoring including use of designated fuel, and closure of unauthorized units	60 days	U.P. Pollution Control Board,	The representative of Brick kiln association told that Zig-Zag technology is applicable in NCR region only where coal is used in Brick kilns, where as in Agra Brick kilns are using Turi as fuel. Illegal Brick kilns should be closed and Brick kiln association should also take necessary action against such defaulter Brick kiln.
ii)	Conversion of natural draft brick kilns to induced draft	120 days	U.P. Pollution Control Board,	As per point no (i)
iii)	Monitoring of industrial emission including real time online monitoring through OCEMS (Online Continuous Emission Monitoring System) and live camera feed and to take action against non-complying industrial units	60 days, and thereafter, regular activity	U.P. Pollution Control Board	One Common Biomedical waste treatment facility unit M/s JRR Waste Management Pvt Ltd, Dharera Agra has already installed OCEMS and is connected to CPCB and UPPCB server.
iv)	Bank guarantee should be taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries. The bank guarantee shall be	60 days, and thereafter, regular activity	U.P. Pollution Control Board	The same will be complied in due course of time.

	forfeited in case of any violation. Verification of these conditions to be carried out by UPPCB/selected Third Party Institutions/Quality control agencies etc.			
v)	Installation of web cams and OCEMS in Grossly Polluting Industries.	60 days	U.P. Pollution Control Board	The same will be complied in due course of time.

(E) Control of air pollution from constructions and demolition activities

Sl No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016. Fine should be imposed on defaulting units.		Urban Development/Development Authorities	The compliance of Construction & Demolition Rules 2016 is mandatory for all contractors, suppliers, builders and fine should be imposed.
ii)	Control measures for fugitive emissions from material handling, conveying and screening operations through water sprinkling, curtains, barriers and dust suppression units;	15 days , and thereafter, continue as regular activity	Urban Development/Development Authorities	RO, Agra informed that CPCB and UPPCB conducted joint inspection of National Highway and issued notice to NHAI not complying the guidelines of Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016.
iii)	Ensure carriage of construction material in closed/covered vessels.		Development authorities/ Regional Transport Department	DM, Agra directed Nagar Nigam and Development Authorities that cement, grit, sand and other construction material should be transported through covered

					vehicles only.	
iv)	Environmental aspects should be included during preparation of master plan for development of city.	Proposed Master Plan for Agra City, 2021	Urban Development/Development Authorities	Information is awaited		
v)	Builders should leave 33% area for green belt in residential colonies. Plantation should be done as per Office order No. H16405/220/2018/02 dated 16.02.2018 available on website of the Board i.e., www.uppcb.com.	Within a reasonable timeframe	Urban Development/Development Authorities/ housing companies	Representative of CREDAL, Shri U.C. Sharma informed that that only 15 % green belt is to be developed by the builders as per the building by-laws. Therefore this matter should be referred to the Government for final clarification.		
vi)	All construction areas must be covered to avoid dispersion of particulate matter	30 days	Nagar Nigam /Development Authorities	DM, Agra directed Development Authorities to impose conditions required for avoiding dispersion of particulate matter while issuing permission for maps of buildings. Cement, sand and other construction material should be transported through covered vehicles and Nagar Nigam should issue notices to Traders Selling construction materials in open. Regular sprinkling of water is required as per norms so as to reduce particulate matter.		

(F) Other Steps to control Air Pollution

(a) Long Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible

			Departments	
i)	Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant etc.	360 days	Nagar Nigam	DM, Agra instructed that Nagar Nigam should take necessary action in this regard. Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant operational at Kuberpur, Agra
ii)	Installation of CAAQMS by polluting units/institutions etc. under "Polluters Pay Principles".	360 days	U.P. Pollution Control Board	Three Automatic Continuous Air Monitoring Stations are proposed. One installed at Nagar Nigam Buildings. Notices Should be issued to polluting units/institutions etc. under "Polluters Pay Principles".
iii)	Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment	Source Apportionment Study is being carried out by IIT Kanpur	U.P. Pollution Control Board	Source Apportionment study is being conducted by IIT Kanpur which is likely to be completed by the end of October, 2019
iv)	Tree Plantation for mitigation of air pollution based open location of pollution sources and Windrose data	360 days	Forest department/Development Authority/IMD/Regional Office & UPPCB	Information is awaited

(b) Short Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Information is awaited
i)	Air Quality Index to be calculated and disseminated to the people through	15 days, and thereafter, continue	U.P. Pollution Control Board,	Necessary action is required from UPPCB

	website and other media (on maximum fortnightly basis for manually operated monitoring stations and real time basis for continuous monitoring stations)	as regular activity		headquarter.
ii)	Establish an Air Quality Management Division at SPCB/PCC Head Quarters to oversee air quality management activities in the State and interact with CPCB	30 days	U.P. Pollution Control Board, Information is awaited	Necessary action is required from UPPCB headquarter.
iii)	Set-up and publicize helpline in the city/town as well as SPCB/PCC HQ for complaints against reported non-compliance	30 days	U.P. Pollution Control Board,	Necessary action is required from UPPCB Head Quarter.
iv)	Engage with concerned authorities on continual basis for maximizing coverage of LPG/PNG for domestic and commercial cooking with target of 100% coverage	30 days	District Supply Officer	Information is awaited
v)	Monitoring of DG sets and action against violations Fine should be imposed on defaulters.	30 days	U.P. Pollution Control Board,	Approximately 15 units mainly hotels were issued notices for conversion of DG sets into Gas Gensets. The conversion is under process.
vi)	Street vendors are to be controlled strictly in respect of removing their wastes and debris before leaving the site of operation	30 days	Nagar Nigam /Development Authorities	Information is awaited
vii)	Complete ban on littering of streets with	30 days	Nagar Nigam	Information is awaited

	municipal solid wastes (MSW). Segregation & source collection at source of MSW to be implemented.		/Development Authorities	
vii)	If Air Quality Index found severe or above grade, ensure availability of masks to public for protection.	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited

In Continuation to the meeting, Regional officer, UPPCB asked all stakeholders/ departments to go through the short term and long term action plan prepared for Agra district and to submit their proposals, budget requirement and schemes to their concerned department at U.P Govt. level.

At last meeting was concluded with the vote of thanks to all the Participants.

J. K. S. S. 19
(District Magistrate)
Agra

P. K. S. S. 19
(Regional Officer)

U.P Pollution Control Board
Agra

Action Plan for Control of Air Pollution in Non-Attainment cities

As on 30.10.2018

1.	Name of the city	:	Agra		
2.	Air Pollution concerns	:	PM ₁₀ , PM _{2.5} , NO _x		
3.	Air pollution levels: annual average for past five years)	:	Annexed as Annexure-1		
4.	Months with high air pollution levels	:			
5.	Draft Action Plan:	:	January, April, May, November, December		
Source group	Action	Implementation period (Short/Mid/Long-term)	Time target for Implementation	Responsible agency(ies)	Compliance Status
Vehicles	1. Restriction on plying and phasing out of 15 years old commercial diesel driven vehicles.	Mid	Dec.18	Transport Department (RTO & RM Transport)	श्री सुधीर कुमार, क्षेत्रीय निरीक्षक (यातायात) द्वारा अवगत कराया कि 15 वर्ष से पुरानी कुल 65 हजार गाड़ियों को नोटिस दिया गया एवं डी-रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है।
	2. Use of only cleaner fuels (CNG/LPG) for Passenger/LCV commercial vehicles.	Mid	June,18	Transport Department (RTO & RM Transport) & Oil companies, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is presently having sufficient CNG dispensing capacity for automotive use. Currently there is only an approx. requirement (equivalent sale) of 60,000 kg/Day for CNG vehicles running in Agra, while GGL has the capacity to dispense 1,42,000 kg/day, which is sufficient to cater the CNG demand in Agra City.
	3. Regular checking of vehicular emission and issue of Pollution under Control Certificate (PUC).	short	April,18	Transport Department & Traffic Police	क्षेत्रीय निरीक्षक यातायात के अनुसार जनपद में कुल-21 पीयूसी है। अपर जिलाधिकारी आगरा ने आगरा में इनकी संख्या बढ़ाये जाने हेतु पेट्रोल पम्प स्वामियों के साथ एक बैठक किये जाने हेतु सभाीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। परिवहन विभाग से कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण रोष व्यक्त किया गया है।
	4. Good traffic management including re-direction of	Mid	July,18	Traffic Police & ASCL	बैठक में विजली घर के घाँसहे पर हो रहे जाम की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। पुलिस (यातायात) विभाग से कोई भी

traffic movement to avoid congestion.					उपस्थित नहीं हुआ।
5. Ban on registration of Diesel driven auto-rickshaw /Tempo.	Short	April, 18	Transport Department (RTO)	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि डीजल से चालित आटोरिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.06.2018 से बन्द है।	
6. Promotion and operationalization of E-rickshaw.	Mid	June, 18	Transport Department (RTO)	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अगरा में लगभग 250 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड है। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन एवं एसेम्बलड ई-रिक्शा का संचालन बन्द कराया जाये।	
7. Development of Multi-layer parking.	Long	Dec. 19	Agra Municipal Corporation, Agra Development Authority & District Administration	मुख्य अभियन्ता, अगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में कोई मल्टी-लेयर पार्किंग प्रस्तावित नहीं है।	
8. Checking of fuel adulteration	Short	April, 18	Supply Department & Oil company	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।	
9. Monitoring on vehicle fitness.	Short	April, 18	Transport Department & Traffic Police	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित प्रतिनिधि को फिटनेस से सम्बंधित स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	
10. Periodic calibration test of vehicular emission monitoring instrument.	Short	April, 18	Transport Department	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।	
11. Shifting of Transporters from Hathighat to Transport Nagar.	Long	Dec. 18	Transport Department (RTO & RM Transport)	ट्रान्सपोर्ट नगर के रोड आदि विकास कार्यों के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं अपर नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है एवं तत्सम्बन्धी योजना पर कार्यवाही की जा रही है।	
1. Mechanical Sweeping of road dust.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, NHAI	सयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि ताजमहल सहित 12 मुख्य मार्गों पर कुल-04 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा रोड डस्ट की सफाई की जा रही है।	

Road
Dust

2. Water spraying on road through tankers.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, NHAI	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि उक्त 04 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के साथ कुल-06 टैंकर का प्रयोग बाटर स्प्रेडिंग हेतु किया जा रहा है।
3. Construction of pucca pavement along the roads.	Mid	Dec. 18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, ASCL	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि पालीवाल पार्क के पास पक्का पेवमेंट का कार्य कराया जा रहा है।
4. Tree plantation along the roads.	Long	Aug. 19	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, NHAI, PWD	सम्बन्धित विभागों से प्रगति आख्या वांछित है।
5. Development of green belt in open areas, gardens, parks/ community places, schools & housing societies.	Long	Aug. 19	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra - Development Authority, FOREST, UPSID C	सम्बन्धित विभागों से प्रगति आख्या वांछित है।

Construction activities						
Construction activities	1. Covering of construction site.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में टोस कार्यवाही न होने पर रोष व्यक्त किया गया। सिकन्दरा स्थित मण्डी के सामने, इनर रिंग रोड एवं आवास विकास में निर्माणाधीन इमारतों से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया।	
	2. Transportation of construction materials like sand, soil, stone chips etc. in covered system.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, Transport Department, District Adm. & Traffic Police, CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में टोस कार्यवाही न होने पर रोष व्यक्त किया गया। जनपद आगरा में प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर कैमरा लगाये जाने, जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु Do's & Dont's सम्बन्धी होर्डिंग लगाये जाने के निर्देश दिये गये।	
	3. Restriction on storage of construction materials along the road.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, CREDAI	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में 15 चालान किये गये हैं एवं ₹0.1 लाख का जुर्माना आरोपित किया गया।	
Biomass and Garbage	1. Restriction on open burning of municipal solid waste, Biomass, plastic, horticulture waste Crop residue etc and Fines to be imposed	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, Agriculture Department - Agra, Department of Revenue	नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-08-2018 से 31-08-2018 तक कुल-27.04 कि०ग्रा० जल की गयी एवं ₹0.60*100/- मात्र का जुर्माना आरोपित किया गया है। कूड़ा-करकट जलाये जाने के सम्बन्ध में विवरण वांछित है।	

	2. Proper collection and segregations of municipal solid waste and horticulture waste (bio-mass) and its disposal following composting-cum-gardening approach.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation	नगर निगम स्तर से विवरण वांछित है।
	3. Transportation of municipal solid wastes, construction materials and debris in covered system.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि कुल-122 वाहनों द्वारा सॉलिड वेस्ट का व्यवस्थापन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
	4. Establishment of waste to energy plant at Landfill site to avoid scattered burning of municipal solid waste	Long	April, 2020	Agra Municipal Corporation	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में Ad-hoc moratorium लागू होने के कारण वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना पर रोक प्रभावी है।
	1. Ensuring installation and operation of air pollution control devices in industries with reference to NO _x .	long	-	UPPCB/ MoEF&CC	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नेचुरल गैस आधारित उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के रूप में डेटस्कबर आदि की स्थापना की गयी है एवं इनका निरन्तर किया जा रहा है।
	2. Ensuring emission standards in industries with reference to NO _x .	long	-	UPPCB/ MoEF&CC	-तदैव-
	3. Adoption of cleaner technology like zig-zag in brick kilns by April, 2019.	Mid	April, 19	UPPCB	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त ईंट भट्टों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी है।
	4. Shifting of polluting industries to conforming zone.	Long	Dec. 19	UPPCB / Industry Department/ District Administration	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस बिन्दु को जनपद आगरा हेतु तैयार किये जा रहे विजन डॉक्यूमेंट में समावेशित किया गया है एवं विचारशील है।
	5. Ban on polluting industries and use of fossil fuel.	Short	April, 18	DVVNL, Torrent Power Ltd.	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन के सहयोग से अनवरत रूप से कोयला/कोक

Industries

					<p>प्रयोग करने वाली इकाईयों मुख्य रूप से पेठा इकाईयों को बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</p>	<p>UPPCB, Industry Department, District Administration</p>
6. Restriction on new polluting industries	Immediate				<p>अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 टोरेन्ट पावर लि0 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना विद्युत संयोजन न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जिला उद्यम एवं प्रोत्साहन केन्द्र को प्रदूषण से सम्बन्धित अनापत्ति निर्गत नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>DVVNL, Torrent Power Ltd, UPPCB & Industry Department</p>
7. Shifting of Petha units to Kalindi Vihar	Long	Dec.19			<p>मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि कालिन्दी विहार में प्लॉटस का चिन्हांकन किया गया है। कालिन्दी विहार में पानी की क्वालिटी की समस्या होने के कारण गंगा वाटर उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।</p>	<p>UPPCB, District Administration, Agra municipal Corporation, ADA</p>
8. Shifting of electroplating units from residential area to dedicated area eg. Rahankalan, Lakhanpur	Long	Dec. 19			<p>क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाईयों को रहनकला में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तावित कॉमन एप्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं Ad-hoc moratorium के दृष्टिगत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>UPPCB Torrent Power Agra municipal Corporation, District Administration.</p>
9. Ban on Hot Mix Plants	Short	April 18			<p>क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में समस्त हॉट मिक्स बन्द है। यद्यपि गैस बेस्ड हॉट मिक्स प्लान्ट के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन विचारार्थन है।</p>	<p>District Administration, UPPCB, PWD, NHAI, Agra Development Authority</p>

Strengthening of Air Quality monitoring	1. Installation of Three CAAQMS at Agra a. Establishment of CAAQM Stations with PM2.5 sensor and connecting the same with the National AQI Portal.	Mid	Aug.18	UPPCB & CPCB	One CAAQMS is Already Installed at Nagar Nigam Office. However one more CAAQMS has been proposed by CPCB.
	b. Source apportionment study to be performed for the city with some agency of national repute.	Mid	Aug 18	UPPCB/ AGRA Development Authority / CPCB	प्रभावी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलगत कराया गया कि जनपद आगरा में व्याप्त वायु प्रदूषण के दृष्टिगत आईआरडीटी, कानपुर द्वारा Source apportionment स्टडी की जा रही है।
Public Awareness	1. Issue of advisory to public for prevention and control of air pollution	Short	April, 18	UPPCB & Ministry of Environment, U.P.	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु Do's & Dont's सम्बन्धी होर्डिंग मुख्य स्थलों सहित स्कूलों में लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
	2. Involvement of school and other academic institution in awareness program.	Mid	Aug.18	UPPCB DIOS BSA CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेली के माध्यम से स्कूलों में जागरूकता बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

Others						
1. Conversion of diesel generator sets to gas based in city and action against violation	Long	April, 20	Electrical Safety Department, Department of Factories, UPPCB & GAIL, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is having sufficient gas availability to fulfill the requirement of gas generators in Agra and accordingly GGL is expanding its pipeline infrastructure to provide the same.		
2. Ensuring use of cleaner fuel like gas instead of coal, upla etc. for commercial purposes.	Long	Dec. 20	District Administration, & Agra Municipal Corporation, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is already connected PNG to 78 Nos. of commercial customers in Agra city and plan to connect when they approach to GGL for the same.		
3. Help line to oversee non compliances on aforesaid issues.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, UPPCB, District Administration	वर्तमान में हेल्प लाइन उपलब्ध नहीं है।		

	4. Afforestation and Plantation to reduce carbon footprint in city and in Industrial areas	Long	April, 20	Commissioner Agra, District Administration, Agra Municipal Corporation, U.P., Housing And Development Board and Agra Development Authority, District Industrial Center, Industries, UPSIDC UPPCB	इस सम्बन्ध में विभागों से प्रगति वाञ्छित है।
--	--	------	-----------	---	--

10. **Monitoring mechanism for implementation:** The aforesaid action plan shall be implemented by Uttar Pradesh State Pollution Control Board with co-ordination of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Central Pollution Control Board, CREDAI NHAI, GAIL, Green Gas Ltd, Department of Environment and Forest, Govt. of Uttar Pradesh, Urban Development & Housing Department, Transport Department, Agra Municipal Corporation, Traffic Police, DVVNL, TORRENT POWER LTD, Electrical Safety Department, Industries, DIOS, BSA and District Administration. Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall regularly review the implementation of aforesaid action plan.



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1917 / 665 / 2023

दिनांक - 06 / 12 / 2023

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. उपायुक्त (घातायात), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियंता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस्०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा-इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा आयरन फाउण्ड्री एसोसियेशन, 88-नार्थ विजय नगर कालोनी, आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फैंक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, 52-ए औद्योगिक आस्थान-नुनिहार्ड, आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फैंक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, ई-121, साईट-सी, सिकन्दरा, आगरा।

विषय- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के मासिक अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जयगत कारना है कि ताज ट्रीपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण, आगरा की 61वीं बैठक दिनांक 06.09.2023 के कार्यवृत्त में एजेण्डा बिन्दु संख्या-06 के बिन्दु संख्या-(1) में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी०टी०जे० प्राधिकरण, आगरा द्वारा निर्देशित किया गया कि "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा आवश्यक अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्टडी में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑप्शन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर अपेक्षित अनुपालनीय कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों से सुनिश्चित करायी जाये, जिसकी समीक्षा जिला पर्यावरण समिति की नियमित बैठकों में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अनिवार्य रूप से की जाये। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा जिला पर्यावरण समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित समय पर सुनिश्चित कराया जायेगा। समिति की सस्तुतियाँ टी०टी०जे० प्राधिकरण की बैठकों में भी प्रस्तुत की जायें।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालनीय बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०टी० roagra@uppcb.in एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जाने कृप्य करें, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टी०टी०जे० प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय

ugh
6/11/23

(डा० विश्वनाथ शर्मा)

OK क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ugh

क्षेत्रीय अधिकारी

OK *ugh*
23



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1226 / 04-665 / 2023

दिनांक - 08 / 09 / 2023

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा आयरन फाउण्ड्री एसोसियेशन, 88-नार्थ विजय नगर कालोनी, आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फ़ैक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, 52-ए, औद्योगिक आस्थान-नुनिहाई, आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फ़ैक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, ई-121, साईट-सी, सिकन्दरा, आगरा।

विषय: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1526 / ओजी-665 / 2023 दिनांक 15.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से तैयार कराये गये-Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study Report में वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु Control Option and Action Plan for City of Agra प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, किन्तु कुछ विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।


कृ०प्र०उ०

अवगत कराना है कि आयुक्त/अध्यक्ष महोदया, टी०टी०जेड० प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.09.2023 को सम्पन्न टी०टी०जेड० प्राधिकरण की 81वीं बैठक में निर्देश दिये गये है कि आई०आई०टी० कानपुर की रिपोर्ट पर विभागों द्वारा किये जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति टी०टी०जेड० प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जाये।

तत्कम में आपसे अनुरोध है कि आई०आई०टी० कानपुर द्वारा की गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study में दिये गये Control Option and Action Plan for City of Agra के अनुसार की गई कृत कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० roagra@uppcb.in एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जाने कष्ट करें, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टी०टी०जेड० प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डा० विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदया, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


8/9/23

क्षेत्रीय अधिकारी

dc

सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
5. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. सन्मागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।

विषय:-राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 706/ओजी-665/2022 दिनांक 30.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से-Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु आपके विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।


उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० roagra@uppecb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।


जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, आगरा।
4. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
6. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
8. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा-इटावा खण्ड।
12. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
13. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।

विषय:- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक सं०-348/ओजी-665/2022 दिनांक 22.06.2022 एवं ई-मेल दिनांक 18.08.2022 तथा दिनांक 27.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ड्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक उत्तरदायी विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ड्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० roagra@uppcb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नवनीत सिंह चहल)

जिलाधिकारी,

आगरा

92

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी,

आगरा

92

**Action Taken Report in IT Source Appointment Study
Control Options and Action Plan for City of Agra**

Updated up to December -2023

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Hotels/ Restaurants	Restaurants of sitting capacity more than 10 should not use coal and shift to electric or gas-based appliances.	Agra Municipal Corporation	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized.
	Link Commercial license to clean fuel	Agra Municipal Corporation, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized. They are advised to use clean fuel like LPG.
	Ash/residue from the tandoor and other activities should not be disposed near the road side.	Agra Municipal Corporations	1 year	Ash/residue does not found near the road side, as restaurants/dhabas are using gas tandoor. Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if Ash/residue found penalty is imposed and coal is seized.
Domestic Sector	LPG to all. Stums are using wood as cooking fuel.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 298345 Ujjawala Gas Connection are provided to Slums for cooking fuel.
	By 2030, city may plan to shift to electric cooking or PNG.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 79783 PNG connections are provided.
Municipal Solid Waste (MSW) Burning	Any type of garbage burning should be strictly stopped.	Agra Municipal Corporation	Immediate	Green Gas:- Green gas Ltd has layed piped natural gas (PNG) line in 80% area of the city. Rest pipe line laying is in process. Process of house hold connections are in progress.
	Surveillance is required that hazardous waste goes to TSDF.	Agra Municipal Corporation, UPFCB		N.N:- नगर निगम द्वारा वन चं-619/D/EE/2023 दिनांक 27.12.2023 ई अवगत कराया गया। 1. सड़क को जलने से रोकें जाने हेतु कचरा सफाई एवं बाघ निरीक्षकों को निर्देशा दिये गये हैं एवं किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होने पर आम बुझाने की त्तरित कार्यवाही की जाती है।
	Desilting and cleaning of municipal drains	Agra Municipal Corporation		2. नगर निगम से पूर्व कचरा गालों की सफाई का कार्य कराया जा चुका है।
	Waste burning in Industrial area should be stopped.	UPSIDC, UPFCB		3. नगर निगम द्वारा जनजागरूकता की कार्यवाही वर्तमान में रेली, सोशल मीडिया एप्लिकेशन रेडियो, मैगर्ल आदि से मकान से कार्यवाही की जा रही है।

<p>UPPCB:-1. Regular Monitoring is being done in industrial areas to stop waste burning. No evidence has been observed of waste burning in industrial areas. 2. Sensitizing childrens in schools through debates, workshops and literature distribution on various aspects regarding abatement of pollution.</p>			<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023. The process of Wet suppression is followed on daily basis at under construction service road site at Deori near Rohita canal. All the building material is covered at site by green net. The surrounding roads are being regularly sprinkled by tanker since the work started. N.N:- नगर निगम अग्रा पत्र सं-019 /D/E/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 13 गडर सिंकलर वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कलस्वल्प धरु गुणवत्ता में सुधारणक सुधार परिलक्षित हो रहा है।</p>
<p>Daily, Monthly mass balance of MSW generation and disposal</p>	<p>Agra Municipal Corporation</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No such large construction sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Being Following</p>
<p>Sensitize people and media through workshops and literature distribution.</p>	<p>Agra Municipal Corporation, UPPCB and NGO</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per norms :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p>
<p>Wet suppression</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>		
<p>Wind speed reduction (for large construction site)</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>		
<p>Construction and Demolition</p>			

<p>Enforcement of C&D Waste Management Rules. The waste should be sent to construction and demolition processing facility</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD, UPMRC</p>	<p>UPMRC:- द्वारा पत्र सं०-यूपीएमआरसीओ/आगरा मेट्रो/2023/290 दिनांक 16.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि यूपीएमआरसीओ, आगरा मेट्रो द्वारा यह पुनर्निर्माण किया गया है कि मासिक एकलन टैकन रिपोर्ट की हार्ड प्रतिलिपि प्रति माह क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त रिपोर्टिंग प्रतिलिपि अनुलग्नक-2 में आपके सादर अवलोकन हेतु संलग्न कृतो हुये प्रेषित है। यूपीएमआरसीओ, आगरा मेट्रो कार्यस्थल में वायु गुणवत्ता (एयुजिटिव डस्ट एनिशन) को संश्लिष्ट रखने के लिए किये गये प्रवास निर्धारित है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- मेट्रो कार्य स्थल में वाटर रिजिस्ट्रेशन। 2- मेट्रो कार्य स्थल में सौ मेटेरियल को ढककर रखना। 3- मेट्रो निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त यानों को कवर्स कर संचाहित करना तथा सौ एण्ड डी संयुचित निस्कारण। <p>यूपीएमआरसीओ, आगरा मेट्रो डस्ट निटिगेशन के महत्व से पूर्णतः अवगत है एवं इसके अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्य किये गये तथा नक्षिय में भी चुनिशित किये जायेगे ताकि आगरा मेट्रो निर्माण क्षेत्र में परिसर्रीय वायु गुणवत्ता संरक्षित रहे। इस विषय पर आपका सादर सहयोग एवं सहसर्जन सराहना योग्य है।</p>
<p>Proper handling and storage of raw material: covered the storage and provide the wind breakers.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>N.N:- नगर निगम आगरा द्वारा पत्र सं०-519/D/EE/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क पर नलवा ढालने वाले लोगों के विरुद्ध पुनर्नामा पट्टुलने की कार्यवाही की जाती है। नगर निगम द्वारा कुबेरपुर स्थल पर 5 टीपीडी क्षमता का सौ एण्ड डी वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्र संचाहित है। इसके साथ ही 150 टीपीडी क्षमता के प्रोसेसिंग संयंत्र हेतु भी स्थल को विन्दाकन कर कार्यवाही प्रगति पर है। की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।</p>
<p>Vehicle cleaning and specific fixed wheel washing on leaving the site and demping down of haul routes.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the loose material is covered by green net at site and sprinkled regularly by tankers. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p>

<p>Convert unpaved roads to paved roads. Maintain Pothole Free Roads.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Around the site all the footpaths are paved by CC either the paved by CC or by grass turfing to maintain pothole free roads. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Roads patch work is going on continuously. N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Agra. Tenders are invited to construct end to end roads under 15th FC and the works at some place are under progress. N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Noted for Compliance. The highway is being maintained as per site requirements. Repair and rectification of pavements/potholes remain in progress under routine maintenance. Photographs are attached.</p>
<p>Implementation of truck loading guidelines; use appropriate enclosures for haul trucks and gravel paving for all haul routes.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the guidelines are being complied related to all truck routes to the site. No dust is spreading in the atmosphere. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not related to PWD N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023.Truck loading guidelines are strictly followed as per directions in letter under reference. N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Plantation has been done as per the target.</p>
<p>Increase green cover and plantation. Undertake greening of open areas, community places, schools and housing societies.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, State Forest Department, PWD National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 - Plantation has been done as per norms. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Instructions being Following प्रजातीय विवेक, सामाजिक वित्तिकी प्रथा, आगरा के पत्र सं-2280/20-1 आगरा, दिनांक 15.12.2023 द्वारा अग्रर करवा गया है। जनपद के अंतर्गत हरिदिना में बडोलाडी के तिवे वन विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत आगरा जनपद में वन विभाग 1288874 एवं अन्य विभाग 3737066 कुल 5025830 पौधों का रोपण किया गया है। यह वृक्षारोपण कार्य Community places, Schools and housing societies etc में भी कराया गया है। N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023.Plantation on Project Highway was/is being done by Concessionaire as per provisions in concession Agreement and maintenance of same is in progress.</p>

vacuum assisted sweeping carried out four times in a month, this will reduce road dust emission by 71%	Agra Development Authority, Agra Housing Board/ADA, Agra Municipal Corporation, National Highway Authority, PWD	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not Related to PWD</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Work order has been issued to hire the 04 new MRS machines on contract basis.</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023 that Concessionaire is using Hydraulic Vacuum sweeper for sweeping of road, water sprinkling to control dust and watering in median/median plants and provide Photographs are enclosed here with for your kind information and record please.</p>
Diesel vehicle entering the city should be equipped with DPF which will bring a reduction of 40 in emissions (This option must be explored once Bharat stage VI file is available)	State Transportation Department	<p>RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. From 1/04/2020 only BS VI vehicle are being registered. BS IV Vehicle have been denied for registration</p> <p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.	State Transportation Department Industrial Associations	<p>UPSIDC- उद्योग सहायक संस्थान लिमिटेड द्वारा यह संकेत दिया है कि 1- आगरा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2019-20 को जारी की गई थी 1- आगरा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2019-20 को जारी की गई थी 2- आगरा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2019-20 को जारी की गई थी 3- आगरा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2019-20 को जारी की गई थी</p>
Industries must be encouraged to use Bharat stage VI vehicles for transportation of raw and finished products	Transport Department, Factory owners' Association	<p>RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. According to ITZ rules 15 years old vehicles (petrol/diesel) have been phased out.</p> <p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023</p> <p>Compliance- Most of Factories seek services of outside commercial vehicles for such transportation this is in Government hand to ban commercial vehicles below BS-VI category and promote battery or electrical operated commercial vehicles for transportation within Agra.</p>

<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/2/2023-24 Dated 14.09.2023 As an added feature and achievement made by our Factory Owner's Association we are happy to inform Esteemed UPPCB that during this monsoon our Association has planted almost 5000 saplings of various trees at an allotted area of 1acre in Industrial Estate, Nandhai space provided by Esteemed DIC, Directorate of Inds., Govt. of U.P.</p>	<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/2/2023-24 Dated 14.09.2023 Further we would like to express our grievance against Agra Nagar Nigam & Traffic Police, Agra where by ANN has out rightly ignored beautification of underneath of Ram Bagh Flyover it is in horrible condition there is garbage dump yard made of such important place that can be well utilised as a small public park or even for parking of auto taxis, there is so much chaos of traffic jam at this major Rambagh crossing traffic police are totally failure to handle the heavy traffic even traffic signals are not functioning and standing as just showpiece since the installation done by Agra Smart City more than three years before. More over UPSRTC buses are still & continue to illegally ply on National Highway-19 at various spot causing severe traffic jam this sheer nuisance activity of UPSRTC has nullified the existence & convenience of flyovers made by NHAI for smooth traffic movement the traffic police of Agra is totally failure to control illegal stoppages, these UPSRTC buses stop on NH-19 just for the pickup & drop of passengers at their own convenient stops, it can be said that NH-19 route in Agra is one of the major bus stand illegally operating at various spot many hundreds & hundreds of passengers are standing and waiting for buses on routed to NH-19 which should be completely stopped but regret to say irrespective of DM strict orders there is no change & progress in this illegal transportation activity carried out by UPSRTC. Also it is high time that UPSRTC must change & switch over its fleet of badly state & ruined condition of diesel passenger buses of more than 10 years old & to be replaced with electrical airconditioned buses for the benefit of long route passengers, after all we have double engine Government in U.P. and also try to make Agra traffic movement in a much needed smooth controlled manner the Traffic Police Officers who are not able to give best of results in performing their duties honestly should be debarred/suspended with immediate effect. We are informing this matter as we aggrieved factory owners very often take this route for to & fro of our factories and everyday we get stuck up in traffic jams on NH-19 as well as at Ram Bagh Crossing underneath of flyover.</p>	<p>2 years</p>	<p>Policy to be decided at State level Authority</p>
			<p>Compliances</p>
<p>Restriction on plying and plying out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.</p>		<p>Control Action</p>	<p>Responsible authorities/agencies</p>
<p>Source</p>			<p>Time Frame</p>

Introduction of cleaner fuels (CNG/LPG) for vehicles.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In Agrn 24 retail outlet are providing CNG as a clean fuel. cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles are available in Agrn ali three wheelers, school buses and commercials vehicles are running by natural gas.
Check overloading: Expedited installation of weigh-in-motion bridges and machines at all entry points to Agra.	Transport Department, Traffic Police, Agra, NHAI, Toll agencies	Immediate	RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023.Total 3847 challans in overloading have been done from 1-apr-23 to 31-oct-23. Currently 3 motion bridges are working in Agra. 1.Koral Toll Plaza 2.Saiyan Toll plaza 3. Fatehabad Toll plaza अगर पुलिस प्रचयुक्त यातायात कमिन्गट जलनय अलनय के पय र्को-अर/एरुओ पीरडी-22/2023 (Action Plan) रिपॉर-07.12.2023 द्वारा अलनय कलनय यय है कि यातायात पुलिस द्वारा अरुओडीरुओ रिपॉर के साथ समय-समय पर अलनय लॉडिंग चार्जों के रिपॉर अलनयन कलनयन करुवारी की जाती है।
Electric/Hybrid Vehicles should be encouraged; New residential and commercial buildings to have charging facilities. Buses should be CNG or Electric.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	Government has given subsidy on electric vehicles as 1. Private 2 wheelers and 4 wheelers: Average subsidy on sale amount for 2 wheelers is 5000 and 4 wheelers is 1 lakh. Also these vehicles have been exempted from Road Tax. 2. Electric E-rickshaws and Auto if manufactured in UP Road Tax Up to 2-3 years exempted. If manufactured outside UP two years exemption. Transport Department - Government has rolled out new EV Policy in which Vehicle purchased and Registered in Uttar Pradesh will be Exempted from road tax
Make a time-bound plan for dipper penetration of electric vehicles (EVs), parallelly effort must be made for charging infrastructure including facilities for swapping the batteries. As a first step, two and three-wheeler should be considered for EVs.	The state of Uttar Pradesh and Agra administration	1 year	Transport Department - EV Dealers are establishing Station at their dealership. also ADA and UPSRTC is also establishing charging Station
Depot spaces should be rationalized to ensure more efficient utilization. Multi-modal, multi-use bus depots to be developed to provide high-class bus services and terminal experience to passengers. Should include well- equipped maintenance workshops. Charging stations shall be set-up.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	RTO:- Related to City transport and UPSRTC
Enforcement of bus lanes and keeping them free from obstruction and encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	ADA :- Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.

	<p>Insure integration of existing metro system with bus services.</p>	<p>Agra Metro Rail Corporation, Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra</p>	<p>1 year</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड वीएचडी-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में कमिश्नरेट में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रचलित है। यातायात पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में आम जनमानस को निजी वाहन के अंधा सिटी बसों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है।</p>
<p>Source</p>	<p>Control Action</p>	<p>Responsible authorities/agencies</p>	<p>Time Frame</p>	<p>Compliances</p>
	<p>Roads rationalizations: Improvement of availability by rationalizing routes and fleet enhancement with requisite modification.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra</p>	<p>1 year</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड वीएचडी-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में बसों के सुचारु हेतु समय-समय पर सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है।</p>
	<p>IT systems in buses, bus stops and control centre and passenger information systems for reliability of bus services and monitoring.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra</p>	<p>1 year</p>	<p>अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड वीएचडी-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा बस स्टॉप पर डी बसों को रोक कर सवारी बैठाने एवं उतारने हेतु समय-समय पर परिवहन विभाग के चालक/परिचालकों को जागरूक किया जाता है। परिवहन विभाग को भी चालक/परिचालकों को निर्दिष्ट बस स्टॉप पर ही बस को रोक कर सवारी चढ़ाने व उतारने हेतु निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है।</p>
	<p>Movement of materials (raw and product) should be allowed between 10 PM to 5 AM.</p>	<p>Transport Department, Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra</p>	<p>1 year</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड वीएचडी-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में जारी बस वाक वाइ-नॉ लेडिंग आदि वाहनों के निरव प्रारं: 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे को एनटी व्यवस्था लागू की गयी है।</p>
<p>Industries and DG Sets</p>	<p>Ensuring emission standards in industries. Shifting of polluting industries.</p>	<p>UPPCB, Industries Department</p>	<p>1 year</p>	<p>As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P(c) 13381/84 (M.C. Mohla Vs Union of India, All the Air Polluting Industries are operational with natural gas/electricity. Random monitoring is being done by UPPCB</p>

<p>Strict action to stop unscientific disposal of hazardous waste in the surrounding area</p>	<p>Municipal council and UPPCB</p>	<p>1 year</p>	<p>In Agra 29 industries are identified which generate hazardous waste during process. All units are disposing their hazardous waste through TSDF. Total Quantity of hazardous waste is 64.039 MT (Landfillable is 50.239 MT, Incinerable is 0.8 MT and recyclable is 13 MT). Regular inspections are being carried out in Industrial areas. No unscientific disposal of Hazardous Waste has been observed.</p>
<p>There should be separate Treatment, Storage, and Disposal Facilities (TSDFs) for hazardous waste.</p>	<p>Industrial Associations, UPSIDC, Industries Department, UPPCB</p>	<p>2 years</p>	<p>As per the information -Dated 14.09.2023 by Factory owner's association, Numbal. There are no Hazardous Waste factories in Industrial Estate, Numbal most of them are listed under white & green category. However as per PCB records orange & red category industries are also operational in Industrial area, Numbal. Orange category industries are using Natural Gas & Electricity, as fuel and does not generate Hazardous waste. Red category industries (electro plating units) has done agreement with TSDF for the disposal of Hazardous waste.</p>
<p>Industrial waste burning should be stopped immediately</p>	<p>Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB</p>	<p>Immediate</p>	<p>There are no such factories burning any industrial waste within Industrial Estate, Numbal. No information has been received, reg. Industrial Waste burning in industrial areas.</p>
<p>Follow best practices to minimize fugitive emission with in the industry premises, all leakage within the industry should be controlled</p>	<p>Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB</p>	<p>Immediate</p>	<p>Yes all factories are strongly following best methods to control such emission and leakages. As per information UPPCB: All air polluting the industries are operational with Natural gas/electricity Efforts are being made by industries to stop Fugitive emission.</p>
<p>Area & road in front of the industry should be the responsibility of the industry.</p>			<p>Yes all factories are well maintaining such area & road.</p>
<p>Industries (Induction Furnace) Recommended Fume gas capturing hood followed by Baghouse should be used to control air pollution</p>	<p>Industrial Associations, UPPCB</p>	<p>2 years</p>	<p>Directions has been given to the Foundry Association to install fume gas capturing hood followed by bag house to control air pollution. As per information UPPCB, Fume hood along with APCS has been installed by foundries.</p>

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Source - Industries & DG Sets Diesel Generator Sets	Strengthening of grid power supply, uninterrupted power supply to the industries The stand by power from DG sets should also be on clean fuel. All industrial DG sets which have gas connections should shift to gas-based generators. The battery-backed UPS/inverters should be considered for other commercial places and hospitals. Renewable energy-based generation should be encouraged.	Factory owner's association, Nunhai. State Energy Department, JVVNL. Industrial Associations, Agra Municipal Corporation, Agra.	2 years	Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023. Yes will ensure all industrial DG set which have gas connections are shifted to gas-based generators. 1. Meanwhile we would like to inform esteemed UPPCB to please expedite release of industrial gas connection pending before GGL-Green Gas Ltd., Agra since last couple of years all gas pipelines have been layed down within industrial Estate, Nunhai but GGL is adopting delayed tactics to start the gas supply many factories have applied for gas connections here and are anxiously awaiting for their connections this will certainly make the environment of industrial estate. Nunhai more eco-friendly and the production cost of finished goods will certainly go down which is very high due to high electricity tariff. 2. As such there is no power break down or any short supply of electricity within industrial Estate, Nunhai it is being well taken care of by Torrent Power Ltd and usage of DG sets is almost negligible.
	Strict action on road side encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporations, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	2 years	As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P(c) 1338/84 (M.C. Mehta Vs Union of India uninterrupted power supply is being provided by DVVNL/Torrent Power Ltd in Agra. The use of DG sets in agra is negligible. As uninterrupted power supply is being provided by DVVNL/Torrent Power Ltd in Agra, battery-backed UPS/Inverters are installed at commercial places and in residential areas. Renewable energy sources such as: solar power is also being encouraged. Foundry industries (cupola and induction furnace) operational in Foundry Nagar and Nunhai industrial areas are using gas based generator. They are using Natural gas as fuel.
				ADA :- Informed by letter number - 165/D/AE/A/IRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable. N.M:- नगर विभाग द्वारा राज राड ४०-५१९/D/BE/2023 दिनांक 27.12.2023 में आवगत शर्तपत्र क्या। नगर विभाग प्रस्ताव दल द्वारा प्रतिदिन शेरदार/गणेश सुकन्या के आधर पर अधिकरण हटवावे जाने की कार्रवाई की जाती है।

<p>Disciplined Public transport (designate one lane stop)</p>	<p>Agra City Transport Services Pvt. Ltd., Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस संपादित यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं0-आर/एस0 पी0डी0-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा नगर निगम एवं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चौपाहा/सिस्टम मार्गों एवं बाजारों में अधिकतम करने वाले ठेल-डकेल, ऑटो रिक्शा एवं दुकानदारों को विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है।</p>
<p>Removal of free parking zone</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस संपादित यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं0-आर/एस0 पी0डी0-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में वाहनों के अनुशासित एवं सुगम संचालन हेतु चौपाहों/सिस्टमों पर यातायात कर्मियों की दृष्टी लगानी जाती है। अतयात निम्नो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध एम.पी. एस. के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है यातायात पुलिस द्वारा रेंड लाइट जन्म करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध एम.पी. एस. के अंतर्गत कुल 4753 वाहनों के चालान किये गये एवं कुल 465000/- रुपये सनशुल्क वसूल किया गया है।</p>
<p>ADA -Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>		<p>अगर पुलिस संपादित यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं0-आर/एस0 पी0डी0-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क वाहनों के विरूद्ध अतयात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अभिनियम के अंतर्गत एवं कर्मों के माध्यम से गैरानिक्त कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा भी पार्किंग में खड़े पाये गये वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर 8235 वाहनों के चालान किये गये एवं 45500/- रुपये सनशुल्क वसूल किया गया। कर्मों द्वारा 245 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर कुल 125700/- रुपये सनशुल्क वसूल किया गया।</p>

Decongestion of Roads at high traffic areas

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Examine existing framework for removing broken vehicles from roads and create a system for speedy removal and ensure minimal disruption to traffic.		Agra Development Authority, City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra.		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अग्रगत कार्रवाया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में संभावित फिटनेस सम्बन्ध वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अभियान के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा फिटनेस सम्बन्ध वाहनों के विरुद्ध कार्रवाही कर ४६० वाहनों के बरतान किये गये एवं ७६००/- रुपये शमनयुक्त वसूल किया गया तथा १६ वर्ष पुराने वाहनों के विरुद्ध कार्रवाही कर कुल १० वाहनों को सीज कर यातायात पुलिस लाइन में राखित किया गया है।
Synchronize traffic movements or introduce intelligent traffic systems for lane-driving.		Agra Development Authority city, Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अग्रगत कार्रवाया गया है कि यातायात कर्मियों को इस्ट्री लगाकर वाहनों को लेन में डी चलाये जाने से सम्बन्ध में सहन बलक/स्वामियों को जानकारी दिया जाता है।
Mechanized multi storey parking at bus stands, railway stations and big commercial areas.		Agra Development Corporations, NHAI, Traffic Police, Agra		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अग्रगत कार्रवाया गया है कि मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण किये जाने की शहर क्षेत्र में अपरकल्पना है।
	Identify traffic bottleneck intersections and develop smooth traffic plan. For example, Loha mandi, Rakshiganj, Korwali, Tajganj, Hari-purwar are the main bottlenecks for traffic.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, Traffic Police, Agra		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०टी०-२२/२०२३ (Action Plan) दिनांक-०७.१२.२०२३ द्वारा अग्रगत कार्रवाया गया है कि शहर क्षेत्र में बोटलनेक को चिन्हित कर उन स्थानों पर यातायात के सुगम संचालन हेतु यातायात कर्मियों की इस्ट्री लगाकर यातायात संसाधनों का प्रयोग कर यातायात को सुव्यवस्थित संवर्धित करवाया जाता है।

<p>Parking policy in congestion area (high parking cost, city centers, only parking is limited for physically challenged people, etc).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, NHAI, Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एसओ 10/20-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अद्यतन कार्रवाई गया है कि राटर में अधिक वीड-बाइ गाले बाजारों में यातायात पुलिस द्वारा प्रत्येक एकमात्र केनीं आदि को प्रणालीगत रखकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करादी जाती है। निश्चित यहन के बाहर खड़े गाड़ों के विपक्ष वैधानिक कार्यवाही की जाती है।</p>	<p>10/20-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अद्यतन कार्रवाई गया है कि यातायात पुलिस कर्मियों की द्यूदी रिजली कर चौराह एवं ईदगाह बीरोडा पर लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करादी जाती है।</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
<p>Bijli Ghar and Idgah Bus Stand causes extreme congestion and increased emissions and should be decongested at priority. It is recommended that the city should relocate these bus stations to outskirts of the city (Biji Ghar may be shifted to trans Yamuna and Idgah may be shifted to near to Pathohi Village, Jaipur Road).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एसओ 10/20-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अद्यतन कार्रवाई गया है कि यातायात पुलिस कर्मियों की द्यूदी रिजली कर चौराह एवं ईदगाह बीरोडा पर लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करादी जाती है।</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>	<p>2-3years</p>
<p>An outer road from Keetham connects to Gwalior Road. This road may be connected to Agra ring road (connecting Yamuna Expressway and Agra-Lucknow express way); this will restrict the movement (within Agra city) of those vehicles destined to Jaipur or Gwalior. The ring road should further extend to the Agra-Jaipur highway.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>अगर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एसओ 10/20-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अद्यतन कार्रवाई गया है कि यातायात पुलिस कर्मियों की द्यूदी रिजली कर चौराह एवं ईदगाह बीरोडा पर लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करादी जाती है।</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>	<p>2-3years</p>
<p>There should be a bypass for heavy vehicles and major godowns should be shifted away from the city at outside areas to prevent the movement of heavy vehicles in the city.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>अगर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एसओ 10/20-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अद्यतन कार्रवाई गया है कि यातायात पुलिस कर्मियों की द्यूदी रिजली कर चौराह एवं ईदगाह बीरोडा पर लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करादी जाती है।</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>	<p>2-3years</p>
<p>The major drains of city (Mantola Drain, Taj East Drain/Kohal Nala, Water Works Drain, Naraich Nala, Bhatro Nala, Nagla Budhai Nala, Anurag Nagar Nala, Peedakhar Nala) should be covered, diverted fully to waste</p>	<p>Municipal Corporation and Agra Development Authority</p>	<p>अगर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जगदर आगरा के पत्र सं-आर/एसओ 10/20-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अद्यतन कार्रवाई गया है कि यातायात पुलिस कर्मियों की द्यूदी रिजली कर चौराह एवं ईदगाह बीरोडा पर लगाकर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करादी जाती है।</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AJRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>	<p>2-3years</p>

<p>Mantola and other major Drains</p>	<p>water treatment plant of tertiary level and then only discharge in river Yamuna or perhaps recycled. This will remove the problem NH₃, H₂S and smell in the city and Taj Mahal area.</p>	<p>2-3years</p>	<p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra, Bio remediation/Phyto remediation on 61 untapped and 06 tapped drains is being done by M/s Sign Age India Pvt Ltd under the supervision of Nagar Nigam, Agra.</p> <p>At present 8 major drains of city i.e. (Mantola Drain, Taj East Drain/Kolhad Nala, Water Works Drain, Naratech Nala, Bhairo Nala, Nagla Budhi Nala, Anurag Nagar Nala, Peshkhar Nala) are Partially tapped. Action is being taken by UP Jal Nigam for tapping of Partially tapped drains. Construction work of 31 mild STP, 35 mild STP & 100 mild STP is under construction at 14 MLD STP Jaganpur, 10 MLD STP Peshkhar and 78 MLD STP Dhandrupura respectively.</p>
<p>Crematoriums</p>	<p>Electric, or gas-based crematoriums should be installed</p>	<p>Municipal Corporation and Agra Development Authority</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-IV/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Electric crematorium has been installed at Mal ka Chabutara, Shabganj area and inaugurated on 22 October 2023. It will be operated by Satyawadi Raja Harishchandra Mokshdham Jimoddhar Samiti. At present electric based crematorium facility is available on two crematoriums (i) Tajganj crematorium (ii) Mal ka chabutara crematorium.</p>
<p>*The above steps should not only be implemented in Agra municipal limits rather these should be extended to up to at least 25 km beyond the Boundary. This will need support from the central government.</p>			

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. उपप्रबन्धक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. अपर पुलिस आयुक्त (यातायात), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (ना/आ), आगरा।
7. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. उप निदेशक कृषि, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
16. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा० लि०, आगरा।
18. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
19. सगरत आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

संख्या: 1831/04-633/23

दिनांक 06 नवम्बर, 2023

विषय:—शीतकाल के दृष्टिगत प्रदेश के नॉन अटेननेप्ट नगरों के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुरूप कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक 1270/ओजी-633/2022 दिनांक 23.09.2023 द्वारा शीतकाल में आगरा शहर के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु Graded Response Action Plan (GRAP) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है। Graded Response Action Plan (GRAP) माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक लागू होने के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 30.09.2023 के द्वारा जनसामान्य हेतु प्रेस विज्ञापित भी जारी की गई है।

मौसम सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे कम तापमान, अत्यधिक आर्द्रता, हवा की कम गति के अतिरिक्त, रोड डस्ट, निर्माण परियोजनाओं द्वारा सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स, 2016, सी०पी०सी०बी० गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हेंडलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल का अनुपालन न किये जाने, वाहनों से जनित प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट एवं कृषि अपशिष्ट को जलाया जाना वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं।

क०प०उ०

जिन पर सम्बन्धित विभागों द्वारा नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। वायु प्रदूषण सूचकांक (Air Quality Index-AQI) के अनुसार सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरण/संस्थाओं द्वारा ग्रेड एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM _{2.5} or PM ₁₀ concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM _{2.5} Level cross 300 µg/m ³ or PM ₁₀ level cross 500 µg/m ³ persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM _{2.5} Level are above 200µg/m ³ or PM ₁₀ levels are above 430 µg/m ³ .
Very Poor	301-400	When PM _{2.5} Levels are between 121-250µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 351-430 µg/m ³ .
Poor	201-300	Poor- When PM _{2.5} Levels are between 91-120 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 251-350 µg/m ³ .
Moderate	101-200	Moderate- When PM _{2.5} is between 61-90µg/m ³ or PM ₁₀ is between 101-250 µg/m ³ .

अतः वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में सुनिश्चित किया जाये। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की डेली एक्शन टेकेन रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई-मेल roagrap@uppcb.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

संलग्नक:- यथोपरि।


06/11/23
(मानु चंद्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी,
आगरा

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त महोदया, आगरा मण्डल, आगरा को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा Graded Response Action Plan (GRAP) की मानीटरिंग जिला पर्यावरण समिति की बैठक में कराना सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


06/11/23
जिलाधिकारी,
आगरा

१०

क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भवन सं. 14, सेक्टर 3 बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

Graded Response Action Plan (GRAP) लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु माई अक्टूबर, 2023 से माई फरवरी, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 प्रेडिक्ट रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत जन सामान्य को वायु गुणवत्ता के प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकारित समीर एप पर देखा जा सकता है।

जन सामान्य को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी की जाती है।

स्टेज-1, एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी माईरिट व खराब श्रेणी (101-300 के बीच) होने पर (1) गार्बेज वर्निंग को रोका जाये। (2) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी.यू.सी. सर्टिफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें। (6) टी.टी.जेड. क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट का समुचित निस्तारण किया जाये। (8) 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलाये। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड ब्रेकिंग-वॉल, ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाये। (10) क्षतिग्रस्त सड़कों को ब्लैक टॉपिंग की जाये। (11) बिल्डिंग निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहन कवर्ड कर संचालित किये जाये। (12) वाहनों के आकस्मिक धुरे की जांच की जाये। (13) बिल्डिंग मेटेरियल पर जल छिड़काव व ठककर रखा जाये।

स्टेज-2 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-बहुत खराब श्रेणी (301-400 के बीच) होने पर (1) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम धौंधाई वाला मार्ग चुनें। (3) टी.टी.जेड. क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) ठोस अपशिष्ट और वायोमैस को न जलाये। (6) चौराहों पर ट्रैफिक कंजेशन को रोका जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग व जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ायी जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये। (8) स्वांस सम्बन्धित मरीज बाहर निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जाये। (11) ईट भट्टों का संचालन बन्द रखा जाये।

स्टेज-3 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (401-500 के बीच) होने पर (1) छोटी दूरी के लिये पैदल चलें व साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (4) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित किया जाये। (5) टी.टी.जेड. क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (6) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जाये। (7) स्वांस तथा प्रदूषण रोगी घर से बाहर न निकले।

स्टेज-4 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर प्रदूषण श्रेणी (500 से अधिक) होने पर (1) बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय एवं फेफड़े से सम्बन्धित या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचे और जितना सम्भव हो घर के अन्दर रहे। (2) भारी वाहन नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनाएँ बन्द हो। (4) बिल्डिंग निर्माण सामग्री की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जाये। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, 30प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, रोक्टर 3वी, आवाय विकास सिकन्दर योजना, आगरा

Graded Response Action Plan (GRAP)

लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में परिवेशीय वायु की गुणता में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 ग्रेडेड रिसपांस एक्शन प्लान के अन्तर्गत जन सामान्य को वायु गुणता के प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित समीर एप पर देखा जा सकता है।

जन सामान्य को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी की जाती है।

स्टेज-1 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी माईरेट व खराब श्रेणी (101-300 के बीच) होने पर

- (1) गाबेंज वर्निंग को रोका जायें (2) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें। (6) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट का सन्तुचित निस्तारण किया जाये। (8) 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलाये। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड ब्रेकिंग वॉल, ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाये। (10) क्षतिग्रस्त सड़कों को ब्लैक टॉपिंग की जाये। (11) बिलडिंग निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहन कवर्ड कर संचालित किये जाये। (12) वाहनों के आक्स्मिक धुरे की जाँच की जाये। (13) बिलडिंग मैटेरियल पर जल छिड़काव व ढककर रखा जायें।

स्टेज-2 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - बहुत खराब श्रेणी (301-400 के बीच) होने पर

- (1) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुने। (3) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) टोस अपशिष्ट और बायोमास को न जलाये। (6) चौराहों पर ट्रैफिक कंजेशन को रोका जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग व जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ायी जाये तथा एन्टी स्मॉगन संचालित की जाये। (8) रॉस सम्बन्धित मरोज बाहर निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जायें। (11) ईट भट्टों का संचालन बन्द रखा जाये।

स्टेज-3 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (401-500 के बीच) होने पर

- (1) छोटी दूरी के लिये पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (3) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगन संचालित किया जाये।

- (4) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (5) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जायें। (6) स्वांस तथा हृदय रोगी घर से बाहर न निकले।

स्टेज-4 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - गंभीर प्लस श्रेणी (500 से अधिक) होने पर

- (1) बच्चे, बुजुर्ग और ब्रह्मसन्, हृदय एवं फेफड़े से सम्बन्धित या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचे और जितना सम्भव हो घर के अन्दर रहें। (2) भारी वाहन नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनाएँ बन्द हो। (4) बिलडिंग निर्माण सामग्री की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जाये। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगन संचालित की जाये।

- क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1279/ओजी-633/2022

दिनांक - 23/09/2023

महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. अपर पुलिस आयुक्त (यातायात), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (ना०/आ०), आगरा।
7. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. उप निदेशक कृषि, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
16. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा० लि०, आगरा।
18. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
19. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

विषय : आगामी शीतकाल के दृष्टिगत प्रदेश के नॉन अटैनमेण्ट शहरों में वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुरूप प्रस्तावित कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1014/81-7-2021-09 (रिट)/2016 टी०सी० दिनांक 20.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शीतकाल के दौरान मौसम सम्बन्धित परिस्थितियाँ जैसे कम तापमान, अत्याधिक आर्द्रता, हवा की कम गति एवं कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने आदि के कारण परिवेशीय वायुगुणता में अत्याधिक गिरावट आने तथा शीतकाल के दौरान (माह अक्टूबर से माह फरवरी तक) वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत प्रदेश के नॉन अटैनमेण्ट शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, नोएडा (गौतमबुद्धनगर), गाजियाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा (बुलन्दशहर), मुरादाबाद, रायबरेली, गजरौला (अमरोहा), अनपरा (लोनमद), गोरखपुर एवं मेरठ में ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे, जोकि इस वर्ष भी आगामी शीतकाल में लागू किया जाना है, जिसमें वायुगुणता सूचकांक (AQI) के अनुसार वायु प्रदूषण का स्तर 48 घंटे तक यथार्थिती होने पर समस्त सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरण/संस्थाओं द्वारा एक्शन प्लान के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जानी है।

क०प०स०

वायुगुणता सूचकांक (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM _{2.5} or PM ₁₀ concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM _{2.5} Level cross 300 µg/m ³ or PM ₁₀ level cross 500 µg/m ³ persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM _{2.5} Level are above 200µg/m ³ or PM ₁₀ levels are above 430 µg/m ³ .
Very Poor	301-400	When PM _{2.5} Levels are between 121-250µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 351-430 µg/m ³ .
Moderate to Poor	201-300	Poor- When PM _{2.5} Levels are between 91-120 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 251-350 µg/m ³ .
	101-200	Moderate- When PM _{2.5} is between 61-90µg/m ³ or PM ₁₀ is between 101-250 µg/m ³ .

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा की परिवेशीय वायुगुणता (Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसका अनुश्रवण आप द्वारा अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर किया जा सकता है।

वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन आगामी शीतकाल में किया जाना अति-आवश्यक है तथा समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार स्वतः कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की दैनिक आख्या (Daily Action Taken Report) क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के E-Mail-roagra@uppecb.in पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित की जानी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि दैनिक रूप से की जाने वाली कृत कार्यवाही की आख्या (Daily Action Taken Report) प्रत्येक दिन साय 04:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें जिससे कि विभागों की Daily Action Taken Report संकलित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1/वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या : 1122 / 06-633/22

दिनांक : 02/11/2022

कार्यालय-आदेश

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-एन.जी.टी.-341/81-7-2022 दिनांक 28.09.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रभावी अनुपालन हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) 01 अक्टूबर, 2022 से ए०ब्यू०आई० का स्तर 200 से अधिक होने पर लागू है, जिसका अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये। शीत ऋतु में सम्भावित बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत प्रभावी रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

क्र० सं०	अनुपालनीय कार्यवाही के बिन्दु	उत्तरदायी विभाग
1-	1. म्यूनिसिपल पॉलिड वेस्ट/गॉर्बेज बर्निंग/वेस्ट लेदर कटिंग की बर्निंग आदि न होना सुनिश्चित किया जाना। नगर निगम द्वारा लेदर कटिंग से संबंधित कूड़े का शत-प्रतिशत कलेक्शन व निस्तारण सुनिश्चित किया जाये जिससे लेदर कटिंग के जलाने की संभावना ही न रहे। 2. आगरा शहर में खुले में निर्माण सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्री का भण्डारण विक्रेताओं द्वारा सड़क से 10 मी० की दूरी के उपरान्त ही किया जाये। 3. आगरा शहर के मार्गों से रोड डस्ट को हटाया जाये। 4. आगरा शहर के मुख्य मार्गों की रोड डस्ट को मैकेनिकल स्वीपिंग द्वारा साफ कराया जाना सुनिश्चित किया जाना तथा अन्य छोटे मार्गों एवं गलियों में पानी का छिड़काव कर मैनुअल स्वीपिंग करायी जाये एवं एकत्रित रोड डस्ट/कूड़े को झाड़ू से न हटाकर यथासंभव हाथों से उठाकर उसका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। 5. आगरा शहर के मुख्य मार्गों पर एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से सड़कों व पेड़ों की धुलाई सुनिश्चित कराया जाये।	आगरा नगर निगम
2-	6. नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित मार्गों के किनारे रोड डस्ट से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 15 दिन के अन्दर तीन सबसे अधिक रोड डस्ट वाले मार्गों पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	नगर निगम/ आगरा विकास प्राधिकरण/ लोक निर्माण विभाग/
3-	7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा-फरीदाबाद खण्ड एवं आगरा-इटावा खण्ड द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत एन०एच०-19 की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में सड़क व पेड़ों की धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
4-	8. उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो०लि० द्वारा आगरा शहर में विकसित की जा रही आगत मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणाधीन कार्यस्थलों जैसे-मेट्रो डिपो, कास्टिंग यार्ड, कट एण्ड कवर एरिया, रामलीला ग्राउण्ड, आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन, आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन, राजा की मण्डी मेट्रो स्टेशन, आर.बी.एस. कॉलेज मेट्रो स्टेशन, मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन आदि पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूलर, 2016 एवं सी.पी.सी. बी.गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मेटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट-2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो० लि०
5-	9. आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इनर रिंग रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में इनर रिंग रोड की (रैलिंग सहित) धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	आगरा विकास प्राधिकरण
	10. आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत किये गये/किये जाने वाले मानचित्रों में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा विशेष रूप से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-21/2014 (वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 10.04.2015 को पारित आदेश में उल्लिखित निर्देशों जैसे-निर्माणाधीन भवन के चारों ओर तारपॉलीन लगाना, सड़क के किनारे निर्माण सामग्री एकत्रित न करना, धूल से बचाव के लिये छिड़काव/धुलाई आदि कराना, विण्ड ब्रेकिंग वॉल बनाना आदि का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। साथ ही निर्माण स्थल पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूलर-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन	

	हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट-2017 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	
6-	<p>11. समस्त कार्यवाही संस्थाओं द्वारा निर्माण स्थल पर इस प्रकार बाटर डिफिकिंग सुनिश्चित करायी जाये, जिससे कि निर्माण स्थल पर धूल निट्टी सदैव गीली रहे तथा किसी भी समय धूल न उड़े। दिन में मात्र दो-तीन बार छिड़काव कराकर कार्य की इतिश्री न की जाये। साथ में सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिंगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट-2017 के अनुपालन के साथ निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये-</p> <p>(i) Construction material should be covered by a sheet made of either jute tarpaulin, plastic or any other effective material.</p> <p>(ii) Trucks/lorries should not be over loaded to avoid overflow of material (C&D wastes/construction material) during transportation.</p> <p>(iii) The unloading activities of construction material at site/off site to ensure the dispersal of dust borne particles are minimized by either location of dumpsite or using water sprinklers or covered by a sheet made of either jute, tarpaulin, plastic or any other effective material.</p> <p>(iv) All areas for storing C&D wastes / construction material to be demarcated and preferably barricaded particularly those materials that have potential to be dust borne.</p> <p>(v) Dry sweeping of work areas to be prohibited.</p> <p>(vi) Smooth movement of incoming & out going vehicles / trucks.</p> <p>(vii) Wind breaking walls around construction site.</p>	समस्त कार्यवाही संस्था
7-	<p>12. आगरा शहर के अन्दर मुख्य मार्गों एवं व्यावसायिक क्षेत्र के मार्गों में वाहनों के जाम की स्थिति एवं अतिक्रमण पर नियंत्रण किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाये एवं सतत् निगरानी/अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।</p> <p>13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक सैफिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया जाये, जिसके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स (ए0क्यू0आई0) अधिक होने पर यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>14. आर0टी0ओ0 एवं यातायात पुलिस द्वारा आगरा शहर में 15 वर्ष पुराने वाहनों को जाब फरने की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।</p> <p>15. आगरा शहर में संचालित वाहनों का पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट चैक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p> <p>16. सभी निर्माण सामग्री एवं मलबे को पूर्णरूप से ढक कर ही ट्रक/वाहनों से परिवहन किया जाये जिससे कि निर्माण सामग्री का मलबा किसी भी रूप में वातावरण में विसरण न करे।</p> <p>17. निर्माण सामग्री एवं किसी भी प्रकार के मलबे को परिवहन करने वाले वाहनों को सामग्री उतारने के पश्चात पूर्ण रूप से साफ कर ही सड़क पर चलने की अनुमति दी जाये।</p> <p>18. आगरा शहर के अन्दर निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों/भासी वाहनों को प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रवेश निषेध का अनुश्रवण पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>19. आर0टी0ओ0 द्वारा आगरा शहर में संचालित पी0यू0सी0 सेन्टर्स का नियमित अनुश्रवण किया जाये।</p>	पुलिस अधीक्षक (यातायात)/ आर0टी0ओ0
8-	<p>20. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण किया जाये एवं अवैध वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का विद्युत/जल संयोजन जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के सहयोग से विच्छेदित कराया जाये।</p> <p>21. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी बन्दी आदेशों का अनुपालन कराया जाये।</p> <p>22. औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत् निगरानी की जाये। गैर अनुमन्य ईंधन का उपयोग पाये जाने पर उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p>	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
9-	23. जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा कोल/कोक/लकड़ी/लेदर कटिंग का	जिलाधिकारी/

	पेठा इकाईयों में प्रयोग न होने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। 24. शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट एवं डार्बों पर कोयले के स्थान पर गैस तन्दूर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाये। 25. रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन द्वारा कालोनी के सुरक्षा कर्मियों को हीटर उपलब्ध कराया जाये। किसी भी दशा में शीलकाल में अलाव का प्रयोग न किया जाये।	अपर जिलाधिकारी (नगर)
10-	26. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा आगरा में निर्बिध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० / टोरण्ट पॉवर लि०
11-	27. नगर में संचालित ई-बस सेवा एवं परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसें निर्धारित स्टॉपेज के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर न रोकयी जायें।	परिवहन निगम / आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने मोबाईल पर आगरा शहर के एयर क्वालिटी इण्डेक्स की मानीटरिंग हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप (Sameer App) को डाउनलोड किया जाये एवं उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक घंटा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स में वृद्धि परिलक्षित हो, उस क्षेत्र में सम्बन्धित विभागों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये। अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कृत अनुपालनीय कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उनके ई-मेल roagra@appcb.in पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी। आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा हेल्प लाइन नं०-0562-2551800 सुचारु रूप से संचालित किया जाये, जिस पर जनसामान्य द्वारा उपरोक्त कारणों से ए०क्यू०आई० में वृद्धि होने पर शिकायत दर्ज करायी जायेगी।

(अमित गुप्ता)
मण्डलायुक्त।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. चरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
7. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम/आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लि०, आगरा।
9. सभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. उप आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, आगरा।
11. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
13. प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
14. परियोजना निदेशक, मा०रा०रा०प्र०, आगरा/फरीदाबाद।
15. निदेशक, उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो०लि०, आगरा।
16. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
17. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
18. प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, आगरा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा।
20. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, आगरा।
21. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरण्ट पॉवर लि०, आगरा।

(अमित गुप्ता)
मण्डलायुक्त।



पत्रांक - (18) /ओजी-833/2022

दिनांक - 23/09/2022

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक(यातायात), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उ० आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य शिक्षित्साधिकारी, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
15. वैसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
16. उ० निदेशक कृषि, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा० लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
21. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
23. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

विषय : आगामी शीतकाल के दृष्टिगत प्रदेश के नॉन अटैनमेण्ट नगरों के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुरूप प्रस्तावित कार्ययोजना का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1014/81-7-2021-09 (रिट)/2018 टी०सी० दिनांक 20.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शीतकाल के दौरान मौसम सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे कम तापमान, अत्यधिक आर्द्रता, हवा की कम गति एवं कृषि अपशिष्टों के जलाये जाने आदि के कारण वायु गुणता में अत्यधिक गिरवाट आती है। इस सम्बन्ध में शीतकाल के दौरान (माह अक्टूबर से माह फरवरी) तक वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत प्रदेश के नॉन अटैनमेण्ट शहरों यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, नोएडा (गीतमबुद्धनगर), गाजियाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा (बुलन्दशहर), मुशादाबाद, रायबरेली, गजरोला (अमरौहा), अनपरा (सोनभद्र), गोरखपुर एवं मेरठ में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किये जाने के सम्बन्ध में अदगत कराया गया था, जोकि आगामी शीतकाल में लागू किया जाना है। जिसपर वायु प्रदूषण सूचकांक के अनुसार सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरण/संस्थाओं द्वारा ग्रैप एक्शन प्लान के अनुरार कार्यवाही की जानी है।

कृ०प्र०उ०

वायु प्रदूषण सूचकांक (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM _{2.5} or PM ₁₀ concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM _{2.5} Level cross 300 µg/m ³ or PM ₁₀ level cross 500 µg/m ³ persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM _{2.5} Level are above 200µg/m ³ or PM ₁₀ levels are above 430 µg/m ³ .
Very Poor	301-400	When PM _{2.5} Levels are between 121-250µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 351-430 µg/m ³ .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM _{2.5} Levels are between 91-120 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 251-350 µg/m ³ . Moderate- When PM _{2.5} is between 61-90µg/m ³ or PM ₁₀ is between 101-250 µg/m ³ .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन आगामी शीतकाल में किया जाना अति-आवश्यक है। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी (AQMC) की बैठक दिनांक 30.11.2021 में भी नॉन-अटेनमेंट नगरों में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के प्रभावी कार्यान्वयन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


भवदीय

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(डा० विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकनार्थ सादर निवेदित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


25/11/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 926/ओजी-633/2021

दिनांक - 01/11/2021

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक(यातायात), आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
7. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
11. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
13. जिला खान अधिकारी, आगरा।
14. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
15. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
16. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
17. उप निदेशक कृषि, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
20. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा०लि०, आगरा।
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
22. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
23. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
24. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

विषय:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये Comprehensive Action Plan (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 880/ओजी-633/2021 दिनांक 21.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार स्वतः कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आप अवगत हैं कि प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनमेन्ट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया जिसमें आगरा भी चिन्हित है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच54952/सीएल/2948/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7) के पत्रांक एच67028/सी-1/Grap/2021 दिनांक 12.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक यथा स्थिति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ की जानी है।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM _{2.5} or PM ₁₀ concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM _{2.5} Level cross 300 µg/m ³ or PM ₁₀ level cross 500 µg/m ³ persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM _{2.5} Level are above 200µg/m ³ or PM ₁₀ levels are above 430 µg/m ³ .
Very Poor	301-400	When PM _{2.5} Levels are between 121-250µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 351-430 µg/m ³ .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM _{2.5} Levels are between 91-120 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 251-350 µg/m ³ . Moderate- When PM _{2.5} is between 61-90µg/m ³ or PM ₁₀ is between 101-250 µg/m ³ .


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनीटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल www.upecp.in पर प्रेषित करें। Severe श्रेणी के रहने तक पोर्टल पर प्रति सप्ताह तथा Severe + श्रेणी होने पर प्रतिदिन कार्यवाही की सूचना प्रेषित करें। किसी भी समस्या के निवारण के लिये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में तैनात जे०आर०एफ कु० अंशिका यादव मोबाइल नं०-7839891399 एवं NCAP-Consultant श्री आदित्य घतुर्वेदी मोबाइल नं०-9199130284 से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नक- यथोपरि।

मयदीय




(डॉ० विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य-सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
5. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा/नोडल अधिकारी, Comprehensive Action Plan (CAP) को इस अनुरोध के साथ कि Air Quality Index(AQI) के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।



 क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

संख्या: 880/56-633/21

दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषय:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये Comprehensive Action Plan (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक(यातायात), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
15. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
16. उप निदेशक कृषि, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा०लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
22. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
23. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
24. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

महोदय,

प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनमेन्ट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया है। एक्शन प्लान की छाया प्रति संलग्न है। अग्रेतर सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच54952/सीएल/2948/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7) के पत्रांक एच67028/सी-1/Grap/2021 दिनांक 12.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक यथा रिश्ति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM _{2.5} or PM ₁₀ concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM _{2.5} Level cross 300 µg/m ³ or PM ₁₀ level cross 500 µg/m ³ persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM _{2.5} Level are above 200µg/m ³ or PM ₁₀ levels are above 430 µg/m ³ .
Very Poor	301-400	When PM _{2.5} Levels are between 121-250µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 351-430 µg/m ³ .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM _{2.5} Levels are between 91-120 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 251-350 µg/m ³ . Moderate- When PM _{2.5} is between 61-90µg/m ³ or PM ₁₀ is between 101-250 µg/m ³ .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल www.upscop.in पर प्रेषित करें। Severe श्रेणी को रहने तक पोर्टल पर प्रति सप्ताह तथा Severe + श्रेणी होने पर प्रतिदिन कार्यवाही की सूचना प्रेषित करें। अंकित किये जाने हेतु समस्या के नियारण के लिये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में तैनात जे०आर०एफ कु० अशिका यादव मोबाइल नं०-7839891399 एवं NCAP-Consultant श्री आदित्य चतुर्वेदी मोबाइल नं०-9199130284 से संपर्क किया जा सकता है।

अतः AQI के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्नक:- यथोपरि।

(प्रभु एन० सिंह)
जिलाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य-सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. प्रांतीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
3. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा/नोडल अधिकारी, Comprehensive Action Plan (CAP) को इस निर्देश के साथ कि Air Quality Index(AQI) के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 859 / ओजी-633 / 2021

दिनांक - 13 / 10 / 2021

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाटर वर्क्स कासिंग, जीवनी मण्डी रोड, आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा संभाग, आगरा।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (फरीदाबाद-आगरा खण्ड)।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (आगरा-इटावा खण्ड)।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रा० लि०, आगरा।

विषय:- आगामी शीतकाल एवं त्यौहारों के दृष्टिगत वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शीतकाल के दौरान त्यौहारों का दबाव, मौसम सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे-कम तापमान, अत्यधिक आर्द्रता, हवा के कम बहाव आदि के कारण वायुगुणता में अत्यधिक गिरावट हो जाती है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के बापू भवन स्थित कार्यालय में दिनांक 08.10.2021 को शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये योजना तैयार किये जाने सम्बन्धी विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गयी तथा सम्बन्धक विचारोपरान्त शीतकाल की समयावधि में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में माह-नवम्बर, 2021 से फरवरी 2022 की अवधि में वायु प्रदूषण की वृद्धि न हो के दृष्टिगत कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत वायु प्रदूषण हेतु विभिन्न कारकों यथा रोड डस्ट, वाहन, औद्योगिक ईकाईयों, यातायात व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में पृथक-2 कार्यबिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। कार्यवाही का विवरण प्राप्त किये जाने हेतु प्रारूप भी निर्धारित किये गये हैं (प्रारूप की प्रति पत्र के साथ संलग्न है)। कार्यवाही का सघन अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित जनपद में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संलग्न प्रारूप के अनुसार दिनांक 16.10.2021 तक सूचनार्थे हाई कॉपी एवं ई-मेल (www.roagra@uppcb.in) के माध्यम से भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृत्त-1/7), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(डा० विश्वनाथ शर्मा)
13/10/21
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

विषय:- Direction under Section 31 (A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for deterioration in Air Quality in Non Attainment Cities (NACs) of Uttar Pradesh other than cities of NCR.

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
8. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. उप निदेशक कृषि, आगरा।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
16. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
17. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
18. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
19. जिला खान अधिकारी, आगरा।
20. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
21. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

कृपया प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनमेंट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया है। एक्शन प्लान की छाया प्रति संलग्न है। अग्रेतर सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच०५४९५२/सीएल/२९४८/एक्शन प्लान/२०१९-२० दिनांक १३.११.२०२० (छायाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (४८ घण्टे तक यथा स्थिति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM _{2.5} or PM ₁₀ concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM _{2.5} Level cross 300 µg/m ³ or PM ₁₀ level cross 500 µg/m ³ persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM _{2.5} Level are above 200 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are above 430 µg/m ³ .
Very Poor	301-400	When PM _{2.5} Levels are between 121-250 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 351-430 µg/m ³ .
Moderate to Poor	201-300 101-200	Poor- When PM _{2.5} Levels are between 91-120 µg/m ³ or PM ₁₀ levels are between 251-350 µg/m ³ . Moderate- When PM _{2.5} is between 61-90 µg/m ³ or PM ₁₀ is between 101-250 µg/m ³ .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी कियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है।

अतः AQI के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

J. N. Mishra
जिलाधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य-सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

J. N. Mishra
जिलाधिकारी,
आगरा।
PL

Details of Environmental Compensation imposed by UPPCB

S.No.	Name & Add of Industry	Environment Compensation Imposed (In Rs.)	Date of letter issued	Category (Industry/Local Body/S.TP/CETP/C BWTF/CMSWDF/ Drains)	Status of EC payment	Remark
1	M/s Prime Plaza Hotel, C-1/C-2, Taj Nagari, Phase- H, Fatehabad Road, Agra	50000	06.08.2018	Hotel	50000	Paid
2	M/s Hotel Grand Imperial, 32/10A, Opp. D.M. Compound, M.G. Road, Agra	50000	06.08.2018	Hotel	50000	Paid
3	Yamuna Pollution Control Unit, (U.P. Jal Nigam), Agra 10 MLD, S.T.P. Peelakhar, Agra	787500	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C Issued through District Administration
4	Yamuna Pollution Control Unit, (U.P. Jal Nigam), Agra 2.25 MLD, S.T.P. Budi Ka Nagla, Agra	590625	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C Issued through District Administration
5	Yamuna Pollution Control Unit, (U.P. Jal Nigam), Agra 12 MLD, S.T.P. Bhim Nagari Deori Road, Agra	196875	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C Issued through District Administration
6	Project Director, NHAI, Faridabad/Agra	68437500	24.10.2019	Construction	68437500	Paid
7	M/s Hotel De-lux Inn, M.G. Tower, Bansal Nagar, Fatehabad Road, Agra	117187.5	09.09.2021	Hotel	117187.5	Paid
8	Agra Smart City, Agra	3112500	29.07.2021	Construction	3112500	Paid
10	Metro Rail Corporation Ltd Agra	2925000	22.11.2022	Metro Rail	0	R.C Issued through District Administration
11	GANGA JAL, UP JAL NIGAM (Nagriya), Agra	3750000	27.12.2022	Construction	0	R.C Issued through District Administration
12	Nalanda Town Shamsabad Road, Agra	21198438	10.05.2022	Township	0	R.C Issued through District Administration
13	UP JAL NIGAM (Nagriya), Agra	600000	12.07.2023	Construction	0	R.C Issued through District Administration
14	North Central Railway Goods shed, Kuterpur, Agra	7150000	12.07.2023	Railway	0	R.C Issued through District Administration

15	Unit-35, C & DS, U.P. Jai Nigam(NAGRIYA),Agra (4.5 MLD, S.T.P.) Kalindi Vihar, Agra	175000	22.09.2023	STP	R.C Issued through District Administration
16	Unit-35, C & DS, U.P. Jai Nigam(NAGRIYA),Agra 36 MLD, S.T.P. Sadarvan Bichpuri, Agra	175000	22.09.2023	STP	R.C Issued through District Administration

20/9/23
R.O



आगरा नगर निगम
AGRA MUNICIPAL CORPORATION



Ph.No. : 0562850670/2520616
FAX No. : 0562-2850499
E-mail : amcagra@yahoo.com
amcagra1@gmail.com

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम आगरा।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

पत्रांक:- 421/D/V.W.O/2023

दिनांक:- 15/12/2023

विषय:- आगरा शहर में ककरैठा बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी0एन0यू0/6399/425(12-1)/2000-21, दिनांक 23.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का करें जिसमें निदेशक महोदय द्वारा आगरा शहर में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्य में दक्ष Professor C-R- Baba, Professor Emeritus, CEMDE, University of Delhi व उनकी टीम से सहयोग प्राप्त करते हुये आगरा शहर में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु धनांक रू0-2602.57 लाख की डी0पी0आर0 तैयार कर एतद् पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि उक्त डी0पी0आर0 की सर्वाकृति सक्षम स्तर से कराये जाने का कष्ट करें। साथ ही अवगत कराना है कि जिस भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है, वह वन विभाग की संरक्षित भूमि है। जिस पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से एम0ओ0यू0 भी संपादित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

नगर आयुक्त

नगर निगम आगरा।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर
अवलोकनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम आगरा

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
गृह/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/खाद्य एवं
रसद/उद्योग/उद्यान/परिवहन/लोक निर्माण/कृषि/वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा उ0प्र0 के 15 चिन्हित नॉन अटेन्नेन्ट शहर यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, फिरोजाबाद, अनेपरा, गजराईला, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 681/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा 06 सदस्यीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गयी। उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायु गुणता में सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः प्रश्नगत कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इन कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित शार्ट टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं को जिला स्तर से तत्काल क्रियान्वित कराने हेतु अपने संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
2. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित लॉग टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु यथाआवश्यकता डी0पी0आर0 तैयार कराकर एवं बजट व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्ययोजना के बिन्दुओं को समयान्तर्गत लागू कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

यह भी अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्ययोजनाओं में उल्लिखित कार्यवाही बिन्दुओं का निर्धारित समयान्तर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(डॉ० अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या: NPTA-130(V)/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 तदुद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दराहर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, अमरोहा, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली।
सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

1250/2019
AIRV (city)

23/4/19
R.O. PCB

1250/2019
A-52
11/5/19

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

पत्रांक 38 / 29-1 आगरा, दिनांक, 11, जुलाई, 2022.

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) आगरा (नोडल नगर निकाय)
6. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) आगरा (नोडल राजस्व)
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।
8. उप श्रमायुक्त, आगरा।
9. उपायुक्त (श्रम रोजगार), संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगरा।
10. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, आगरा
11. जिला उद्यान अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. जिला प्राविधिक शिक्षा अधिकारी, आगरा (प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान, आगरा)
15. उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
16. सी०आई०ओ० छावनी बोर्ड, आगरा
17. डी०आर०एम० रेलवे, आगरा कैंट।
18. आर०एम० रोडवेज, आगरा
19. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. जिला पंचायतराज अधिकारी, आगरा
22. उप निदेशक कृषि, आगरा।
23. जिला विकास अधिकारी, आगरा।
24. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
25. मुख्य अभियन्ता जल निगम आगरा (ग्रामीण एवं शहरी)।
26. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
27. अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा
28. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, उ०प्र० पावर कार्पो० लि० आगरा।
29. रेशम विकास अधिकारी, आगरा।
30. पुलिस अधीक्षक यातायात, आगरा
31. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा
32. संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास, आगरा।
33. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आगरा।
34. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा
35. क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यटन विभाग, आगरा।
36. अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व विभाग, आगरा।
37. जिला खान अधिकारी, आगरा।
38. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कांफरिशन, आगरा।
39. महाप्रबन्धक टॉरेंट पॉवर लि०, आगरा।
40. महाप्रबन्धक गैल गैस लि०, आगरा।
41. महाप्रबन्धक ग्रीन गैस लि०, आगरा।
42. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, आगरा।
43. सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा।

44. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० आगरा
45. सचिव, आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन, आगरा।
46. सचिव, स्पीहा, आगरा।
47. श्री जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था, आगरा।
48. पर्यावरण सेल, लघु भारती उद्योग, आगरा।
49. कार्यकारी अधिकारी, जे०आर०आर० मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, दयालबाग, आगरा।
50. प्रधानाचार्या, एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।
51. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा।
52. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा।

विषय :- जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति की आयोजित बैठक दिनांक 27.06.2022 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्या-2-2019-44 (रिट)/2018 लखनऊ दिनांक 14.06.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी आगरा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक दि० 27.06.2022 को गूगल मीट के माध्यम से अपरान्ह 4:00 बजे आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए वांछित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी में ई-मेल आई०डी० (dfogra@gmail.com) पर एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक चानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 38 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक चानिकी प्रभाग, आगरा।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में वर्चुअल सम्पन्न "जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति" की बैठक दिनांक 27.06.2022 का कार्यवृत्त।

क्र० सं०	कार्यवाही विन्दु	वस्तुस्थिति/अध्यक्ष महोदय के निर्देश	अभ्युक्ति/कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग																				
1	2	जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेट लैण्ड समिति की गत बैठक दि० 30.05.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिचर्चा।	3 समिति द्वारा पिछली बैठक दि० 30.05.2022 के कार्यवृत्त तथा अनुपालन आख्या की पुष्टि की गई।	4 प्रभागीय निदेशक, साठवाड प्रभाग आगरा																			
2	वर्षाकाल 2022 में पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण की तैयारी विषयक चर्चा। (अ) अग्रिम मृदा कार्य (गड़बा खुदान की प्रगति) (ब) पौध आपूर्ति (इण्डेन्ट जारी करने हेतु) हेतु मांग पत्र	जिला वृक्षारोपण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ (अ) - प्रभागीय निदेशक, साठवाड प्रभाग आगरा द्वारा अदगत कराया गया कि वर्तमान तक गड़बा खुदान की स्थिति निम्न प्रकार है:-	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक, साठवाड प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग आगरा																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th> <th>विभाग</th> <th>लक्ष्य</th> <th>गड़बा खुदान की प्रगति</th> <th>अवरोध</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>वन विभाग</td> <td>1461814</td> <td>1461814</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>अन्य विभाग</td> <td>3847736</td> <td>3455991</td> <td>191745</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td>5109550</td> <td>4917805</td> <td>191745</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्तानुसार यथा पर्वारण, पशुपालन, नगर निकाय दयालबाग, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि की गड़बा खुदान रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसे प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित विभाग गड़बा खुदान की रिपोर्ट तत्काल प्रभागीय निदेशक, आगरा को उपलब्ध करा दें। साथ ही पर्यावरण विभाग का लक्ष्य अधिक होने के कारण तथा उनके पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उनका लक्ष्य कतिपय विभाग यथा ग्राम्य विकास, कृषि तथा लोक निर्माण विभाग को आबंटित कर दिया जाये जो कि उनके आबंटित लक्ष्य के अतिरिक्त होगा।</p>	क्र०	विभाग	लक्ष्य	गड़बा खुदान की प्रगति	अवरोध	1.	वन विभाग	1461814	1461814	0	2.	अन्य विभाग	3847736	3455991	191745		योग	5109550	4917805	191745	
क्र०	विभाग	लक्ष्य	गड़बा खुदान की प्रगति	अवरोध																			
1.	वन विभाग	1461814	1461814	0																			
2.	अन्य विभाग	3847736	3455991	191745																			
	योग	5109550	4917805	191745																			

		<p>(ब) - प्रभागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाग आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वृक्षारोपण जन आन्दोलन 2022 हेतु पौध उपलब्ध कराये जाने के लिये सभी विभाग निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र प्रस्तुत कर दें ताकि इम्पेन्ट जारी कर पौध आपूर्ति की कार्यवाही की जा सके। वृक्षारोपण हेतु वन विभाग की पौध शालाओं में उपयुक्त मात्रा में पौधें उपलब्ध हैं। समस्त विभागों को पौध मांग पत्र का प्रारूप तथा वन नर्सरियों की सूची एवं प्रजातिवार पौध उपलब्धता की सूची उपलब्ध करा दी गयी है।</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि० वृष्टा० समिति</p>																																			
3	वन महोत्सव पर परिचर्चा।	<p>प्रभागीय निदेशक, साठवाठ प्रभाग आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि 1-7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है जिस हेतु गणमान्य व्यक्ति यथा-मा० मंत्री/सांसद/विधायक/अन्य जन प्रतिनिधि आदि से सम्पर्क कर उनको आमंत्रित किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यवाही- 1-नगर आयुक्त नगर निगम आगरा 2-अपर जिलाधिकारी (वि०रा०), आगरा 3-समस्त खण्ड विकास अधिकारी आगरा 4-समस्त अधिशासी अधिकारी नगर 5-डी०सी० मनरेगा।</p>																																			
4	अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना पर चर्चा।	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदवार ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/म्युनिसिपल बोर्ड/नगर पालिका / नगर निगम म्युनिसिपल कार्पोरेशन की संख्या के आधार पर अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना के लक्ष्य जिलाधिकारी आगरा के पत्रांक 4812/29-1 दि० 09.05.2022 द्वारा निम्न प्रकार निर्वाहित किये गये हैं:-</p> <table border="1" data-bbox="933 436 1380 1288"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>ग्राम पंचायत/नगर निगम की संख्या</th> <th>स्थापित किए जाने वाले अमृत महोत्सव उद्यानों की सं०</th> <th>प्रति उद्यान रोपित किए जाने वाली पौध</th> <th>कुल रोपित जाने वाली पौध संख्या</th> <th>कार्य सम्पादन हेतु सम्बन्धित विभाग</th> <th>नोडल अधिकारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ग्राम पंचायत-090</td> <td>090</td> <td>76</td> <td>61750</td> <td>ग्राम विकास</td> <td>उपयुक्त (वन रोजगार) मनरेगा, आगरा</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>नगर पंचायत-07</td> <td>07</td> <td>76</td> <td>526</td> <td>नगर विकास</td> <td>अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आगरा</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>नगर</td> <td>06</td> <td>750</td> <td>3750</td> <td>नगर</td> <td>अपर जिलाधिकारी</td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	ग्राम पंचायत/नगर निगम की संख्या	स्थापित किए जाने वाले अमृत महोत्सव उद्यानों की सं०	प्रति उद्यान रोपित किए जाने वाली पौध	कुल रोपित जाने वाली पौध संख्या	कार्य सम्पादन हेतु सम्बन्धित विभाग	नोडल अधिकारी	1	2	3	4	5	6	7	1	ग्राम पंचायत-090	090	76	61750	ग्राम विकास	उपयुक्त (वन रोजगार) मनरेगा, आगरा	2	नगर पंचायत-07	07	76	526	नगर विकास	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आगरा	3	नगर	06	750	3750	नगर	अपर जिलाधिकारी	
क्र० सं०	ग्राम पंचायत/नगर निगम की संख्या	स्थापित किए जाने वाले अमृत महोत्सव उद्यानों की सं०	प्रति उद्यान रोपित किए जाने वाली पौध	कुल रोपित जाने वाली पौध संख्या	कार्य सम्पादन हेतु सम्बन्धित विभाग	नोडल अधिकारी																																
1	2	3	4	5	6	7																																
1	ग्राम पंचायत-090	090	76	61750	ग्राम विकास	उपयुक्त (वन रोजगार) मनरेगा, आगरा																																
2	नगर पंचायत-07	07	76	526	नगर विकास	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आगरा																																
3	नगर	06	750	3750	नगर	अपर जिलाधिकारी																																

क्र.सं.	विवरण	प्राप्तिका-06		विभाग		क्रि./रग) आगत		
		नगर निगम-01	01	750	750	नगर आगुल, नगर निगम, आगरा	नगर निगम, आगरा	
3	उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 243 अमृत महोत्सव उद्यान स्थल का चयन हरितिमा अमृत वन एप के माध्यम से किया जा चुका है जो आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम है जबकि सभी खण्ड विकास अधिकारियों को नोडल स्तर पर यूजर आईडीओ और पासवर्ड जारी कर दिए गए हैं। अतः तत्काल हरितिमा अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिए गए।	703	703	-	96775			
5	वर्ष 2020-21 व 2021-22 में अन्य विभागों की वृक्षारोपण कास रीटिंग रिपोर्ट पर चर्चा।	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सभी विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का सत्यापन कराया गया था जिसमें से राजस्व, रेलवे, रक्षा एवं लोकनिर्माण विभाग की सत्यापन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित विभाग एवं सत्यापन अधिकारियों को सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।</p>						कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0वृक्षा0 समिति
6	अन्य विभागों द्वारा किए गए वृक्षारोपण की सफलता के सम्बन्ध में सुझाव व चर्चा।	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि पत्रांक 1015/29-1 दिनांक 26.08.2021 द्वारा सभी विभागों को वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ वृक्षारोपण योजनामार्ग किये गये वृक्षारोपण की सफलता हेतु सुझाव एवं रखरखाव किये जाने हेतु दिशानिर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में वर्षाकाल प्रारम्भ होने वाला है इसलिये सभी विभाग विगत वर्ष में कराये गये वृक्षारोपण में मृत हुए पौधों के स्थान पर नये पौधे स्थापित कर वृक्षारोपण को सफल बनाये। इस हेतु अनुमत्य रीटिंग अप का प्राविधान प्रथम वर्ष एवं 10 प्रतिशत रीटिंगअप का प्राविधान द्वितीय वर्ष हेतु शालनानवेशानुसार है।</p>						कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0वृक्षा0 समिति

जिला पर्यावरण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियों

7	<p>वायु प्रदूषण के प्रनाद, नियंत्रण की समीक्षा-एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.08.2021 में अपर मुख्य सचिव, उओप्र शासन द्वारा आगरा शहर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अद्यतन कराया गया है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के क्रियान्वयन किये जाने एवं ग्रैप (Graded Response Action Plan) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 21.10.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है। तत्कम में कार्यालय के पत्र दिनांक 01.11.2021 द्वारा पुनः समस्त सम्बन्धित विभागों को ग्रैप के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सम्बन्धित विभागों द्वारा उेली एक्शन रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। जिन्हें संकलित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
	<p>(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं जीओआईटीओ को रूनी विभागों के समन्वय से प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अद्यतन कराया गया है कि आईओआईटीओ कानपुर द्वारा चिन्हित प्रायोरिटी हॉटस्पॉट्स विशेष कर ट्रैफिक कन्वेंशन हॉटस्पॉट पर कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक (यातायात) आगरा द्वारा की जा रही है।</p>	<p>कार्यवाही-1- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, 2- पुलिस अधीक्षक यातायात आगरा</p>
	<p>(ब) आईओआईटीओ कानपुर द्वारा चिन्हित प्रदूषण के हाई प्रिआरिटी हॉटस्पॉट विशेष "ट्रैफिक कन्वेंशन हॉटस्पॉट" को चिन्हित कर उनकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अद्यतन कराया गया कि ईट भट्टों को जिगजैग पद्धति में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त ईट भट्टों को पत्र प्रेषित किये गये है। वर्तमान में 04 ईट भट्टों द्वारा जिगजैग पद्धति में परिवर्तित कर लिया गया है। अन्य द्वारा 01 वर्ष में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में राफ्त पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
	<p>(व) व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अद्यतन कराया गया कि ईट भट्टों को जिगजैग पद्धति में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में 04 ईट भट्टों द्वारा जिगजैग पद्धति में परिवर्तित कर लिया गया है। अन्य द्वारा 01 वर्ष में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में राफ्त पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>

	<p>इत्यादि की डी0जी0 सेट में ग्रीन इंधन का प्रयोग तथा रेड्रोफिटिंग किये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाये।</p>	<p>नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>8</p>	<p>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-04/2019 दीपक रामनाथ गवाडे बनाम आयुक्ता, अकोला म्युनिसिपल कारपोरेशन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>कार्यवाही-बोत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>9</p>	<p>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-180/2021 मुकुल कुमार बनान स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>कार्यवाही-बोत्रीय अधिकारी, उ0ए0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा</p>
<p>10</p>	<p>जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा द्वारा पोर्टल www.upecp.in पर प्रदर्शित टैम्पलेट्स की अबावधिक सूचना पोर्टल पर अपलोड करना।</p>	<p>कार्यवाही-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग लि0ए0सी0 समिति</p>

जिला वेटलेण्ड समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियों

<p>11 ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर याद संख्या-361/2019 राजा मुजफ्फर सदरत बनान स्टेट ऑफ जम्बू कश्मीर व अन्य के परिप्रेक्ष्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में</p>	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों को वेटलेण्ड कंजर्वेशन, सॉटरवाडीज रेस्टोरेशन हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>कार्यवाही- 1-वन विभाग, 2-पंचायत राज, 3-ग्राम्य विकास, 4-रघु सिंघाई, 5-सिंचाई, 6-कृषि, 7-मत्स्य व 8-अन्य विभाग जिनके स्वामित्व में वेटलेण्ड हो</p>
<p>/ अन्य विन्दु / अध्यक्ष महोदय के निर्देश</p>		
<p>1 अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश</p>	<p>जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अवगत कराया गया, कि राष्ट्रीय वन नीति के प्राविधानों के अनुसार जनपद का वनारण 33 प्रतिशत होना आवश्यक है, परन्तु सर्वे ऑफ इण्डिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जनपद का वनारण मात्र 6.50 प्रतिशत है जिसको बढ़ाया जाना अति आवश्यक है इसके लिये सभी विभाग एक जन आन्दोलन के रूप में कुलरोपण करें, तथा इसे सकल बनाया जाये बीडी पल्ली वाले पौधों का रोपण कराया जाये जिससे ज्यूलिफूलोरा का वनावन कम हो कतिपय विभाग जिनके द्वारा अभी गवडा खुदान कार्य पूर्ण नहीं किया गया है वह दो दिन के अन्दर गडडा खुदान कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रभागीय निदेशक आगरा को प्रेषित करें।</p>	
<p>2 डिस्ट्रिक्ट इन्वार्थमेंट प्लान में कुछ कमियाँ थी जिसका निराकरण कर पुनः डिस्ट्रिक्ट इन्वार्थमेंट प्लान उच्च स्तर को प्रेषित करना है।</p>	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि डिस्ट्रिक्ट इन्वार्थमेंट प्लान को संशोधित कर उसका तकनीकी परीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा से कराकर जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया था जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी, साहर को परीक्षण हेतु लिखा गया। अपर जिलाधिकारी, साहर ने कतिपय बिन्दुओं पर नगर निकायों से संशोधन कराकर उन्हें वापस उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है जिसके सम्बन्ध में इस</p>	<p>1-नगर निकाय, 2-जल निगम,</p>

3	<p>श्री केशीपू जैन सदस्य जिला पर्यावरण समिति द्वारा अनुरोध किया गया कि जनपद बंदरों में बंदरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसे आये दिन समस्याएँ हो रही हैं इसका निदान कराया जाए</p>	<p>कार्यालय के पत्रांक 6442/29-1 दि० 18.06.2022 द्वारा सम्बन्धित विभागों को लिखा गया है कि शीघ्र संशोधित डिस्ट्रिक्ट इन्वैर्यन्ट प्लान प्रेषित करें परन्तु अभी जल निगम, एवं नगर निकायों से संशोधित सूचना अप्राप्त है।</p> <p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम आगरा द्वारा बंदरों को पकड़े जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा वाइल्ड लाईफ एसओ0एएस0 कीटम के माध्यम से एक कार्ययोजना तैयार कर नगर आयुक्ता नगर निगम आगरा की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं परन्तु नगर निगम/ वाइल्ड लाईफ एसओ0एएस0 के स्तर से कार्ययोजना अभी अप्राप्त है, कार्ययोजना प्राप्त होते ही बंदरों को पकड़ने/ छोड़ने पर नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।</p>
---	--	---

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

जिलाधिकारी
२ आगरा।

जिला पर्यावरण समिति / जिला वृक्षारोपण समिति / जिला वेटलैंड समिति / जिला गंगा समिति
30/11/2023 के निर्गत कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या
एवं
बैठक दि० 09/01/2024 के एजेण्डा बिन्दु।

कार्यवृत्त बिन्दु एवं एजेण्डा बिन्दु	कार्यवाही विभाग	अनुपालन आख्या				
जिला पर्यावरण समिति						
1. वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा (अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं जी०आर०ए०पी० (Graded Response Action Plan) को सभी विभागों के समन्वय से प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, NHA, मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा, आगरा विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोकनिर्माण विभाग, आगरा स्मार्ट सिटी, संभागीय परिवहन अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस व अन्य GRAP से सम्बन्धित विभाग।	<p>GRAP एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है, यह तब लागू होता है जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा से नीचे चली जाती है।</p> <p>GRAP वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर निर्भर करता है, GRAP में लक्षित कार्रवाइयां शामिल हैं जिन्हें AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर जिम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है।</p> <p>Daily Action Taken Report-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>प्राप्त</th> <th>अप्राप्त</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> नगर निगम, आगरा। आगरा मेट्रो। एन०एच०ए०आई० फरीदाबाद खण्ड। टोरण्ट पावर लि०। यातायात पुलिस। जल निगम, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आगरा। डी०एस०ओ०, आगरा। लोक निर्माण विभाग। </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>माह नवंबर में आगरा का 'AQI' (वर्ग) जनपद आगरा में GRAP के अन्तर्गत माह-नवंबर 2023 में 29 दिन तक AQI का स्तर 200 से कम रहा है जिसमें 04 दिन Satisfactory की श्रेणी में एवं 25 दिन Moderate की श्रेणी में रहा है एवं 01 दिन Poor की श्रेणी में रहा है। शहर में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण आई०आई०टी० कानपुर द्वारा आगरा शहर के Source</p>	प्राप्त	अप्राप्त	<ol style="list-style-type: none"> नगर निगम, आगरा। आगरा मेट्रो। एन०एच०ए०आई० फरीदाबाद खण्ड। टोरण्ट पावर लि०। यातायात पुलिस। जल निगम, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आगरा। डी०एस०ओ०, आगरा। लोक निर्माण विभाग। 	
प्राप्त	अप्राप्त					
<ol style="list-style-type: none"> नगर निगम, आगरा। आगरा मेट्रो। एन०एच०ए०आई० फरीदाबाद खण्ड। टोरण्ट पावर लि०। यातायात पुलिस। जल निगम, आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आगरा। डी०एस०ओ०, आगरा। लोक निर्माण विभाग। 						

		<p>Apportionment Study के अनुसार शहर में मुख्य वायु प्रदूषण के स्रोत रोड डस्ट तथा वाहन प्रदूषण चिन्हित हैं। नियंत्रण के लिए लिए जा रहे उपाय समस्त उत्तरदायी विभागों द्वारा वाटर स्पीक्लिंग, रोड डस्ट स्वीपिंग, एण्टी स्मॉग गन द्वारा डस्ट नियंत्रण, सॉलिड वेस्ट बर्निंग को रोकने, निर्माण परियोजनाओं पर ग्रीन नेट, निर्माण सामग्री को कवर्ड कर रखने, वाहनों का पी०यू०सी० चेक करने, ट्रैफिक कन्जेशन को दूर करने आदि पर प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है।</p>				
<p>(न) प्रदूषण के हाई प्रिआरिटी आई०आई०टी० कानपुर द्वारा चिन्हित हाटस्पॉट विशेष "ट्रैफिक कन्जेशन हाटस्पॉट" को चिन्हित कर उनकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से कराई गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में। 	<p>1- संभागीय परिवहन अधिकारी, 2- ट्रैफिक पुलिस 3-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा 4-नगर निगम 5-जल निगम (नगरीय) 6-आगरा मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा 7-लोक निर्माण विभाग 8-गंगाजल इकाई यूपी जल निगम 9-एन.एच.ए.आई.</p>	<p>शहर में होटस्पॉटों की कुल संख्या-</p> <ol style="list-style-type: none"> Major Vehicular Traffic Congestion Hotspots-24 Road Dust Hotspots-16 Solid and Other Waste Burning Hotspots-12 <table border="1" data-bbox="735 757 1511 1400"> <thead> <tr> <th data-bbox="735 757 1118 875">विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।</th> <th data-bbox="1118 757 1511 875">विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="735 875 1118 1400"> <ol style="list-style-type: none"> वन विभाग यातायात पुलिस, नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा। टोरण्ट पावर एन०एच०ए०आई० (इटावा खण्ड) आगरा मेट्रो परिवहन विभाग लोक निर्माण विभाग </td> <td data-bbox="1118 875 1511 1400"> <ol style="list-style-type: none"> जल निगम </td> </tr> </tbody> </table>	विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।	विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	<ol style="list-style-type: none"> वन विभाग यातायात पुलिस, नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा। टोरण्ट पावर एन०एच०ए०आई० (इटावा खण्ड) आगरा मेट्रो परिवहन विभाग लोक निर्माण विभाग 	<ol style="list-style-type: none"> जल निगम
विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।	विभाग जिनके द्वारा सूचना प्राप्त नहीं हुई है।					
<ol style="list-style-type: none"> वन विभाग यातायात पुलिस, नगर निगम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा। टोरण्ट पावर एन०एच०ए०आई० (इटावा खण्ड) आगरा मेट्रो परिवहन विभाग लोक निर्माण विभाग 	<ol style="list-style-type: none"> जल निगम 					
<p>(स) आगरा के अपविन्द में स्थित ईट मट्टों के कलस्टर</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा</p>	<p>भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 द्वारा नॉन अटैन्नेप्ट शहरों के 10 किमी० के दायरे के बाहर स्थित ईट</p>				

<p>से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही ।</p>		<p>भट्टों को 02 वर्ष के अन्दर जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।</p> <table border="1" data-bbox="751 331 1482 521"> <tr> <th>जनपद में कुल ईट भट्टे</th> <th>जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित ईट भट्टे</th> </tr> <tr> <td>113</td> <td>21 (15 भट्टे टी0टी0जेड0 के बाहर +08 भट्टे टी0टी0जेड0 के अन्दर)</td> </tr> </table>	जनपद में कुल ईट भट्टे	जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित ईट भट्टे	113	21 (15 भट्टे टी0टी0जेड0 के बाहर +08 भट्टे टी0टी0जेड0 के अन्दर)																	
जनपद में कुल ईट भट्टे	जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित ईट भट्टे																						
113	21 (15 भट्टे टी0टी0जेड0 के बाहर +08 भट्टे टी0टी0जेड0 के अन्दर)																						
<p>2-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 के पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>Pastic Waste-</p> <p>E-waste-</p>	<p>कार्यवाही- नगर निगम, समस्त स्थानीय निकाय</p> <p>नगर निगम, समस्त स्थानीय निकाय</p> <p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण</p>	<p>Solid waste-</p> <table border="1" data-bbox="751 750 1482 1317"> <thead> <tr> <th>Actions</th> <th>नगर निगम</th> <th>समस्त स्थानीय निकाय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Segregation of waste at source (percentage)</td> <td>15-20</td> <td>59.52%</td> </tr> <tr> <td>collection of solid waste (percentage)</td> <td>100</td> <td>19.47%</td> </tr> <tr> <td>door to door collection (percentage)</td> <td>65-70</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>निस्तारण व्यवस्था</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="751 1422 1437 1574"> <thead> <tr> <th>विभाग का नाम</th> <th>निस्तारण व्यवस्था</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगर निगम</td> <td>Through MRF</td> </tr> <tr> <td>समस्त स्थानीय निकाय</td> <td>5.494%</td> </tr> </tbody> </table> <p>निस्तारण व्यवस्था- ई-वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अन्तर्गत आगरा में 03 डिस्मेन्टिलिंग की इकाईयाँ स्थापित हैं, जिसमें (1) प्रकाश मेटल हाउस, 39/223, करवन आलमगंज, लोहामण्डी, आगरा क्षमता</p>	Actions	नगर निगम	समस्त स्थानीय निकाय	Segregation of waste at source (percentage)	15-20	59.52%	collection of solid waste (percentage)	100	19.47%	door to door collection (percentage)	65-70	100%	निस्तारण व्यवस्था	-	-	विभाग का नाम	निस्तारण व्यवस्था	नगर निगम	Through MRF	समस्त स्थानीय निकाय	5.494%
Actions	नगर निगम	समस्त स्थानीय निकाय																					
Segregation of waste at source (percentage)	15-20	59.52%																					
collection of solid waste (percentage)	100	19.47%																					
door to door collection (percentage)	65-70	100%																					
निस्तारण व्यवस्था	-	-																					
विभाग का नाम	निस्तारण व्यवस्था																						
नगर निगम	Through MRF																						
समस्त स्थानीय निकाय	5.494%																						

<p>C & D Waste-</p> <p>➤ Legacy Waste</p>	<p>नियंत्रण बोर्ड, आगरा</p> <p>नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, समस्त स्थानीय निकाय</p> <p>छावनी बोर्ड</p> <p>नगर निगम</p> <p>समस्त स्थानीय निकाय</p>	<p>1500 मीट्रिक टन/वर्ष (2) एस0आर0 मेटाकास्ट प्रा0लि0, आगरा-मथुरा रोड, आगरा क्षमता 600 मीट्रिक टन/वर्ष (3) श्री महावीर जी ट्रेडिंग कम्पनी, 30/127, फ्रीपीटोला, आगरा क्षमता 4500 मीट्रिक टन/वर्ष है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा ई-वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के अनुपालन हेतु वर्ष 2023 में जन-जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री रत्नमुनी जैन इण्टर कालेज, एत्मादपुर, पालीवाल पार्क, आगरा में कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।</p> <table border="1" data-bbox="753 712 1439 949"> <thead> <tr> <th>विभाग का नाम</th> <th>निस्तारण व्यवस्था</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>नगर निगम</td> <td>Through 5 TPD C & D waste processing plant</td> </tr> <tr> <td>समस्त स्थानीय निकाय</td> <td>3.43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>छावनी बोर्डका Legacy Waste 50 हजार टन था जिसमें से अब तक 25 हजार टन का निस्तारण हो गया है।</p> <p>नगर निगम द्वारा पूर्व में 10.70 MT Legacy Waste का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में एकत्रित लीगेसी वेस्ट में से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण किया जा चुका है।</p> <p>निकायो में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु फतेहपुरसीकरी, अछनेरा, जगनेर, एत्मादपुर, किरावली, स्वामीबाग, में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए हैं।</p>	विभाग का नाम	निस्तारण व्यवस्था	नगर निगम	Through 5 TPD C & D waste processing plant	समस्त स्थानीय निकाय	3.43%
विभाग का नाम	निस्तारण व्यवस्था							
नगर निगम	Through 5 TPD C & D waste processing plant							
समस्त स्थानीय निकाय	3.43%							
<p>3- Biomedical waste management rules-2016के अनुपालन के सम्बन्ध में।</p>	<p>मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा</p>	<p>Barcoding - 756</p>						
<p>4-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा द्वारा</p>	<p>जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।</p>	<p>December, 2023 कीरन्गी सम्बंधित विभाग की मासिक प्रगति सूचना पोर्टल पर अपलोड करायी गयी है।</p>						

<p>पोर्टल www.ipecp.in पर प्रदर्शित टैम्पलेट्स की अभावधिक सूचना पोर्टल पर अपलोड कराना।</p>		
<p>5-जनपद में यमुना नदी में सीधे मिल रहे नालों के सम्बन्ध में।</p>	<p>जल निगम एवं नगर निगम</p>	<p>आगरा नगर में कुल 90 नग नाले हैं। जिनका कुल श्राव 286 एम.एल.डी. है। वर्तमान में 29 नग नाले टेप कर अशोधित श्राव जे के माध्यम से शोधित किया जा रहा है। शेष 61 नग नाले अनटेपड है। जिनमें से 23 नग नाले टेपड करने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को नगामि गंगे कार्यक्रमान्तर्गत आगरा सीवरेज योजना (आइ. एण्ड डी. एण्ड एस.टी.पी. वर्क्स) के अन्तर्गत Hybrid Annuity Mode(HAM) पर निर्माण किया जा रहा है। उक्त योजना में प्रस्तावित 10 नग डीएसटीपी में से 07 नग डीएसटीपी के निर्माण हेतु वन विभाग से भूमि की गैर वानिकी प्रयोग हेतु छळ न मिलने के कारण, 01 नग डीएसटीपी इस्लाम नगर की भूमि नगर निगम आगरा एवं 01 नग डीएसटीपी हेतु भूमि तहसील-सदर से उपलब्ध न कराये जाने के कारण नालों को टेप करने में योजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।</p>

जिला वृक्षारोपण समिति														
<p>8. वर्ष 2023-24 में कराये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा, सिंचाई एवं जियो टैगिंग की समीक्षा</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0 वृक्षा0 समिति</p>	<p>प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्र0आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि निम्न विभागों कि जियो टैगिंग अपूर्ण है:-</p> <table border="1" data-bbox="919 533 1362 741"> <thead> <tr> <th>#0 सं0</th> <th>विभाग का नाम</th> <th>जियो टैग प्रतिशत (सिंचित व संपेक्ष)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>बिक्रित्ता विभाग</td> <td>74.70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>पंचायतीराज विभाग</td> <td>82.66</td> </tr> </tbody> </table> <p>निर्देश दिये गये 03 दिन के अन्दर रीपैपल पोर्षों के सापेक्ष रात-प्रतिशत जियो टैगिंग की जाये।</p> <p>मुख्य विकास अधिकारी, आगरा द्वारा पिछली बैठक में निर्देश दिये गये कि जियो टैगिंग पूर्ण न करवाने वाले सभी विभाग प्रमुख अपना स्पष्टीकरण सामाजिक वानिकी प्रभाग कार्यालय को उपलब्ध करायें।</p> <p>बिक्रित्ता शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त। पंचायती राज विभाग से स्पष्टीकरण अप्राप्त।</p>	#0 सं0	विभाग का नाम	जियो टैग प्रतिशत (सिंचित व संपेक्ष)	1	2	3	1	बिक्रित्ता विभाग	74.70	2	पंचायतीराज विभाग	82.66
#0 सं0	विभाग का नाम	जियो टैग प्रतिशत (सिंचित व संपेक्ष)												
1	2	3												
1	बिक्रित्ता विभाग	74.70												
2	पंचायतीराज विभाग	82.66												
<p>7- अन्य विभागों द्वारा किए गए वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत की मासिक सूचना (प्रपत्र-37) के सम्बन्ध में।</p> <ul style="list-style-type: none"> जिलाधिकारी, आगरा द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी विभाग वृक्षारोपण की जीवितता एवं सफलता प्रतिशत की सूचना निर्धारित प्रपत्र-37 में प्रत्येक माह की 25 तारीख तक मुख्य विकास अधिकारी/ जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा को उपलब्ध करायें। तत्पश्चात् जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा संकलित सूचना प्रभागीय निदेशक, आगरा को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित करेंगे। 	<p>प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0वृक्षा0 समिति</p>	<p>वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत की मासिक सूचना (प्रपत्र-37) की माह दिसम्बर, 2023 की सूचना पोर्टल पर अपलोड करा दी गयी है।</p>												

<p>8-उच्च अधिकारियों के निरीक्षण हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 02 अच्छे स्थलों एवं अन्य विभागों द्वारा 05 अच्छे स्थलों के चयन की समीक्षा।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी विभागों के वृक्षारोपण नोडल प्रभारी वृक्षारोपण स्थलों का स्वयं भी निरीक्षण करते रहें एवं उनके विभाग द्वारा किए गए 05 अच्छे स्थलों का चयन कर सूची इस कार्यालय में उपलब्ध करा दें जिससे उच्चाधिकारियों से निरीक्षण कराया जा सके। 	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0वृक्षा0 समिति</p>	<p>कृषि विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्राविधिक शिक्षा, राजस्व विभाग, व पर्यावरण विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग द्वारा रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।</p>
<p>9- नगर निगम, ए0डी0ए0, पी0डब्ल्यू0डी0 व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फुटपाथ बनाने के दौरान वृक्षों के चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ने की कार्यवाही।</p>	<p>कार्यवाही-नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग</p>	<p>पिछली बैठक में नगर निगम, ए0डी0ए0, पी0डब्ल्यू0डी0 व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फुटपाथ बनाने के दौरान वृक्षों के चारों ओर पर्याप्त स्थान छोड़ने के निर्देश दिये गये थे। आगरा विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वर्तमान में फुटपाथ निर्माण का कोई कार्य नहीं हो रहा है।</p>
<p>10- जिलाधिकारी, आगरा के आदेश पत्रांक- 569/29-1 (वृक्षा0) दिनांक 10.08.2023 द्वारा वर्ष 2023-24 में जनपद आगरा में सभी विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण की स्थलीय सत्यापन हेतु गठित समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की चर्चा</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0वृक्षा0 समिति</p>	<p>जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2023-24 में आगरा जनपद में सभी विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के स्थलीय सत्यापन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष जिला विकास अधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11.12.2023 को बैठक में समस्त सदस्यों को 40 प्रतिशत वृक्षारोपण स्थलों का सत्यापन कर आख्या दिनांक 14.2.2023 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।</p>
<p>11- समस्त विभागों द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण गणना पंजिका के संचारण की समीक्षा</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0वृक्षा0 समिति</p>	<p>पिछली बैठक में उप प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी विभागों द्वारा नामित नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण गणना पंजिका संधारित करें। पंजिका का प्रपत्र पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है।</p>

12. वर्षाकाल-2024 में वृक्षारोपण लक्ष्य पूर्ण करने हेतु सभी विभागों द्वारा भूमि के चयन की समीक्षा।	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0वृक्षा0 समिति	नगर निगम, गृह विभाग, रेशम विभाग व कृषि विभाग द्वारा भूमि चयन की सूचना प्राप्त। पर्यावरण विभाग द्वारा 185000 के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 40000 पौध लगाने हेतु वृक्षारोपण स्थलों की सूचना प्राप्त है। अन्य सभी विभागों की सूचना अप्राप्त।
13. वन विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जन अभियान 2024 में 35 करोड़ पौधारोपण किये जाने हेतु अन्य विभागों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर वृक्षारोपण कार्ययोजना तैयार करने की समीक्षा।	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0वृक्षा0 समिति	

जिला वेटलैण्ड समिति

13-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर वाद संख्या-351/2019 राजा मुजफ्फर भट्ट बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर व अन्य के परिप्रेक्ष्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में। ❖ wetlands के संरक्षण के सम्बन्ध में।	कार्यवाही-राजस्व विभाग, पंचायती राज, मत्स्य विभाग, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व वन विभाग	पिछली बैठक में सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये कि सभी विभाग अपने विभाग के अन्तर्गत आने वाले वेटलैण्ड की सूची सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उपलब्ध कराये एवं उनके संरक्षण हेतु कार्ययोजना बनाकर 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें, जोकि अभी तक अप्राप्त है। राजस्व विभाग, नगर निगम अपने स्वामित्व वाले तालाबों को अतिक्रमण मुक्त रखे तथा विवरण समिति को उपलब्ध कराये, जोकि अभी तक अप्राप्त है। ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों के पुनरुद्धार व नये तालाब के सृजन के कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये, जोकि अभी तक अप्राप्त है।
--	---	---

जिला गंगा समिति

(1) नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी वन विभाग जि0गंगा0 समिति	<ul style="list-style-type: none"> • प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए गए कि अगले वर्ष किए जा सकने वाले कार्यों की सभी विभाग अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024 में यमुना एवं सहायक नदियों के किनारे बसे हुए चयनित ग्रामों में जैविक खेती/प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। यह कार्यक्रम विभाग द्वारा प्राप्त दिशा- निर्देश के अनुसार सम्पन्न किये जायेंगे। • यमुना नदी के किनारे नगरों, ग्रामों में संचालित
--	--	---


		<p>विभागीय कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये।</p> <ul style="list-style-type: none"> • जिला पंचायत राज अधिकारी/नगर निगम स्वच्छता एवं गंदे नालों को यमुना में जाने से रोकने हेतु किए जा रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये। • मुख्य विकास अधिकारी आगरा द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए कि यमुना के किनारे अपशिष्ट में से प्लास्टिक को अलग करके खाद बनाने की कार्ययोजना बनाए और उसे अगली बैठक से पहले उपलब्ध कराये। • प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा द्वारा न्मामि गंगे के अन्तर्गत घाट बनवाने हेतु कार्ययोजना एवं नगर निगम शहरी क्षेत्र में घाटों के सौन्दर्यीकरण एवं आस्ती इत्यादि की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराये जिसे कि शासन द्वारा फण्डिंग की जाएगी।
(2)यमुना नदी के किनारे या नदी संरक्षण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0गंगा0 समिति	<p>प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा द्वारा जनवरी 2023 में यमुना संरक्षण के लिये जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने हेतु स्कूलों का चिन्हीकरण कर कार्ययोजना तैयार की गई वन विभाग द्वारायमुना नदी के किनारे व नदी संरक्षण हेतु स्कूली बच्चों को उसके पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूक किया गया एवम नदी किनारे भ्रमण के साथ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।</p> <p>उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना/सहायक नदी के किनारे बसे घयनित ग्रामों में विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम निम्नानुसार किये जायेंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जन जागरूकता कार्यक्रम- घयनित ग्रामों में बैठकें आयोजित कर जैविक खेती के द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं गुणवत्तायुक्त खाद्यान के महत्व के बारे में कृषकों को जागरूक किया जाना है। 2. जैविक/प्राकृतिक खेती में अपनायी जाने वाली नवीन तकनीकी तथा जीवामृत, बीजामृत, घनामृत एवं वेस्टडिकम्पोजर आदि के बनाने की विधि व प्रयोग सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना। <ul style="list-style-type: none"> • यमुना संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने हेतु निर्धारित तिथियों में समन्वय स्थापित कर आवंटित विद्यालय में विभागीय कार्यक्रमों में बच्चों को मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जायेगा।
(3)प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम में ग्राम गंगा समिति/नगर गंगा समिति गठित कर सूचना प्रस्तुत किया जाना	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0गंगा0 समिति	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गंगा समिति का गठन पंचायती राज विभाग द्वारा कर लिया गया है जिसकी सूचना उनके द्वारा प्रभागीय निदेशक, आगरा के कार्यालय</p>

		को प्रेषित कर दी गई है। आगरा जनपद की 27 ग्राम पंचायतों में गंगा सेवा समिति का गठन किया गया है जिसमें 13 यमुना नदी, 07 चम्बल नदी व 07 उदंगन नदी के किनारे हैं।
(4) जिला गंगा समिति के बैठकों के कार्यवृत्त व अन्य गतिविधियों को डिजिटल डैशबोर्ड गंगा डिस्ट्रिक्ट परफार्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (GDPMS) पर अपलोड करने की स्थिति की समीक्षा	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा	अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति की गत बैठकों के कार्यवृत्त व अन्य गतिविधियों को डिजिटल डैशबोर्ड गंगा डिस्ट्रिक्ट परफार्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (GDPMS) पर अपलोड करा दिया गया है।
(5) यमुना नदी के किनारे फ्लड प्लेन जोन निर्धारण के सम्बन्ध में।	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0गंगा0 समिति	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-316/2022 की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी आगरा को निर्देश दिए गए हैं कि 06 माह के अन्तर्गत यमुना नदी आगरा क्षेत्र में फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण कराना है जिस पर प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि फ्लड प्लेन निर्धारित कर सिंचाई विभाग द्वारा पिलर्स लगा दिये गये हैं।
(8) यमुना में मिल रहे नालों को टेप करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही-जल निगम व नगर निगम	परियोजना प्रबन्धक यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) आगरा ने अवगत कराया कि आगरा नगर में कुल 80 नालें हैं। जिनका कुल आय 286 एम0एल0डी0 है। वर्तमान में 29 नाले टेप कर अशोधित आय STPs के माध्यम से शोधित किया जा रहा है। शेष 61 नग नाले अनटेपड है। जिनमें से 23 नग नाले टेप करने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा सीवरेज योजना (आई0एण्ड0डी0 एण्ड एस0टी0पी0 वर्क्स) के अन्तर्गत Hybrid Annuity Mode (HAM) पर निर्माण किया जा रहा है। उक्त योजना में प्रस्तावित 10 नग डीएसटीपी में से 07 नग डीएसटीपी के निर्माण हेतु वन विभाग से भूमि की गैर वानिकी प्रयोग हेतु एन0ओ0सी0 न मिलने के कारण 01 नग डीएसटीपी इस्लाम नगर की भूमि नगर निगम आगरा एवं 01 नग डीएसटीपी हेतु भूमि तहसील- सदर से उपलब्ध न कराये जाने के कारण नालों को टेप करने में योजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा अवशेष नालों को टेपिंग हेतु प्राक्कलन अनुमानित लागत ₹0 136.41 करोड़ तैयार कर दिनांक 25.09.2023 द्वारा एस0एन0सी0जी0 लखनऊ को प्रेषित किया गया था तदीपरान्त एस0 एम0 सी0जी0 द्वारा अपने पत्रांक- 1214/07/ 75-T/SMCG-UP/05, दि. 16.10.2023 को स्वीकृति हेतु एन0एम0सी 0जी0, नई दिल्ली प्रेषित किया गया है।
(7) TSA (Turtle Survival Alliance) संस्था की प्रभाविकता से सम्बन्धित विवरण एवं वन विभाग के साथकिएनए कार्यों की समीक्षा	कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा एवं TSA (Turtle Survival Alliance)	यमुना जैव विविधता अध्ययन हेतु TSA (Turtle Survival Alliance) संस्था द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

(8) मा0मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार "जल समाधि के स्थान पर मू-समाधि के लिए प्रेरित किया जाये" का प्रचार-प्रसार	कार्यवाही- समस्त कार्यदायी विभाग एवं जिला गंगा समिति	नदी के किनारे कतिपय स्थानों पर जल समाधि की पारम्परिक मान्यता है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में जल समाधि से जनित प्रदूषण आदि के विषय में जन साधारण को जागरूक करना अपरिहार्य है।
(9) जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एन0जी0टी, नई दिल्ली के Original application No. 200/2014 (C.W.P. No.- 3727/1985) (I.A. No.- 340/2022) में दिनांक 11.09.2023 को पारित आदेश के क्रम में गंगा की सहायक नदी यमुना में प्रदूषण के 16 मुख्य बिन्दुओं से सम्बन्धित आख्या सम्बन्धित विभागों से प्राप्त/अप्राप्त की समीक्षा।	कार्यवाही- उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, नगर निगम, शहरी विकास, भूगर्भ जल विभाग, जल निगम, (ग्रामीण/शहरी), स्वास्थ्य, खनिज, सिंचाई, पर्यटन, कृषि विभाग	पिछली बैठक में अवगत कराया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगराएवं अन्य सभी विभागों द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचना वन विभाग को प्राप्त हुई है। उक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या समयसीमा के अन्तर्गत उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गयी है। सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये कि वो गंगा की सहायक नदी यमुना में प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर ची गयी आख्या एवं एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
(10) अन्य बिन्दु	अध्यक्ष महोदय के अनुसार	



THANK



YOU!

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 35-94 / 29-1 आगरा, दिनांक,

9 Jan, 2023.

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. डी०आर०एम० रेलवे, आगरा कैंट।
3. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) आगरा (नोडल नगर निकाय)
6. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) आगरा (नोडल राजस्व)
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।
8. उप श्रमायुक्त, आगरा।
9. उपायुक्त (श्रम रोजगार), संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगरा।
10. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, आगरा
11. जिला उद्यान अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. जिला प्राविधिक शिक्षा अधिकारी, आगरा (प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान, आगरा)
15. उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, आगरा।
16. सी०ई०ओ० छावनी बोर्ड, आगरा
17. अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व विभाग, आगरा।
18. आर०एम० रोडवेज, आगरा
19. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. जिला पंचायतराज अधिकारी, आगरा
22. उप निदेशक कृषि, आगरा।
23. जिला विकास अधिकारी, आगरा।
24. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
25. मुख्य अभियन्ता जल निगम आगरा (ग्रामीण एवं शहरी)।
26. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
27. अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा
28. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, आगरा।
29. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, उ०प्र० पावर कार्पो० लि० आगरा।
30. जिला मत्स्य अधिकारी, आगरा।
31. रेशम विकास अधिकारी, आगरा।
32. पुलिस अधीक्षक यातायात, आगरा
33. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा
34. संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास, आगरा।
35. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आगरा।
36. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस्०आई०डी०सी०, आगरा
37. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा।
38. जिला खान अधिकारी, आगरा।
39. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, आगरा।
40. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा।
41. महाप्रबन्धक टॉरेंट पावर लि०, आगरा।
42. महाप्रबन्धक गैल गैस लि०, आगरा।
43. महाप्रबन्धक ग्रीन गैस लि०, आगरा।
44. सामस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, आगरा।

45. सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा।
46. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० आगरा
47. पर्यावरण सेल, लघु भारती उद्योग, आगरा।
48. कार्यकारी अधिकारी, जे०आर०आर० मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, दयालबाग, आगरा।
49. प्रधानाचार्या, एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।
50. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा।
51. जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा।
52. जिला युवा कल्याण अधिकारी, आगरा।
53. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, आगरा।
54. सचिव, आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन, आगरा।
55. सचिव, स्पीडा, आगरा।
56. श्री जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था, आगरा।
57. परियोजना निदेशक, इंजीनियरिंग एवं ग्रामीण पेयजल विभाग, आगरा।
58. परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, आगरा।
59. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आगरा।
60. श्री विश्वजीत सिंह निवासी मोहल्ला ठाकुरान, एल्मादपुर, आगरा।
61. श्री दीपक डल निवासी कमला नगर, आगरा।

विषय :- जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति व जिला गंगा समिति की आयोजित बैठक दिनांक 27.12.2022 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,
आपको अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्या-2-2019-44 (रिट)/2016 लखनऊ दिनांक 14.08.2019 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति व जिला गंगा समिति की बैठक दि० 27.12.2022 को दोपहर 03:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए वांछित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी में ई-मेल आई०डी० (dfoagra@gmail.com) पर एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का फट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

A.Kul
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

A.Kul
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न "जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण एवं जिला गंगा सुरक्षा समिति" की बैठक दिनांक 27.12.2022 का कार्यवृत्त।

क्र. सं.	कार्यवाही विन्दु	वस्तुस्थिति / निर्देश	अन्युक्ति / कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग
1	जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला गंगा सुरक्षा समिति की गत बैठक दि. 15.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिधर्मा।	2	4
	जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला गंगा सुरक्षा समिति की गत बैठक दि. 15.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	3	प्रमानीय निदेशक, सावधान प्रमाण आगरा
	जिला पर्यावरण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ		
1	वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की रणनीति-एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.08.2021 में अपर मुख्य सचिव, उओओ हासन द्वारा आगरा शहर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में। (अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं जोआरओपीओ को सभी विभागों के सम्बन्ध से प्रगती तरीके से लागू कराया जाये।	जिला पर्यावरण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ	कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
	(क) आइओआइटीओ कानपुर द्वारा विकसित प्रदूषण के हाई रिजॉल्यूशन हाटस्पॉट विश्लेषण "ट्रेंडिक क्वालिटी हाटस्पॉट" को विकसित कर उनकी कार्ययोजना बनाकर सन्विष्ट की जाये। • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आइओआइटीओ कानपुर से कर्वाई गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city आगरा के लिए गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से प्रस्ताव मारी गई है जो अभी तक प्रमानीय निदेशक सार्वजनिक मामलों एवं परिवहन, सञ्चालन एवं परिवहन अधिकारी हाटस्पॉट विश्लेषण और	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा GRAP के बारे में जानकारी दी गई और सम्बन्धित विभागों को ग्रैप के सम्बन्ध में 28.08.2023 तक डेटी एक्शन रिपोर्ट मैजने के निर्देश दिए तथा अगस्त कराया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के विचारधारा किने जाने एवं ग्रैप (Graded Response Action Plan) के सम्बन्ध में अगस्त आगरा श्रेरी एवं नगर निगम द्वारा डेटी एक्शन रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। निम्न संकलित कर बोर्ड मुख्यतः प्रेषित किया जा रहा है। • क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अगस्त कराया गया है कि आइओआइटीओ कानपुर द्वारा विकसित हाई रिजॉल्यूशन हाटस्पॉट विश्लेषण कर ट्रेंडिक क्वालिटी हाटस्पॉट पर कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक (शाखायात) आगरा द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक (शाखायात) आगरा द्वारा दैनिक रूप से वातावरण/15 पर पुलने वालने पर कार्यवाही की जा रही है। • क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अगस्त कराया गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आइओआइटीओ कानपुर से कर्वाई गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city आगरा के लिए गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से प्रस्ताव मारी गई है जो अभी तक प्रमानीय निदेशक सार्वजनिक मामलों एवं परिवहन, सञ्चालन एवं परिवहन अधिकारी हाटस्पॉट विश्लेषण और	कार्यवाही- 1- पुलिस अधीक्षक शाखायात आगरा 2- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, 3-सम्बन्धित विभाग

<p>City Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित की गयी। योंच अन्य सम्बन्धित विभाग से सूचना अपेक्षित है।</p>	<p>(वि) अग्रा के अपविष्ट में स्थित ईट मट्टो के क्वार्टर से उत्पन्न प्रदूषण को रोकथाम हेतु भी प्रभावी कार्यवाही की जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट मट्टो को जिगजैग पद्धति में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में सम्स्त ईट मट्टो को पत्र प्रेषित किये गये हैं। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कटका गया कि जनपद के अन्तर्गत कुल 113 मट्टो ई जिन्में से टीपीडीजेड क्षेत्र को अन्तर्गत 09 ईट के मट्टे संबाधित है। वर्तमान में 05 ईट मट्टो द्वारा जिगजैग पद्धति में परिवर्तित कर लिया गया है। अब द्वारा 01 वर्ष में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में रूपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ष जिगजैग पद्धति में परिवर्तित मट्टो को ही चलाने की अनुमति दी जाएगी।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>(द्वि) व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों इत्यादि को सीपीडी सेट में ग्रीन इंधन का प्रयोग तथा रेगुलैटिव किये जाने की कार्यवाही बनाकर कार्यवाही की जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि जनपद आगरा में सीपीडी/एलपी/एलपी/टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योगों/अस्पतालों आदि को सीपीडी सेट को गैस जनरेटर में परिवर्तित किये जाने की शर्त के साथ सहमति निर्गत की जा रही है। अतः संदर्भित बिन्दु को धिला एक्जक्यूशन समिति से वित्तपोषित किया जाना उचित होगा।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>		
<p>2. या राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संख्या-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 के परिषद आदेश दिनांक 12.10.2018 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया वर्तमान में नगरिय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की आख्या नगर निगम, आगरा एवं नोडल स्थानीय निकाय से अपेक्षित है। नगर निगम, नगर निकाय, छावनी बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी 03030 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा सम्स्त ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने वाले विभागों को निर्देश दिए गए कि वह अपने ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कैसे कर रहे हैं इसके सम्बन्ध में पीपीसीटीडी शिवाय कर उपलब्ध कराये। श्री एमन जी, पर्यावरणविद्द द्वारा लीगेसी वेस्ट के बारे में पूछे जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी 03030 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में लीगेसी वेस्ट में लगातार कमी आई है जो कि जनपद के लिये अच्छी उपलब्धी है। ई-वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी 03030 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा बताया गया कि जनपद में हीन ई-वेस्ट डिस्पोजलर्स हैं जो कि सरकारी संस्थाओं से ई-वेस्ट इकट्ठा करके प्रमाणित रीसाइकलर्स को ई-वेस्ट सप्लाय करते हैं। ई-वेस्ट के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी आगरा द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी 03030 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को युनिवर्सिटी टी और कॉलेज के साथ मिलकर ई-वेस्ट को एक जगह एकत्रित करने के सम्बन्ध में अभियान चलाने जाने के निर्देश दिए गए। C & D Waste के सम्बन्ध में प्रनागीच निदेशक, साउथ प्रभाग, आगरा द्वारा लोक निर्माण विभाग आगरा को निर्देश दिए गए कि जनपद में जिलानी पी C & D Waste उत्पन्न करने वाली एअरिस्को की रिपोर्ट पर्यावरण समिति को भेजें कि उनके द्वारा वेस्ट का निस्तारण सुचारु रूप से किया जा रहा है अथवा नहीं।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, 03030 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, लोक निर्माण विभाग एवं सम्बन्धित विभाग</p>		

<p>3. राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली द्वारा संख्या-180/2021 मुकुल कुमार बनारस टैंक ऑफ सुविधा एक्ट नदरी में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन कराये जाने के लक्ष्य में।</p>	<p>राष्ट्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा बताया गया कि वि-नक 08.04.2022 द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद आगरा में बायोमैडिकल डेट कैम्पेन्ट सल्ल-2016 के अनुपालन एवं प्रगती अनुभवण सुनिश्चित करते जान के संबंध में लिखा शारीय समिति का गठन किया गया है जिसकी बैठक 08.07.2022 को कराई गई है जिसका कार्ययुक्त अनुपालनार्थ समन्वित विभागों को भेजित किया गया है। जिसके अनुपालन में प्रधानाचार्य, संचालनी, नायबु, मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, आगरा, सीओडिओक्यूटीएमएफओ द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गई है तथा यह भी अनागत कराया कि वेस्ट निस्तारण के लिये बार कोरिंग सुविधा भी जाएगी जिसके लिये सीएचसी/ओवरपावर को अपनी वेबसाइट बनाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जोडना होगा। क्षेत्रीय अधिकारी उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा बताया गया कि बार कोरिंग सुविधा से हार्स्पिटल से निकलने वाले वेस्ट की मात्रा का पता लगाना जा सकेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट भी जोडते जनरेंट हो जायेगी, इत्यादि ताम होंगे।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा एवं मुख्य विधित्ताधिकारी आगरा</p>
<p>4. जिला जय एवं सख्याधिकारी, आगरा द्वारा पोर्टल www.upocpc.in पर प्रदर्शित ऐम्बेड्स की अभाविका सूचना पोर्टल पर अपलोड करवाना।</p>	<p>जिला एवं एवं सख्याधिकारी, आगरा द्वारा बताया गया है कि टेम्प्लेट्स की तब वक्तबर 2022 की वार्षिक प्रगति सूचना प्रभागीय निदेशक आगरा को भेज दी गई है जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक आगरा द्वारा अनागत कराया गया कि सूचनाओं को पोर्टल www.upocpc.in पर अपलोड करा दिया जाए।</p>	<p>कार्यवाही-जिला एवं एवं सख्याधिकारी, आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग विओपबोर्ड समिति</p>
<p>5. या राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में एवर बार संख्या-051/2019 राजा मुजफ्फर शेट्ट बनारस स्टेट ऑफ जम्बू करणीर व अन्य के परिशिष्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में</p>	<p>वैठक में प्रभागीय निदेशक सान्नाजिक वारिणी प्रभाव, आगरा द्वारा सम्बन्धित नगर निगम आगरा को निर्देश दिए गए थे कि आगरा शहर में दिवाने भी जल तंत्र है उनमें इलेक्ट्रिक सीधेज, इन्डस्ट्रीयल वेस्ट बिगा ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट भी के यमुना में तो नहीं मिल रहा है। इसका विस्तृत विवरण तैयार कर प्रगती बैठक से पूर्व इस कार्यलय को उपलब्ध कराये जिससे कि आगे की कार्यवाहना तैयार की जा सके।</p> <p>इसके सम्बन्ध में भी सत्य, फ्यांवररविद् द्वारा सुझाव दिये गये कि Phytbioremediation एक बहुत ही अदुगुद वेस्ट कैम्पेन्ट तकनीक है जहाँ तक सम्भव हो सके इस तकनीक का प्रयोग किया जावे।</p> <p>या राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली द्वारा ओओप्रओ सं-360/2018 अनागत समी बनारस सुनिषन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों दिओ 05.07.2021 के अनुपालन में तैयार कराए गए डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्लान को याओ ओवर साइट कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>प्रभागीय निदेशक, सान्नाजिक वारिणी प्रभाव, आगरा द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिये गया कि जनपद के DEMP में सम्बंधित विभागों द्वारा Time line for completion, Action point (Budget required and available) का अपडेशन करकर एव Identification of gap और Action point का Section दिश होने पर उसे सत्या या न सत्या की यथाह से अनागत कराते हुए इस कार्यलय को उपलब्ध कराया जाये जिसके लिए वन विभाग को सहसन द्वारा कडे निर्देश दिए गए है जिसके सत्या में अगली मीटिंग जल्द ही आयोजित होने का है।</p>	<p>कार्यवाही-नगर निगम, आगरा</p>
<p>• अन्य विन्ड</p>	<p>• नगर आयुक्ता नगर निगम, आगरा। • अपर जिलाधिकारी/प्रगती स्थानीय निगम, आगरा। • समस्त अधिकारी अधिकारी, नगर पारितका/नगर • मुख्य विधित्ता अधिकारी, आगरा। • जिला धाम अधिकारी, आगरा। • क्षेत्रीय अधिकारी उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा। • अधिकारी अधिकारण, लोअर स्टाफ, आगरा नहर, आगरा • अधिकारी अधिकारण, प्राचीय स्टाफ, लोअर निर्माण विभाग, आगरा। • परिपोरना निदेशक, एनएचओआईओ, आगरा।</p>	<p>कार्यवाही-जिला एवं एवं सख्याधिकारी, आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग विओपबोर्ड समिति</p>

खिला यूरोपन समिति से सम्बन्धित कार्यवाही

<p>मार्च 2022 में पूर्व प्रदर्श में 35 करोड़ यूरोपन की बुका एवं जियो टैगिंग की समीक्षा</p> <ul style="list-style-type: none"> दिनांक 05, 06, 07 जुलाई तथा 15 अगस्त, 2022 एवं अप्रैल वन यूरोपन की प्रगति एवं जियो टैगिंग की समीक्षा 	<ul style="list-style-type: none"> प्रभागीय निदेशक, साओवा प्रभाग आगरा द्वारा अद्यतन कराया गया कि यूरोपन 2022 हेतु आर्बिट्रल लक्ष्य के समेत सभी विभागों द्वारा दिनांक 05, 06, 07 जुलाई 2022 एवं 15 अगस्त 2022 को कुल 51,37,798 (वन विभाग-1446731 अन्य विभाग-3689065) पौधों का रोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त यूरोपन के सर्वेक्षण वर्तमान तक 86.05 प्रतिशत जियो टैगिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आगरा जगद के अन्तर्गत दि 15.08.2022 को राज्य निरक्षर विभाग-690, नगर निकाय-12 नगर विभाग आगरा-01 कुल 705 अमृत वन की स्थापना की गई है जिसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 682 अमृत वन उद्यान की जियो टैगिंग की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आगरा द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि यूरोपन-2022 का जियो टैगिंग कार्य 02 दिन के अन्दर सभी विभागों द्वारा सकारिता पूर्ण कर लिया जाए। 	<p>कार्यवाही- 1-प्रभागीय निदेशक, साओवा प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग आगरा 2-नगर आयुक्त नगर विभाग आगरा 3-अपर जिलाधिकारी (विओएओ), आगरा 4-समस्त खण्ड विकास अधिकारी आगरा 5-समस्त अधिकारी अधिकारी नगर 5-उपायुक्त मन्रेगा।</p>
<p>प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रक 701/79-1 दि 10.08.2022 द्वारा "एवं 2021-22 में किये गये कुल यूरोपन के सापेक्ष किले प्रशिक्षण केंद्रों की प्रगति है ? " की सूचना को सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अद्यतन कराया गया कि प्राथमिक शिक्षा, युनि एवं रेशन विभाग को छोड़कर वर्तमान तक अन्य कितनी भी विभाग की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साओवा प्रभाग आगरा एवं समस्त विभाग जियोयुवा समिति</p>
<p>अन्य विभागों द्वारा किए गए यूरोपन की सकलता की वार्षिक सूचना के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा सभी विभागों के नोटल अधिकाधिकारियों को अद्यतन कराया गया कि सम्बन्धित विभाग यूरोपन 2022 की सकलता / जर्जिलता प्रतिशत की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अवश्य ही उपलब्ध करा दे ताकि सासमच रिपोर्ट सच स्तर को प्रेषित की जा सके परन्तु पुलिस विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है।</p> <p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रत्येक माह की 25 तारीख से पूर्व रिपोर्ट प्रभागीय निदेशक, आगरा के कार्यालय में उपलब्ध करावै।</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साओवा प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जियोयुवा समिति</p>
<p>अन्य विभागों</p>	<p>प्रभागीय निदेशक, साओवा प्रभाग आगरा द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी विभागों के यूरोपन नोटल प्रभारी यूरोपन स्थलों का स्वयं की निरीक्षण करती तै एवं उनके विभाग द्वारा किए गए 06 अलाके स्थलों का प्रयोजन कर चुकी इस कार्यालय में उपलब्ध कर दे किले उच्चधिकारियों से निरीक्षण कराया जा सके।</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निदेशक साओवा प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जियोयुवा समिति</p>

जिला मंगा मुख्या

1.1 से सम्बन्धित कार्यवाहियों बैठक दि 27.12.2022

श्री नमनि मंग योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा

- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए गए कि अगले वर्ष किए जा सकने वाले कार्यों की सभी विभाग अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करें।
- यमुना नदी के किनारे नगरों, ग्रामों में संवाहित विभागीय कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये।
- जिला पंचायत राज अधिकारी/नगर निगम स्वच्छता एवं गंदे नालों को वसुन में जाने से रोकने हेतु किए जा रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये।
- मुख्य विकास अधिकारी आगरा द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए कि यमुना के किनारे अपशिष्ट में से प्लास्टिक को अलग करके खट्ट बनाने की कार्ययोजना बनाए और उसे अगली बैठक से पहले उपलब्ध कराये।
- प्रभागीय निदेशक, साजवाड प्रभाग, आगरा द्वारा नमनि गार्ड के अन्तर्गत घाट बनवाने हेतु कार्ययोजना एवं नगर निगम शहरी क्षेत्र में घाटों के सौन्दर्यीकरण एवं आरती इत्यादि की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराये जितने कि शासन द्वारा फंडिंग ली जाएगी।
- प्रभागीय निदेशक, साजवाड प्रभाग, आगरा द्वारा जनवरी 2023 में समुदाय संस्करण के लिये जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने हेतु स्कूलों का फिल्मीकरण कर कार्ययोजना तैयार की गई है जिसके अनुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यक्रम सम्पादित कराये जायेंगे। कार्ययोजना का मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया एवं उनको द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं सम्बन्धित विभागों को उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देशा दिए गये।
- श्री रमन जी, पर्यावरणविद्द द्वारा यमुना के किनारे स्थिति ताज वन ब्लॉक तथा कलरौटा वन क्षेत्र में जैवविविधिता पार्क की स्थापना हेतु आरम्भक कार्यवाही हेतु सुझाव दिये गये।

2 प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम में ग्राम मंगा समिति/नगर मंगा समिति गठित कर सूचना प्रस्तुत किया जाना

Affirm
(आदरॉ कुमर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

कार्यवाही-

1. वन विभाग
2. नगर निगम आगरा
3. उद्यान विभाग
4. कृषि विभाग
5. पंचायती राज विभाग
6. जिला लेस्मि, शिक्षा अधिकारी

1. मुख्य मुखा सैन्ड, आनण

कार्यवाही-

पंचायती राज विभाग

मुख्य विकास अधिकारी
आगरा
27/12/22
09.01.23

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION
I.A. Nos. 134453-134454 OF 2019
IN
WRIT PETITION (C) NO.13381 OF 1984

IN THE MATTER OF:-

M.C. MEHTA

...PETITIONER

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply Affidavit on behalf of the Chairman Taj Trapezium Zone.	1 - 5
2.	<u>ANNEXURE - A1</u> A true copy of the Standard Operating Procedure for felling of Tree(s) on Government lands at the instance of Central/State Government, Development Authorities, Statutory/Public bodies, other public institutions and on Private lands in TTZ.	6 - 12

Filed by

Place : New Delhi
Dated : 07.01.2023

Kamleendra

(KAMLENDRA MISHRA)
Advocate for the State of Uttar Pradesh



INDIA NON JUDICIAL **2**
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Mahesh Kumar
 Mahesh Kumar
 Janki Vastu
 Janki Vastu - 5B
 Working AGO 07-11-2022
 A/c No. 10011

344

Certificate No.	: IN-UP92741480352309U
Certificate issued Date	: 28-Dec-2022 03:25 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14140904/ AGRA BADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1414090478937953457528U
Purchased by	: AMIT GUPTA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: FOR AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: AMIT GUPTA
Second Party	: CAPABLE OFFICER
Stamp Duty Paid By	: AMIT GUPTA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



Please write or type below this line

24
 NOTARY
 28/12/22
 MAHESH BASHI
 Regd. No
 8/32/200c
 Dist. Agra
(Signature)

1414090478937953457528U:IN-UP92741480352309U:28-Dec-2022 03:25 PM:NEWIMPACC (SV)/ up14140904/ AGRA BADAR/ UP-AGR:AMIT GUPTA:AMIT GUPTA:AMIT GUPTA:10:FOR AFFIDAVIT:SUBIN-UPUP1414090478937953457528U:10011:2022-12-28 03:25 PM:MAHESH BASHI:8/32/200c:Dist. Agra:28/12/22:24

1414090478937953457528U:IN-UP92741480352309U:28-Dec-2022 03:25 PM:NEWIMPACC (SV)/ up14140904/ AGRA BADAR/ UP-AGR:AMIT GUPTA:AMIT GUPTA:AMIT GUPTA:10:FOR AFFIDAVIT:SUBIN-UPUP1414090478937953457528U:10011:2022-12-28 03:25 PM:MAHESH BASHI:8/32/200c:Dist. Agra:28/12/22:24

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

Civil Original Jurisdiction

I.A. Nos. 134453-134454 OF 2019

IN

WRIT PETITION (Civil) No. 13381 OF 1984

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta

...Petitioner

Versus

Union of India & Ors.

...Respondents

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE CHAIRMAN TAJ
TRAPEZIUM ZONE IN COMPLIANCE OF THE ORDER
DATED 11.12.2019 PASSED BY THE HON'BLE SUPREME
COURT

I, Amit Gupta, aged about 46 years, S/o Shri L.N. Gupta, presently posted as the Commissioner of Agra Division and the Chairman Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority, Agra, presently at Agra, do hereby solemnly affirm and declare as

NOTARY
MAHESH BASHI
Regd. No
E/52/2000
Dist. Agra

That I am working on the abovementioned post and being duly authorised and competent to swear the present affidavit. I have gone through the contents of the present I.A. 134453-134454 of 2019 and have properly understood the same.

4

2. That the deponent craves leave of this Hon'ble Court to reserve its right to file a detailed Counter Affidavit, if considered necessary to do so at a subsequent stage or if directed by the Hon'ble Court to do so.

3. That an application was filed by Agra Development Foundation (Regd. Trust) before this Hon'ble Court with the prayer to prescribe the Standard Operating Procedure ("SOP") for the Taj Trapezium Zone (TTZ) for the felling of the trees on the non-forest Government lands for the public projects of the Government/its bodies.

4. That this Hon'ble Court was pleased to grant liberty to the applicant to file the SOP vide order dated 11.12.2019 passed in the I.A No. 134453-134454 of 2019. That the aforesaid Interlocutory Applications were listed for hearing before this Hon'ble Court on 11.12.2019, when the Hon'ble Court was pleased to pass the following order:-

NOTARY

MAHESH BASHI
Regd. No
8/32/2002
Dist. Agra

List these applications on 30.01.2020 to enable the applicant to suggest proposed standard operating procedure (SOP)."

5. That this matter was considered at various levels in the State Government on different dates and after taking into consideration of the suggestions of all stakeholders in the State Government it was considered necessary to suggest a Standard Operating Procedure to provide regulation for felling of trees and replanting of trees to increase green cover in the Taj Trapezium Zone (TTZ Agra).

5

A true copy of the Standard Operating Procedure for Felling of Tree (s) on Government lands at the instance of Central/ State Government, Development Authorities, Statutory/ Public bodies, other public institutions and on Private lands in TTZ is annexed as ANNEXURE-A1. 6-12

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of para 1 of this affidavit are true to my knowledge and para 2 to 5 are true to my knowledge being based on record and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed thereof.

NOTARY
MAHESH BAGHEL
Regd. No
8/32/2002
Dist. Agra

Verified at Agra on this _____ day _____, 2022.

[Signature]
DEPONENT

MAHESH BAGHEL
ADVOCATE / NOTARY

captioned To State
Who Understands The Contents Here Of
Solomnly Affirms Before Me That He/She
Named PERSON IS THE PERSON
Who Is Personally Known To Me This Day
At _____
Received At _____
Mahesh Baghel
Dist. Notary Agra

ANNEXURE A-1

Standard Operating Procedure (SOP)

6

for

Felling of Tree (s) on Government lands at the instance of Central / State Government, Development Authorities, Statutory/Public bodies, other public Institutions and on Private lands in TTZ in the matter of L.A- 527 of Writ Petition No. 13381/1984 M. C. Mehta vs. Union of India & others

A Standard Operating Procedure (SOP) to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees to increase green cover in Taj Trapezium Zone (TTZ)Agra.

Prefatory Note Statement of Objects and Reasons

As per order passed by Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 13381/1984 on dated 08.05.2015 it is mandatory to seek prior permission of Hon'ble Supreme Court before cutting/felling any tree situated in the Taj Trapezium Zone.

With a view to easing the process of felling permission for fallen, dead, dying, deceased, life threatening trees and trees creating hindrance in small project in TTZ a standard operating procedure is needed. This SOP is to maintain green cover for ensuring ecological balance, preventing pollution of environment, save the famous monument Tajmahal and conserving the soil. This SOP is made in accordance with existing enactment of Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976. This SOP is, accordingly, introduced.

1. Short title, extent commencement

- (1) This Standard Operating Procedure to regulate the felling and replanting of trees in Taj Trapezium Zone (TTZ) may be called the "SOP for Tree Felling in TTZ".
- (2) It extends to the whole of TTZ area.
- (3) It shall come into force at once.

Dem-3/Court Case/SOP Tree Felling/1


अनिल कुमार
आचार्य, अग्रा


प्रभावीय निदेशक
सांस्कृतिक विभागीय प्रभाग
अग्रा

2. Scope of the SOP:

(a) This SOP would apply to the felling of the trees in projects on the government land at the instance of the Central/State Government, Development Authorities, Statutory / Public bodies, municipal corporation/local body, along the public roads, canals and railway lines and other public institutions and on the private lands in the TTZ area.

The proposed SOP should apply to felling of trees not exceeding 500 in number and in case of more than 500 trees the applicant should approach the Hon'ble Supreme Court.

The dead, dying or deceased trees will be excluded from this number limit. There will be no maximum number of limits to permit felling of dead, dying, or deceased trees.

(b) This SOP would also deal with agroforestry to increase green cover in the TTZ area.

3. Mode of application:

The application for the felling of the trees shall be moved online by the Head of the Department ("the HOD") or an officer authorized by him ("the applicant") and private individuals also to the District Forest Officer (DFO) on the portal created by U.P forest Department.

4. Contents of the application for permission:

The application for permission for felling trees shall necessarily contain the following information:-

- a. Number of trees proposed to be felled.
- b. Species-wise details (popular & botanical names) of the trees to be felled.
- c. Reason and justification for the felling.
- d. Whether the tree for felling are dead, dying or deceased.

- e. Whether the trees for felling are a threat to the safety of any industrial or residential building or to the road users.
- f. Whether trees for felling are along the public road, canal or railway line and form part of the 'protected forest'.
- g. Goggle image of the site of the trees to be felled with coordinates.
- h. Number of trees (if any) to be re-located/trans-located.
- i. Details of the land with geo coordinates where compensatory plantation will be done in case of private tree(s).

5. Documents required with the application

- i. Khasra and Khatouni of the land where tree(s) are located.
- ii. Identity card of applicant (Voter card/adhar card/Driving licence/Passport).
- iii. Agreement in original (if applicable).
- iv. Scan copy of thumb impression/signature of applicant.
- v. Photo of applicant.
- vi. Affidavit.
- vii. Scan copy of certificate issued by Gram Pradhan.
- viii. Verification report of Tehsildar.
- ix. Photo of tree (s) with the date and GPS coordinates.

6. Certificate with the application:

The HOD or the officer authorized on his behalf of the applicant shall give a certificate supported with an affidavit to the following effect: -

- (a) The number of tree (s) for which permission is applied for is the minimum which are needed to be felled for the implementation of their project.
- (b) Every endeavor by the applicant shall be made to avoid felling of the tree (s) unless or otherwise the execution of the project without felling is not possible.
- (c) The trans-location or re-location of the trees shall be made, if possible.

Com-3/Court Case/SOP Tree Felling/3

वन संरक्षण
आमंत्रण वृत्त, आगरा

प्रमाणित
प्रमाणित निदेशक
सहसंचालक वनिकी विभाग
आगरा

- (d) As far as possible, the compensatory plantation would be carried out on non-forest land, as far as possible near the site or within the district concerned from where the trees are proposed to be felled in respect.
- (e) Adequate and proper safety arrangements of the plantation to be made shall be ensured to avoid damage of the plantation by animals and/or human beings.
- (f) The applicant shall abide by the statement, as given in the application and as may be additionally required by the DFO, while granting the permission.
- (g) The competent authority i.e. concern DFO may require other certificates and information from the applicant as he think necessary.

7. Permission for felling:

The DFO shall, after due consideration of the application and after calling for the report from the concerned Enquiry Officer/Range Forest Officer/ Sub Divisional Forest Officer and after perusing the documents brought before him, grant or refuse the permission applied for, for reasons to be recorded in writing, within a period of 60 days from the date of the filing of the application for the reasons recorded by him. In case, an application is rejected for want of some information, the applicant may move a fresh application after fulfilling the requirement.

The DFO shall grant permission of felling of tree(s), if the tree(s) pose threat to the safety of any industrial or residential building or to the road users and where the tree(s) are dead, dying or deceased, notwithstanding such tree(s) belong to the Forest Department of UP.

Provided that if the permission for trees in reserve forest and along the public road, canal, or railway line, being designated as 'protected forest' is granted, such permission shall not absolve the obligation of the applicant to obtain the requisite permission under the Forest (Conservation) Act 1980.

Provided that the applicant, if aggrieved by the order of the DFO, may move to the appellate authority Conservator of the Forest, Agra Circle, Agra (In short, CF,

Com-3/Court Case/SOP Tree Felling/4

का. अ. अ. अ. अ.
आगरा वृक्ष, आगरा

अ. अ. अ. अ.
आगरा वृक्ष, आगरा
क. अ. अ. अ. अ.
@

4gra)who may call for the records and may pass an order for the reasons recorded by him strictly in accordance with this SOP within a period of 30 days.

Provided that if the applicant fails to adhere to the conditions of the permission, the Conservator may take suitable action against the applicant including imposing appropriate penalty upon the applicant.

8. Compensatory plantation/deposit:

- a. As a condition of the permission, the applicant shall deposit the money required to plant saplings at least 10 times of the number of the trees proposed to be felled on Government lands at the instance of Central / State Government, Development Authorities, Statutory/Public bodies, other public institutions and private land
- b. In case of government projects requiring felling of less than 10 trees, forest department can choose the forest land and execute the plantation. In case of projects requiring felling of more than 10 trees, land will be identified and made available to the forest department for plantation and its maintenance for the specified period only by the applicant in the TTZ area only and forest department will execute the work. After maintenance of the plantation for the specified period the plantation shall be handed over to the land owner department/agency.
- c. In case of private tree(s), the applicant should plant 10 times of felled tree(s) in his own land as per existing rules of U.P forest Department. He should give number of saplings to be planted with their age, height and species (popular & botanical names), out of which the number of fruits bearing trees and native trees be specified. Forest department will keep record of species planted and location (with geocoordinates) and will monitor these plantations.
- d. A detailed estimate and identification of land for compensatory plantation will be made by the concerned RFO. The estimate will include all provisions like fencing, irrigation, manuring, nursery, beating up, watch and ward to ensure

- that the plantation is successful. The maintenance of plantation will be taken for 10 years.
- e. The applicant shall deposit the amount for the required compensatory plantation with the DFO.
 - f. A separate account should be opened in a nationalized bank by the concerned DFOs for all the compensatory afforestation fund covered by permissions under ITZ.
 - g. The DFO shall be under the legal obligation to utilize the amount, so deposited with him, only on the plantation of the saplings, re-plantation (in case of mortality) and their maintenance and shall maintain the account of its expenses.
 - h. Permission with such condition shall not absolve the obligation of the applicant to obtain the requisite permission under the Forest (Conservation) Act 1980. These all conditions will be in addition to the Forest (Conservation) Act 1980.

9. Permission for agroforestry-

The applicant should inform the concern DFO through concern range office before starting the agroforestry. After receiving in writing Range office and DFO office will maintain a record in a register about area, location (with geo coordinates), ownership and probable time of harvesting. Concern Range officer will physically verify the plantation before & after getting it planted and will record it. At the time of harvesting again applicant will apply for the tree felling and transition pass at the online portal developed by the U.P forest department. After receiving application concern DFO will grant the permission as per procedure established by U.P forest department under U.P Tree Protection Act 1976.

Note- Provision of this section will apply only for those plantations which are done after the date of commencement of this SOP.

Com-3/Court Case/SOP Tree Felling/5

८५
 ८५ से राक
 आगरा वृक्ष आगरा

H. Hand
 २०२४/०५/०५
 २०२४/०५/०५
 २०२४/०५/०५

10. Species for compensatory plantation:

The plantation shall be done of species suitable to the agroclimatic zone preferably of native species. In case of refractory soils like usar lands and ravines, plantation as per the working plan of the forest department shall be done.

11. Post Plantation maintenance:

The forest department will maintain the plantations for at least 10 years and will ensure to make all necessary provisions in the estimates for proper watering, safety, beating up and others including local infrastructure so that plantations thrive.

12. Status Reports of the compensatory plantation:

The post monitoring of plantations should be done by DLSA (District legal services authority) as they are already doing the monitoring of TTZ plantations as per the orders of Hon'ble Supreme court.

The monitoring should be done biannually as proposed for a period of 5 years whose status report will be submitted before the Hon'ble Supreme Court. The report will contain the particulars regarding the mortality, replantation, growth and watering arrangements supported by photographic evidence and Google earth images with time frame.


13. Display of plantation records on official website:

The status report should be updated on official website of TTZ authority and Forest department of Uttar Pradesh.

Com-3/Court Case/SOP Tree Felling/7


वन अधिकारी
अमरकान्त मुल्ल, आगरा


अमरकान्त मुल्ल, आगरा
अमरकान्त मुल्ल, आगरा


TRUE COPY



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1917 / 04-665 / 2023

दिनांक - 06 / 12 / 2023

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. उपायुक्त (यातायात), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।
6. सन्मागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा-इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा आयरन फाउण्ड्री एसोसियेशन, 88-नार्थ विजय नगर कालोनी, आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फेक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, 52-ए, औद्योगिक आस्थान-मुनिहाई, आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फेक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, ई-121, साईट-सी, सिकन्दरा, आगरा।

विषय:- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के मासिक अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण, आगरा की 61वीं बैठक दिनांक 08.09.2023 के कार्यवृत्त में एजेण्डा बिन्दु संख्या-06 के बिन्दु संख्या-(1) में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी०टी०जे०ओ प्राधिकरण, आगरा द्वारा निर्देशित किया गया कि "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से तैयार करायी गयी "Apportionment of air pollution source at Taj Mahal" के परिप्रेक्ष्य में एक्शन प्लान के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों के द्वारा आवश्यक अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गयी स्टडी में उल्लिखित कन्ट्रोल ऑप्शन्स एवं एक्शन प्लान के बिन्दुओं पर अपेक्षित अनुपालनीय कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों से सुनिश्चित करायी जाये, जिसकी समीक्षा जिला पर्यावरण समिति की नियमित बैठकों में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा अनिवार्य रूप से की जाये। प्रभागीय निर्देशक, सामाजिक चानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा जिला पर्यावरण समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित समय पर सुनिश्चित कराया जावेगा। समिति की संस्तुतियों टी०टी०जे०ओ प्राधिकरण की बैठकों में भी प्रस्तुत की जायें।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालनीय बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०टी० roagra@uppcb.in एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जाने कष्ट करें, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टी०टी०जेड० प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय

NSH
6/11/23

(डा० विश्वनाथ शर्मा)

02/ *NSH*
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनाार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

NSH

क्षेत्रीय अधिकारी

02/ *NSH*
2023



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 1226 / 04-665 / 2023

दिनांक - 08 / 09 / 2023

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, आगरा।
3. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. अध्यक्ष/सचिव, आगरा आयरन फाउण्ड्री एसोसियेशन, 88-नार्थ विजय नगर कालोनी, आगरा।
13. अध्यक्ष/सचिव, फ़ैक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, 52-ए, औद्योगिक आस्थान-नुनिहाई, आगरा।
14. अध्यक्ष/सचिव, सिकन्दरा फ़ैक्ट्री ऑनर्स एसोसियेशन, ई-121, साईट-सी, सिकन्दरा, आगरा।

विषय:-राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 1526/ओजी-665/2023 दिनांक 15.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जित्तके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से तैयार कराये गये-Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study Report में वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु Control Option and Action Plan for City of Agra प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, किन्तु कुछ विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।


क०प०उ०

अवगत करना है कि आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.09.2023 को सम्पन्न टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की 81वीं बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि आई0आई0टी0 कानपुर की रिपोर्ट पर विभागों द्वारा किये जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जाये।

तत्कम में आपसे अनुरोध है कि आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा की गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study में दिये गये Control Option and Action Plan for City of Agra के अनुसार की गई कृत कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई0डी0 roagra@uppcb.in एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जाने कष्ट करें, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय



(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


8/9/23
क्षेत्रीय अधिकारी

d/c

सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
5. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।

विषय:-राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 706/ओजी-865/2022 दिनांक 30.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से-Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु आपके विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।


उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० roagra@uppcb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।


जिलाधिकारी,
आगरा।

पत्रांक - 706/ओजी-665/2022

दिनांक - 30/09/2022

सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक घानिकी, आगरा।
4. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
6. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
8. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा-इंटावा खण्ड।
12. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
13. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।


विषय:-राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक सं०-348/ओजी-665/2022 दिनांक 22.06.2022 एवं ई-मेल दिनांक 18.08.2022 तथा दिनांक 27.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक उत्तरदायी विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु को जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० roagra@uppcb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय




(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी,
आगरा

92

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।



जिलाधिकारी,
आगरा

92

**Action Taken Report in IIT Source Appointment Study
Control Options and Action Plan for City of Agra
Updated up to December -2023**

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Hotels/ Restaurants	Restaurants of sitting capacity more than 10 should not use coal and shift to electric or gas-based appliances.	Agra Municipal Corporation	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized.
	Link Commercial license to clean fuel	Agra Municipal Corporation, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	1 year	Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if coal found, penalty is imposed and coal is seized. They are advised to use clean fuel like LPG.
	Ash/residue from the tandoor and other activities should not be disposed near the road side.	Agra Municipal Corporations	1 year	Ash/residue does not found near the road side, as restaurants/dhabas are using gas tandoor. Random checking is done by enforcement team of nagar nigam, if Ash/residue found penalty is imposed and coal is seized.
Domestic Sector	LPG to all. Slums are using wood as cooking fuel.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 298345 Ujjwala Gas Connection are provided to Slums for cooking fuel.
	By 2030, city may plan to shift to electric cooking or PNG.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In agra total 79783 PNG connections are provided.
Municipal Solid Waste (MSW) Burning	Any type of garbage burning should be strictly stopped.	Agra Municipal Corporation	Immediate	Green Gas:- Green gas Ltd has layed piped natural gas (PNG) line in 80% area of the city. Rest pipe line laying is in process. Process of house hold connections are in progress.
	Surveillance is required that hazardous waste goes to TSDF.	Agra Municipal Corporation, UPPCB		N.N:- नगर निगम आगरा द्वारा एच सी-619 / DVEE / 2023 दिनांक 27.12.2023 में अवगत कराया गया। 1. कूड़े को जलने से रोके जाने हेतु समस्त रकबाई एवं बाघ निरीक्षकों को निर्देश दिये गये है एवं किसी भी प्रकार की कड़ेई सूचना प्राप्त होने पर अग्न युक्ताने की त्वरित कार्यवाही की जाती है।
	Desilting and cleaning of municipal drains	Agra Municipal Corporation		2. वर्ष ऋतु से पूर्व समस्त नालों की सफाई का कार्य कराया जा चुका है।
	Waste burning in Industrial area should be stopped.	UPSIDC, UPPCB		3. नगर निगम द्वारा जनजागरूकता की कार्यवाही वर्तमान में रेली, सोशल मीडिया एक्सप्लोरेटिवों, बैनर आदि के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।

	Daily, Monthly mass balance of MSW generation and disposal	Agra Municipal Corporation	<p>UPPCB:-1. Regular Monitoring is being done in industrial areas to stop waste burning. No evidence has been observed of waste burning in industrial areas.</p> <p>2. Sensitizing childrens in schools through debates, workshops and literature distribution on various aspects regarding abatement of pollution.</p>
	Sensitize people and media through workshops and literature distribution.	Agra Municipal Corporation, UPPCB and NGO	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023. The process of Wet suppression is followed on daily basis at under construction service road site at Deori near Rohin casual. All the building material is covered at site by green net. The surrounding roads are being regularly sprinkled by tanker since the work started.</p>
Construction and Demolition	Wet suppression	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	<p>N.N:- नगर निगम अग्रा द्वारा पत्र सं०-519 /D/AE/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 13 वाटर टैंकरों का उपयोग प्रतिदिन पानी का छिड़काव करना जा रहा है, जिससे कलरावण से युक्त सड़कें नगरीय परिवहन में बाधा है।</p>
	Wind speed reduction (for large construction site)	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No such large construction sites.</p> <p>PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Being Following</p>
			<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per norms.</p> <p>-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p>

<p>Enforcement of C&D Waste Management Rules. The waste should be sent to construction and demolition processing facility</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD, UPMRC</p>	<p>Immediate</p>	<p>UPMRC:- द्वारा पत्र सं-यूपीएनओआरसीएलओ/आगरा मेट्रो/2023/280 दिनांक 16.12.2023 द्वारा अलग कया गया है कि यूपीएनओआरसीएलओ, आगरा मेट्रो द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि मासिक एक्शन टेकन रिपोर्टों की हार्ड प्रतिलिपि प्रति माह क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण निबंधन बोर्ड को प्रेषित की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण निबंधन बोर्ड द्वारा प्राय प्रसिद्धि प्रतिलिपि अगुल-नक-2 में आपके सावर अवलोकन हेतु संलग्न करते हुये प्रेषित है। यूपीएनओआरसीएलओ, आगरा मेट्रो द्वारा कार्यस्थल में वायु गुणवत्ता (एयुअरिडि इस्ट एमिशन) को सर्वेक्षित रखने के लिए निचे गये प्रयास निम्नलिखित है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- मेट्रो कार्य स्थल में वाटर स्प्रिंकलिंग। 2- मेट्रो कार्य स्थल में रॉ गेरिडियल को डककर रखना। 3- मेट्रो निर्माण क्षेत्र में प्रदुषण यंत्रों को कवर्ड कर संचालित करना तथा सीड एण्ड सीड समुचित निस्तारण। <p>यूपीएनओआरसीएलओ, आगरा मेट्रो इस्ट निर्देशन के महत्व से पूर्णतः अवगत है एवं इसके अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्य किये गये तथा भविष्य में भी सुनिश्चित किये जायेंगे ताकि आगरा मेट्रो निर्माण क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता संरक्षित रहे। इस विषय पर आपका सावर सहयोग एवं समर्थन सराहना योग्य है।</p>
<p>Proper handling and storage of raw material: covered the storage and provide the wind breakers.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>Immediate</p>	<p>N.N:- नगर निगम आगरा द्वारा पत्र सं-519 /D/RE/2023 दिनांक 27.12.2023 द्वारा अवगत रूपका गया है कि सड़क पर चलता डालने वाले लोगों के विरुद्ध निर्माण यंत्रणने की कार्यवाही की जाती है। नगर निगम द्वारा कुबेरपुर स्थल पर 5 टीपीसी समता का सी एण्ड सी वेस्ट प्रोसेसिंग संयंत्र संचालित है। इसके साथ ही 150 टीपीसी क्षमता के प्रोसेसिंग संयंत्र हेतु भी स्थल को विन्डकॉन कर कार्यवाही प्रगति पर है। की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।</p>
<p>Vehicle cleaning and specific fixed wheel washing on leaving the site and dumping down of haul routes.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the loose material is covered by green net at site and sprinkled regularly by tankers. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 The vehicles carrying building material to the site the tyres and the storage cabin are properly washed. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p>

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Road Dust	The silt load in Agra varies from 7.4 to 55.1 g/m ² . The silt load on each road should be reduced under 3 gm/m ² . Regular vacuum sweeping should be done on the road having silt load above 3 gm/m ² .	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India	Immediate	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Green net and fine screen coverage done at applicable sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p> <p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No storage is collected by the road side. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p> <p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per applicable approved layouts. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p> <p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done regularly at applicable sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following</p> <p>N.N:- नगर निगम द्वारा ग्रा 74-519 /D/EE/2023 दिनांक 27.12.2023, ग्रा सर्वे करवाया गया है कि नगर निगम द्वारा दिनांक 22.11.2023 पर 28.11.2023 को जो वर्क से सम्बंधित अधिसूचनाएं एवं नगरकें एवं नगर निगमों का संक्षेप से समझ से संशोधित किया जा चुका है।</p>
	Actual construction area should be covered by a fine screen.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Green net and fine screen coverage done at applicable sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	No storage (no matter how small) of construction material near road side (up to 10 m from the edge of the road)	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per applicable approved layouts. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	Builders should leave 25% area for green belt in residential colonies to be made mandatory.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per applicable approved layouts. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	Sensitize construction workers and contract agency through workshops.	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD, UPPCB and NGO		ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done regularly at applicable sites. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 No C&D work is going on but instructions being following
	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Road Dust	The silt load in Agra varies from 7.4 to 55.1 g/m ² . The silt load on each road should be reduced under 3 gm/m ² . Regular vacuum sweeping should be done on the road having silt load above 3 gm/m ² .	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India	Immediate	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Around the site all the roads are being cleaned by manual sweeping and the water sprinkling is done by tankers. The Anti smog gun is regularly operated at site. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 The silt load has been done and trying to reduced.</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023, Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Tenders are also invited to hire the 04 new MRS machines on contract basis. Dust from the road side is being collected on daily basis to reduce the pollution load on the road.</p> <p>N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Noted for Compliance. Sweeping on Agra to Etawah by piece section of NH-02 (New NH-19) especially in TTZ area is being done by Concessionaire with Hydraulic Vacuum Sweeper as per requirements. Photographs are attached here with for your ready reference please.</p>

<p>Convert unpaved roads to paved roads. Maintain Pothole Free Roads.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Around the site all the footpaths are paved by CC either the paved by CC or by grass turfing to maintain pothole free roads. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Roads patch work is going on continuously. N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Agra. Tenders are invited to construct end to end roads under 15th FC and the works at some place are under progress. N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Noted for Compliance. The highway is being maintained as per site requirements. Repair and rectification of pavements/potholes remain in progress under routine maintenance. Photographs are attached.</p>
<p>Implementation of truck loading guidelines; use appropriate enclosures for haul trucks and gravel paving for all haul routes.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, PWD National Highway Authority of India National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 All the guidelines are being complied related to all truck routes to the site. No dust is spreading in the atmosphere. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not related to PWD N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Truck loading guidelines are strictly followed as per directions in letter under reference.</p>
<p>Increase green cover and plantation. Undertake greening of open areas, community places, schools and housing societies.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Authority, State Forest Department, PWD National Highway Authority of India</p>	<p>Immediate</p>	<p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023. Plantation has been done as per the target. ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 - Plantation has been done as per norms. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Instructions being Following प्रधानीय निदेशक, सामाजिक वित्तिकी विभाग, आगरा से पत्र सं-2280/29-1 आगरा, दिनांक 15.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है। जनपद के अन्दर ही हरियाली में बढ़ोत्तरी के लिये वन विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के अन्दर ही आगरा जनपद में वन विभाग 1288874 एवं अन्य विभाग 3737056 कुल 5029030 पौधों का रोपण किया गया है। वह वृक्षारोपण कार्य Community places, Schools and housing societies etc में भी कराया गया है। N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHA/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023. Plantation on Project Highway was/is being done by Concessionaire as per provisions in concession Agreement and maintenance of same is in progress.</p>

<p>vacuum assisted sweeping carried out four times in a month, this will reduce road dust emission by 71%</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board/ADA, Agra Municipal Corporation, National Highway Authority, PWD</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable. PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not Related to PWD N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Work order has been issued to hire the 04 new MRS machines on contract basis. N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023/4249 Dated 12.12.2023 that Concessionaire is using hydraulic Vacuum sweeper for sweeping of road, water sprinkling to control dust and watering in median/median plants and provide Photographs are enclosed here with for your kind information and record please. RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. From 1/04/2020 only BS VI vehicle are being registered. BS IV Vehicle have been denied for registration ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable. UPSIDC- 2020 राज्य सरकार परिवहन विभाग, आगरा द्वारा पत्र सं-16-2020/आगरा/माल/यानु प्रदूषण/2023-24 सं-8886 दिनांक 30.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 1- आगरा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बीएएस-05 की बसें प्राप्त हो रही हैं, बिना माइ तक बीएएस-06 की 44 बसें भी, वर्तमान माइ में 28 बसें प्राप्त हुई हैं और अनुश्रुति बसें 86 हैं। लक्ष्यकार कुल बसें 127 हैं। विनका संचालन करना या रखा है, इसी प्रकार आगामी माहों में भी बीएएस-06 बसें प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। 2- आगरा क्षेत्र की सड़क बसों का संचालन प्रदूषण रोक कराने के उद्यमता मांगक अनुभव की कक्षा का एक है एवं विनका प्रयासों बसों के अन्दर बसों की बिया जाता है। 3- बसों की नियमित रूप से जांच/बिना की जाती है कि बसों को नियमित रूप से रोक करके उन्हें चरि वाहन में मांग के विरुद्ध प्रदूषण प्रतिक्रिया होता है तो जांच/बिना में तकनीकी जांच/बिना के द्वारा तत्काल ठीक करवाकर चलाने पर संचालन हेतु देखा जाता है।</p>
<p>Diesel vehicle entering the city should be equipped with DPF which will bring a reduction of 40 in emissions (This option must be explored once Bharat stage VI fuel is available)</p>	<p>State Transportation Department</p>	<p>RTO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. According to TTZ rules 15 years old vehicles (petrol/diesel) have been phased out.</p>
<p>Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.</p>	<p>State Transportation Department Industrial Associations</p>	<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 Compliance- Most of Factories seek services of outside commercial vehicles for such transportation this is in Government hand to ban commercial vehicles below BS-VI category and promote battery or electrical operated commercial vehicles for transportation within Agra.</p>
<p>Vehicles</p>	<p>Transport Department, Factory owner's Association</p>	<p>3 years</p>
<p>Industries must be encouraged to use Bharat stage VI vehicles for transportation of raw and finished products</p>	<p>Immediate</p>	<p>3 years</p>

<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 As an added feature and achievement made by our Factory Owner's Association we are happy to inform Esteemed UPPCB that during this monsoon our Association has planted almost 5000 saplings of various trees at an allotted area of 1 acre in Industrial Estate, Numbal space provided by Esteemed DIC, Directorate of Inds., Govt. of U.P.</p>			
<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023 Further we would like to express our grievance against Agra Nagar Nigam & Traffic Police, Agra where by ANN has out rightly ignored beautification of underneath of Ram Bagh Flyover it is in horrible condition there is garbage dump yard made of such important place that can be well utilised as a small public park or even for parking of auto taxis, there is so much chaos of traffic jam at this major Rambagh crossing traffic police are totally failure to handle the heavy traffic even traffic signals are not functioning and standing as just showpiece since the installation done by Agra Smart City more than three years before. More over UPSRTC buses are still & continue to illegally ply on National Highway-19 at various spot causing severe traffic jam this sheer nuisance activity of UPSRTC has nullified the existence & convenience of flyovers made by NHAI for smooth traffic movement the traffic police of Agra is totally failure to control illegal stoppages, these UPSRTC buses stop on NH-19 just for the pickup & drop of passengers at their own convenient stops, it can be said that NH-19 route in Agra is one of the major bus stand illegally operating at various spot many hundreds & hundreds of passengers are standing and waiting for buses on route to NH-19 which should be completely stopped but regret to say irrespective of DM strict orders there is no change & progress in this illegal transportation activity carried out by UPSRTC. Also it is high time that UPSRTC must change & switch over its fleet of badly state & ruined condition of diesel passenger buses of more than 10 years old & to be replaced with electrical airconditioned buses for the benefit of long route passengers, after all we have double engine Government in U.P. and also try to make Agra traffic movement in a much needed smooth controlled manner the Traffic Police Officers who are not able to give best of results in performing their duties honestly should be debarred/suspended with immediate effect. We are informing this matter as we aggrieved factory owners very often take this route for to & fro of our factories and everyday we get stuck up in traffic jams on NH-19 as well as at Ram Bagh Crossing underneath of flyover.</p>	<p>2 years</p>	<p>Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.</p>	<p>Source</p>
	<p>Policy to be decided at State level Authority</p>	<p>Responsible authorities/agencies</p>	<p>Control Action</p>
			<p>Time Frame</p>
			<p>Compliances</p>

Introduction of cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In Agra 24 retail outlet are providing CNG as a clean fuel.
Check overloading: Expedited installation of weigh-in-motion bridges and machines at all entry points to Agra.	Transport Department, Traffic Police, Agra, NHAI, Toll agencies	Immediate	cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles are available in Agra all three wheelers, school buses and commercial vehicles are running by natural gas. RTQ:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. Total 3847 challans in overloading have been done from 1-apr-23 to 31-oct-23. Currently 3 motion bridges are working in Agra. 1.Koral Toll Plaza 2.Saiyan Toll plaza 3. Fatehabad Toll plaza अगर पुलिस सचमुक्त यातायात कन्ट्रोलिंग जवाबदार के पत्र विड-आर/एसडू फीचर-22 / 2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवरल करवाया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा अवरल/अवरोध विभाग के साथ समझ-संझ पर और लॉडिंग यातायात के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है।
Electric/Hybrid Vehicles should be encouraged. New residential and commercial buildings to have charging facilities. Buses should be CNG or Electric.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	Government has given subsidy on electric vehicles as 1. Private 2 wheelers and 4 wheelers: Average subsidy on sale amount for 2 wheelers is 5000 and 4 wheelers is 1 lakh. Also these vehicles have been exempted from Road Tax. 2. Electric E-rickshaw and Auto if manufactured in UP Road Tax Up to 2-3 years exempted. If manufactured outside UP two years exemption.
Make a time-bound plan for dipper penetration of electric vehicles (EVs), parallelly effort must be made for charging infrastructure including facilities for swapping the batteries. As a first step, two and three-wheeler should be considered for EVs.	The state of Uttar Pradesh and Agra administration	1 year	Transport Department - Government has rolled out new EV Policy in which vehicle purchased and Registered in Uttar Pradesh will be Exempted from road tax Transport Department - EV Dealers are establishing Station at their dealership. also ADA and UPSRTC is also establishing charging Station
Depot spaces should be rationalized to ensure more efficient utilization. Multi-modal, multi-use bus depots to be developed to provide high-class bus services and terminal experience to passengers. Should include well-equipped maintenance workshops. Charging stations shall be set-up.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	RTO- Related to City transport and UPSRTC
Enforcement of bus lanes and keeping them free from obstruction and encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Insure integration of existing metro system with bus services.		Agra Metro Rail Corporation, Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable. अपर पुलिस उपमुख्य यातायात कमिश्नर जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अगत कारवाया गया है कि जनपद में कमिश्नर में मेट्रो रेल परिचालना का कार्य प्रवर्तित है। यातायात पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में आम जनमानस को निजी वाहन के अफेस किटी बरों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है।
	Route rationalization: Improvements of availability by rationalizing routes and fleet enhancement with requisite modification.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable. अपर पुलिस उपमुख्य यातायात कमिश्नर जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अगत कारवाया गया है कि शहर क्षेत्र में मार्गों के सुधार हेतु समय-समय पर सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु अगत कारवाया जाता है।
	IT systems in buses, bus stops and control centre and passenger information systems for reliability of bus services and monitoring.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	अपर पुलिस उपमुख्य यातायात कमिश्नर जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अगत कारवाया गया है कि शहर क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा बस स्टॉप पर ही बसों को रोक कर सवारी बंदाने एवं उत्तारने हेतु समय-समय पर परिवहन विभाग के वालक/परिचालकों को जागरूक किया जाता है। परिवहन विभाग को भी वालक/परिचालकों को निर्धारित बस स्टॉप पर ही बस को रोक कर सवारी बंदाने व उत्तारने हेतु निर्देशित किये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया है।
	Movement of materials (raw and product) should be allowed between 10 PM to 5 AM.	Transport Department, Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	1 year	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable. अपर पुलिस उपमुख्य यातायात कमिश्नर जनपद आगरा के पत्र सं-आर/एसड पीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अगत कारवाया गया है कि शहर क्षेत्र में भारी मात्रा वालक वाहनों, लोडिंग आदि वाहनों के लिये प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक एम्पी व्यवस्था लागू की गयी है।
Industries and DG Sets	Ensuring emission standards in industries. Shifting of polluting industries.	UPPCB, Industries Department	1 year	As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P.(C) 13381/84 (M.C Mehta Vs Union of India, All the Air Polluting Industries are operational with natural gas/electricity. Random monitoring is being done by UPPCB

<p>Strict action to stop unscientific disposal of hazardous waste in the surrounding area</p>	<p>Municipal council and UPPCB</p>	<p>1 year</p>	<p>In Agra 29 industries are identified which generate hazardous waste during process. All units are disposing their hazardous waste through TSDF. Total Quantity of hazardous waste is 64,039 MT (Landfillable is 50,239 MT, Incinerable is 0.8 MT and recyclable is 13 MT). Regular inspections is being carried out in Industrial areas. No unscientific disposal of Hazardous Waste has been observed.</p>
<p>There should be separate Treatment, Storage, and Disposal Facilities (TSDFs) for hazardous waste.</p>	<p>Industrial Associations, UPSIDC, Industries Department, UPPCB</p>	<p>2 years</p>	<p>As per the information -Dated 14.09.2023 by Factory owner's association, Nunhai. There are no Hazardous Waste factories in Industrial Estate, Nunhai most of them are listed under white & green category. However as per PCB records orange & red category industries are also operational in Industrial area, Nunhai. Orange category industries are using Natural Gas & Electricity, as fuel and does not generate Hazardous waste. Red category industries (electro plating units) has done agreement with TSDF for the disposal of Hazardous waste.</p>
<p>Industrial waste burning should be stopped immediately</p>	<p>Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB</p>	<p>Immediate</p>	<p>There are no such factories burning any industrial waste within Industrial Estate, Nunhai. No information has been received, reg. industrial Waste burning in Industrial areas.</p>
<p>Follow best practices to minimize fugitive emission with in the industry premises, all leakage within the industry should be controlled</p>	<p>Industrial Associations, UPSIDC, UPPCB</p>	<p>Immediate</p>	<p>Yes all factories are strongly following best methods to control such emission and leakages. As per information UPPCB: All air polluting the industries are operational with Natural gas/electricity Efforts are being made by industries to stop Fugitive emission.</p>
<p>Area & road in front of the industry should be the responsibility of the industry.</p>			<p>Yes all factories are well maintaining such area & road.</p>
<p>Industries (Induction Furnace) Recommended Fume gas capturing hood followed by Baghouse should be used to control air pollution</p>	<p>Industrial Associations, UPPCB</p>	<p>2 years</p>	<p>Directions has been given to the Foundry Association to install fume gas capturing hood followed by bag house to control air pollution. As per information UPPCB, Fume hood along with APCs has been installed by foundries.</p>

Source - industries & DG Sets Diesel Generator Sets	Factory owner's association, Numbal.	Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023. Yes will ensure all industrial DG set which have gas connections are shifted to gas-based generators. 1. Meanwhile we would like to inform esteemed UPPCB to please expedite release of industrial gas connection pending before GGL-Green Gas Ltd., Agra since last couple of years all gas pipelines have been layed down within industrial Estate, Numbal but GGL is adopting delayed tactics to start the gas supply many factories have applied for gas connections here and are anxiously awaiting for their connections this will certainly make the environment of industrial estate., Numbal more eco-friendly and the production cost of finished goods will certainly go down which is very high due to high electricity tariff. 2. As such there is no power break down or any short supply of electricity within industrial Estate, Numbal it is being well taken care of by Torrent Power Ltd and usage of DG sets is almost negligible.		
Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
Strengthening of grid power supply, uninterrupted power supply to the industries	The stand by power from DG sets should also be on clean fuel. All industrial DG sets which have gas connections should shift to gas-based generators. The battery-backed UPS/inverters should be considered for other commercial places and hospitals. Renewable energy-based generation should be encouraged.	State Energy Department, JVVNL	2 years	As per the Hon'ble Supreme Court Order dt. 30.12.1996 in W.P(c) 13381/84 (M.C Mehta Vs Union of India uninterrupted power supply is being provided by DVVNL/Torrent Power Ltd in Agra.
Strict action on road side encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporations, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Traffic Police, Agra	Industrial Associations, Agra Municipal Corporation, Agra.	2 years	The use of DG sets in agra is negligible. As uninterrupted power supply is being provided by DVVNL/Torrent Power Ltd in Agra, battery-backed UPS/inverters are installed at commercial places and in residential areas. Renewable energy sources such as; solar power is also being encouraged. Foundry industries (cupola and induction furnace) operational in Foundry Nagar and Numbal industrial areas are using gas based generator. They are using Natural gas as fuel.
		ADA :-Informed by letter number - 165/DVAE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.		N.N:- नगर निगम द्वारा पत्र सं-019/DVEE/2023 दिनांक 27.12.2023 में अग्रत करवाया गया। नगर निगम प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रतिलिपि रोडवेयर/ग्राफ सूचना के आधार पर अधिकतम हटायें जाने की कार्यवाही की जाती है।

<p>अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०डी०-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा नगर निगम एवं स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चौगाह/सिराह, मार्गों एवं बाजारों में अतिक्रमण करने वाले ठेल-डकेत, ऑटो रिक्शा एवं दुकानदारों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है।</p>	<p>अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०डी०-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में वाहनों के अनुराशित एवं सुकन संभालन हेतु चौगाहों/सिराहों पर यातायात कर्मियों की स्यूटी लगायी जाती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एन.टी. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। यातायात पुलिस द्वारा रैड स्टाप करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एन.टी. एक्ट के अन्तर्गत कुल 4783 वाहनों के बालान किये गये एवं कुल 465000/- रुपये शमनशुल्क वसूल किया गया है।</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>	<p>अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं०-आर/एस० पी०डी०-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में वाहन चालकों के अतिरिक्त से पार्क वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत एवं केंद्रों के माध्यम से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग में खड़े पाये गये वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 6235 वाहनों के बालान किये गये एवं 46500/- रुपये शमनशुल्क वसूल किया गया। केंद्रों द्वारा 245 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 125700/- रुपये शमनशुल्क वसूल किया गया।</p>
--	---	--	---

<p>Disciplined Public transport (designate one lane stop).</p>	<p>Agra City Transport Services Pvt. Ltd., Traffic Police, Agra</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd., Traffic Police, Agra</p>
<p>Removal of free parking zone</p>		

Decongestion of Roads at high traffic areas

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
	Examine existing framework for removing broken vehicles from roads and create a system for speedy removal and ensure minimal disruption to traffic.	Agra Development Authority, City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra.		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आए/एसड पी0टी0-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अंगत कराया गया है कि यातायात पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में संचालित फिटनेस समाप वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कैनॉनिक कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा फिटनेस समाप वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 408 वाहनों के चालान भिजे गये एवं 8900/- रुपये शमलभुक्त वसूल किया गया तथा 15 वर्ष पुराने वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल 19 वाहनों को सीज कर यातायात पुलिस लाईन में दाखिल किया गया है।
	Synchronize traffic movements or introduce intelligent traffic systems for lane-driving.	Agra Development Authority city, Transport Services Pvt. Ltd, NHAI, Traffic Police, Agra		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आए/एसड पी0टी0-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अंगत कराया गया है कि यातायात कर्मियों को ब्यूटी लगाकर वाहनों को लेन में डी थलावे जाने के सम्बन्ध में वाहन चालक/स्वामियों को जागरूक किया जाता है।
	Mechanized multi storey parking at bus stands, railway stations and big commercial areas.	Agra Development Corporations, NHAI, Traffic Police, Agra		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आए/एसड पी0टी0-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अंगत कराया गया है कि मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण कराये जाने को गहर क्षेत्र में आगश्यकता है।
	Identify traffic bottleneck intersections and develop smooth traffic plan. For example, Loha mandi, Rakabgaaj, Korwali, Tajganj, Hari-parwat are the main bottlenecks for traffic.	Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, Traffic Police, Agra		अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरेट जनपद आगरा के पत्र सं-आए/एसड पी0टी0-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अंगत कराया गया है कि शहर क्षेत्र में बोटलनेक्स को चिन्हित कर उन स्थानों पर यातायात के सुगम संचालन हेतु यातायात कर्मियों की खूबी लगाकर यातायात संकथनों का प्रयोग कर यातायात को सुव्यवस्थित संचालित कराया जाता है।

<p>Parking policy in congestion area (high parking cost, at city centers, only parking is limited for physically challenged people, etc).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, NHAI, Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरट जगदर अगरा के पत्र सं-अर/एचओ सीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अगला कारवाया गया है कि शहर में अधिक सीढ़-गाड़ वाले शायरों में यातायात पुलिस द्वारा पलाहंग रकबाड केंनी जादि को अगपरील रककर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कएयी जाती है। निर्यातित पार्किंग स्थान के बाहर छड़े वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाही की जाती है।</p>
<p>Bijli Ghar and Idgah Bus Stand causes extreme congestion and increased emissions and should be decongested at priority. It is recommended that the city should relocate these bus stations to outskirts of the city (Bijli Ghar may be shifted to trans Yamuna and Idgah may be shifted to near to Patholi Village, Jaipur Road).</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, Agra Municipal Corporations, Traffic Police, Agra</p>	<p>अगर पुलिस उपायुक्त यातायात कमिश्नरट जगदर अगरा के पत्र सं-अर/एचओ सीओ-22/2023 (Action Plan) दिनांक-07.12.2023 द्वारा अगला कारवाया गया है कि यातायात पुलिस कर्मियों की द्यूटी विजली घर औरक एवं ईदगाह चौकाहा पर लककर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कएयी जाती है।</p>
<p>An outer road from Keethan connects to Gwalior Road. This road may be connected to Agra ring road (connecting Yamuna Expressway and Agra-Lucknow express way); this will restrict the movement (within Agra city) of those vehicles destined to Jaipur or Gwalior. The ring road should further extend to the Agra-Jaipur highway</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
<p>There should be a bypass for heavy vehicles and major godowns should be shifted away from the city at outside areas to prevent the movement of heavy vehicles in the city.</p>	<p>Agra Development Authority, Agra City Transport Services Pvt. Ltd, NHAI</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
<p>The major drains of city (Maurtola Drain, Taj East Drain/Kothai Nala, Water Works Drain, Naraich Nala, Bhairo Nala, Nagla Budhi Nala, Anurag Nagar Nala, Peelaikhar Nala) should be covered, diverted fully to waste</p>	<p>Municipal Corporation and Agra Development Authority</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>

<p>Mantola and other major Drains</p>	<p>water treatment plant of tertiary level and then only discharges in river Yamuna or perhaps recycled. This will remove the problem NH3, H2S and smell in the city and Taj Mahal area.</p>	<p>2-3years</p>	<p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra, Bio remediation/Phyto remediation on 61 untapped and 06 tapped drains is being done by M/s Sign Age India Pvt Ltd under the supervision of Nagar Nigam, Agra.</p> <p>At present 8 major drains of city i.e. (Mantola Drain, Taj East Drain/Kolhali Nala, Water Works Drain, Naraich Nala, Blaisro Nala, Nagla Budhli Nala, Anurag Nagar Nala, Peelkhar Nala) are Partially tapped. Action is being taken by UP Jal Nigam for tapping of Partially tapped drains. Construction work of 31 mild STP, 35 mild STP & 100 mild STP is under construction at 14 MLD STP Jaganpur, 10 MLD STP Peelkhar and 78 MLD STP Dhaandhupura respectively.</p>
<p>Crematoriums</p>	<p>Electric, or gas-based crematorium should be installed</p>	<p>1-2years</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/A/IRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>N.N:- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Electric crematorium has been installed at Mal ka Chabutra, Sbaliganj area and inaugurated on 22 October 2023. It will be operated by Satyawadi Rajin Harishchandra Mokshdharm Jimodhar Samiti. At present electric based crematorium facility is available on two crematoriums (i) Tujganj crematorium (ii) Mal ka chabutara crematorium.</p>
<p>*The above steps should not only be implemented in Agra municipal limits rather these should be extended to up to at least 25 km beyond the Boundary. This will need support from the central government.</p>			

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-2

संख्या: NPT-138-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016
लखनऊ: दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

15/5/19

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
गृह/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/खाद्य एवं
रसद/उद्योग/उद्यान/परिवहन/लोक निर्माण/कृषि/वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा उ०प्र० के 15 चिन्हित नॉन अटेन्मेंट शहर यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, फिरोजाबाद, अनपरा, गजराँला, झाँसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या- 681/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा 06 सदस्यीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गयी। उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायु गुणता में सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः प्रश्नगत कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इन कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें-

1. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित शार्ट टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं को जिला स्तर से तत्काल क्रियान्वित कराने हेतु अपने संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
2. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित लॉग टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु यथाआवश्यकता डी०पी०आर० तैयार कराकर एवं बजट व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्ययोजना के बिन्दुओं को समयान्तर्गत लागू कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

यह भी अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्ययोजनाओं में उल्लिखित कार्यवाही बिन्दुओं का निर्धारित समयान्तर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

जिलाधिकारी

आगरा

23/4/2019

324
RO, PCB

भवदीय

(डॉ० अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या: NPT-138(1)
/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, अमरोहा, झाँसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली।
सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

13/5/19

A-50
13/5/19

आज्ञा से
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।